फैजाबाद सम्भागीय नियोजन खण्ड,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,

१९८३-२००१

फैजाबाद-अयोध्या
महायोजना

फैजाबाद-अयोध्या महायोजना
वर्ष 1983-2001

नियोजित एवं प्रकाशक

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0 प्र0

फैजाबाद सम्भागीय नियोजन खण्ड

फै जा बा द

* *
*

नियंत्रक प्राधिकारिणी,
विनियमित क्षेत्र, फैजाबाद-
अयोध्या, उत्तर-प्रदेश
(निर्माण कार्य विनियमन)
अधिनियम 1958 के अधीन

अध्यक्ष: आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।

सदस्य:

1. जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद।
2. अध्यक्ष, जिला परिषद, फैजाबाद।
3. अध्यक्ष, नगरपालिका, फैजाबाद।
4. अधीक्षण अभियन्ता, तेइसवाँ वृत्त, प्रान्तीय खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, फैजाबाद।
5. संयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, फैजाबाद।
6. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, फैजाबाद।
7. कुल सचिव, अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।

नियत प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, फैजाबाद-
अयोध्या, उत्तर-प्रदेश.
(निर्माण कार्य विनियमन)
अधिनियम 1958 के अधीन।

नगर मजिस्ट्रेट (सिटी मजिस्ट्रेट)

दिनांक 2-5-1985 को आयुक्त फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद के कार्यालय में श्री वी० के० दीवान, आयुक्त/अध्यक्ष, नियंत्रक प्राधिकारिणी की अध्यक्षता में नियंत्रक प्राधिकारिणी की बैठक हुई।

उपस्थिति:-

1.	श्री वी०के० दीवान, आई०ए०एस०	आयुक्त/अध्यक्ष, नियंत्रक प्राधिकारिणी, फैजाबाद।
2.	श्री प्यारे मोहन अग्रवाल, आई० ए० एस०	जिला मजिस्ट्रेट/सदस्य, नियंत्रक प्राधिकारिणी, फैजाबाद।
3.	अध्यक्ष, नगर पालिका/अध्यक्ष, जिला परिषद, फैजाबाद	सदस्य, नियंत्रक प्राधिकारिणी, फैजाबाद।
4.	श्री आर० सी० सिंघल, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, फैजाबाद	सदस्य, नियंत्रक प्राधिकारिणी, फैजाबाद।
5.	श्री जी० एन० सिंह	सह्युक्त नियोजक/सदस्य, नियंत्रक प्राधिकारिणी, फैजाबाद।

कार्यवृत्त:

प्र०सं० 5: आपत्ति सुझाव समिति की संस्तुतियों पर संस्तुति व रिपोर्ट के सम्बन्ध में विचार।

आपत्ति सुझाव सुनवाई समिति की संस्तुतियाँ नियंत्रक प्राधिकारिणी द्वारा स्वीकार की गयीं तथा सह्युक्त नियोजक को निर्देश दिया कि शीघ्र नक्शे तैयार करके नियंत्रक प्राधिकारिणी के सदस्यों व अध्यक्ष के हस्ताक्षर कराकर शासन को प्रस्ताव आर० बी०ओ० एक्ट के डायरेक्शन 10-ए(6) के अन्तर्गत शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित करें।

राजेन्द्र प्रसाद
नगर मजिस्ट्रेट/नियत प्राधिकारी
फैजाबाद-अयोध्या विनियमित क्षेत्र
फैजाबाद

वी० के० दीवान
आई० ए० एस०
आयुक्त/अध्यक्ष, नियंत्रक प्राधिकारिणी, फैजाबाद।

म हा यो ज ना द ल

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0 प्र0

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक : श्री जे0 पी0 दुबे

वरिष्ठ नियोजक : श्री के0 पी0 सिंह

सहयुक्त नियोजक : श्री जी0 एन0 सिंह

सहायक नियोजक : श्री एस0 पी0 शेखर

सर्व श्री ए0 के0 चौधरी	वास्तुविद/नियोजन सहायक
" " आर0एम0उपाध्याय	सांख्यिकीय सहायक
" " ओ0 एन0 गुप्त	सांख्यिकीय सहायक
" " पी0 सिंह	सर्वेक्षण सहायक
" " टी0 एन0 लाल	सर्वेक्षण सहायक
" " के0एस0श्रीवास्तव	मुख्य मानचित्रकार
" " एम0 सी0 गौड़	अर्हमान चित्रकार
" " एस0 एच0 रज़ा	अर्हमान चित्रकार
" " कैलाश सिंह	सहायक लेखाकार
" " एच0आर0 यादव	आशुलिपिक
" " आर0पी0 यादव	वरिष्ठ लिपिक
" " सुरेश चन्द्र	कनिष्ठ लिपिक
" " राजमणि मिश्र	टंकक
" " रामतेज वर्मा	अनुरेखक
" " हरि ओम	नीलमुद्रक

****
*****
***
*

पुस्तकालय
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग
4962/1

" मंगल-कामना"

फैजाबाद-अयोध्या नगर, ऐतिहासिक,धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि-कोण से सहस्रों वर्षों से विख्यात रहा है और पूर्वी उत्तर-प्रदेश में इसकी स्थिति बड़े महत्व की है । पूर्वांचल के सभी प्रमुख क्षेत्रों के साथ यह भली-भांति सम्बद्ध है और वाराणसी,इलाहाबाद,गोरखपुर के बाद इस नगर का चौथा स्थान आता है। वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 1,32,373 थी, फिर भी यह नगर पिछड़ा है,नगरवासियों का जीवन निम्न स्तर का है और इसका विकास सुनियोजित नहीं है। इस नगर की अपनी समस्यायें हैं। जनोपयोगी सेवाओं की कमी है ।

प्रस्तुत प्रतिवेदन में फैजाबाद नगर की वर्तमान स्थिति,समस्याओं की विवेचना करते हुये नगर के समन्वित विकास के लिये एक महायोजना तैयार किया है जिससे स्पष्ट है कि इस नगर की बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। पुराना नगर होने के कारण इसकी बस्तियां अनियोजित ढंग से आबाद पायी जाती हैं और नगर के अन्दर की अधिकांश सड़कें बड़ी तंग हैं जिन पर अतिक्रमण एवं अनियोजित निर्माण हो रहे हैं। दूसरी ओर यातायात की वृद्धि तेजी से होती रही हैं तथा इस नगर का व्यापार एवं व्यवसाय भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। नगर के अन्दर स्थानाभाव होने के कारण आवास की समस्या बहुत ही विकट होती जा रही है । बस्तियों में जनसंख्या का अधिक भार होने के कारण नगर का वातावरण भी स्वच्छ और स्वास्थ्य नहीं रह पा रहा है ।

फलत: यह परमावश्यक समझा गया कि अस्वस्थ प्रवृत्ति को रोक कर जन-समुदाय के हित में नगर का सन्तुलित विकास करने के लिये विस्तृत क्षेत्रों का विनियमन किया जाय । अत: उत्तर-प्रदेश सरकार के आदेशानुसार "नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग" ने उत्तर-प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम,1958 के अधीन फैजाबाद नगर के बहुमुखी विकास को प्रोत्साहित करने के लिये एक महायोजना तैयार की है,जिसके अनुसार नगर का आर्थिक, औद्योगिक और भौतिक विकास एक व्यवस्थित ढंग से हो सकेगा । इसका

लक्ष्य है कि यहाँ के जन-समुदाय को सभी प्रकार की प्राथमिक सामुदायिक सुविधाओं की उपलब्धि हो और इस योजना के माध्यम से निवास,उद्योग, व्यवसाय आदि का उचित विकास हो सके।

इस महत्वपूर्ण कार्य में उत्तर रेलवे, विद्युत विभाग, राज्य सड़क परिवहन निगम, उद्योग विभाग, जल निगम, कृषि विभाग, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग,शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग,उत्तर प्रदेश आपत्ति/सुझाव समिति, आदि ने बड़ा मूल्यवान योगदान किया है जिनके प्रति मैं एतद्द्वारा आभार प्रदर्शित करता हूँ। यदि इन विभागों का वांछित सहयोग न मिलता तो नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को इस अध्ययन में बड़ी असुविधा हो सकती थी जिसके फलस्वरूप फैज़ाबाद-अयोध्या महायोजना बनाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता था। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों ने बड़ी निष्ठा एवं परिश्रम के साथ इसमें कार्य किया है जिनके सत् प्रयासों की सराहना की जाती है।

विजय कुमार दीवान
आयुक्त/अध्यक्ष
नियंत्रक प्राधिकारिणी
फैज़ाबाद-अयोध्या विनियमित क्षेत्र

आ मु ख:

फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र प्रदेश के पूर्वांचल के मध्य सरयू नदी के दाहिने तट पर स्थित एक प्रमुख प्रशासनिक-व्यापारिक एवं धार्मिक केन्द्र है।

अयोध्या नगर का इतिहास अति प्राचीनतम एवं गौरवशाली रहा है। यह नगर भगवान राम का जन्म स्थल भी है। युग युगान्तर से इस नगर का सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व सर्वोपरि है। रामकोट, लक्ष्मण किला, स्वर्गद्वार, हनुमानगढ़ी, कनकभवन हिन्दू वास्तुकला के दुर्लभ नमूने आज भी विद्यमान हैं। मुस्लिम काल के अन्तिम चरण में फैजाबाद अस्तित्व में आया और फैजाबाद-अयोध्या का निरन्तर विकास होता गया। गुलाबबाड़ी स्थित शुजाउद्दौला का मकबरा, चौक मार्ग द्वार, बहूबेगम का मकबरा, मोती मस्जिद और किला आदि तात्कालीन शासकों की कलाप्रियता एवं वास्तुविदता को प्रमाणित करते हैं। नगर के चतुर्दिक विकास की प्रक्रिया ब्रिटिश काल में हुई और अब स्वातन्त्र्योत्तर काल की औद्योगिक, सामाजिक एवं धार्मिक प्रगति के कारण इस नगर में उद्योग, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि के क्षेत्रों में उल्लेखनीय उन्नति हुई है।

उत्तरोत्तर बढ़ी हुई जनसंख्या का अधिकतर भाग नगर में उपलब्ध विकसित भू-भागों की सीमा में ही केन्द्रित होता चला गया और नगर के संतुलित एवं व्यवस्थित विकास की उपेक्षा होती रही। अनेक प्रकार की विषमताओं और अपने सीमित साधनों के कारण यहाँ की नगरपालिका आवश्यक सेवाओं का समानुपातिक विकास न कर पाई। नियोजन सम्बन्धी जटिलतायें बढ़ती गई और उनका नियंत्रण न हो सका। निश्चय ही यह स्थिति बड़ी ही नैराश्यपूर्ण थी।

अति गौरव की बात है कि फैजाबाद-अयोध्या महायोजना प्रारूप के आपत्ति/सुझाव एवं संस्तुति संशोधन का कार्य आपत्ति/सुझाव समिति द्वारा बड़ी निष्ठा, परिश्रम एवं सूझबूझ से पूरा किया गया और नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निर्णयों के अनुसार नगर एवं ग्राम नियोजन

....

विभाग ने फैजाबाद-अयोध्या महायोजना को संशोधित कर नगर के संतुलित विकास के लिये एवं दीर्घकालीन योजना को अन्तिम रूप दिया है, जिससे नगर का सर्वांगीण सम्पूर्ण विकास सम्भव होगा। इस ऐतिहासिक नगर के गौरव के अनुरूप ही यहाँ का जीवन व्यवस्थित तथा सुविधा-सम्पन्न हो जायेगा।

यह योजना शासन के स्वीकृतार्थ प्रेषित है।

हरि मोहन सिंह
जिलाधिकारी/प्रशासक
फैजाबाद/नगरपालिका
फैजाबाद

वि ष य - प्र वे श

स्वतन्त्रता के बाद भारत के विकास में उद्योगों के महत्व को स्वीकार कर, देश में औद्योगीकरण आरम्भ किया गया । उद्योगों की स्थापना तथा प्रसार होने से देश में नगरीयकरण का भी प्रचार होने लगा। इसका प्रभाव उत्तर-प्रदेश में भी हुआ, जिसके फलस्वरूप प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर के नगरों में बसते जा रहे हैं। परिणाम-स्वरूप नगरों की बढ़ रही जनसंख्या के लिये आवास, सुविधाओं एवं उपयोगिताओं को सही रूप से उपलब्ध कराना, कठिन से कठिनतर होने लगा तथा गन्दी बस्तियों का पनपना, अव्यवस्थित तथा अनियोजित विकास आदि बहुतायत में देखने को मिलने लगे हैं ।

फैज़ाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र प्रदेश के पूर्वांचल के मध्य सरयू नदी के दाहिनी तट पर स्थित एक प्रमुख प्रशासनिक एवं धार्मिक केन्द्र है। इस नगर केन्द्र के उत्तर, पूर्व तथा दक्षिण में क्रमशः 66 किमी०, 60 किमी० की दूरी पर गोंडा, बस्ती तथा सुल्तानपुर नगर हैं, जो फैजाबाद की तुलना में गौड़ स्तर के नगर हैं। फैजाबाद-अयोध्या पूर्वी उत्तर-प्रदेश के मध्य में स्थित एक लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगरीय केन्द्र है। 1965 में घाघरा नदी पर अयोध्या में पक्का पुल के निर्माण, 1975 में दो विश्वविद्यालय (अवध विश्वविद्यालय तथा नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय) की स्थापना तथा सन् 1970-80 के दशक में प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये चलाये गये अभियानों के अन्तर्गत गद्दोपुर एवं मुमताज नगर औद्योगिक क्षेत्रों का सृजन एवं अयोध्या में घाटों तथा राम की पैड़ी का निर्माण, प्रशासनिक प्रोत्साहनों आदि के फलस्वरूप फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र का भौतिक विकास तेजी से हो रहा है। इस प्रकार यह आवश्यक है कि इस नगर के विकास-क्रम को सुनियोजित ढंग से नियंत्रित तथा मार्ग दर्शित किया जाय, ताकि यह नगर अपने महत्व के अनुरूप एक क्षेत्रीय केन्द्र की महत्वपूर्ण भूमिका को निभा सके ।

इस नगर का सम्पूर्ण विकास मुख्यतः प्रमुख सड़कों के किनारे छिट-पुट

रूप में हुआ है, जहाँ-तहाँ बीच में अनियोजित विकास के अन्तर्गत खुले क्षेत्रों का पाया जाना एक विचित्र विशेषता रही है। नगर के मुख्य मार्गों के आवासीय एवं व्यापारिक क्षेत्रों के मध्य से होकर जाने के कारण मिश्रित भू-प्रयोग संकुलित मार्ग, असमान जनसंख्या वितरण आदि की जटिल समस्याएं एक साथ पायी जाती हैं। नगर के विभिन्न स्थानों पर मलिन बस्तियों का प्रसार और मुख्य मार्गों के किनारे अनियोजित पट्टी विकास की गम्भीर समस्या के हल के लिये तत्काल नियोजन एवं नियंत्रण की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम 1958 के अन्तर्गत फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र एवं इसके आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों को विनियमित क्षेत्र घोषित करके अन्य कार्यवाही अधिनियम के अनुसार करने को सुनिश्चित किया। इसके लिये नगर के भावी व्यवस्थित, नियोजित एवं समन्वित विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये फैजाबाद-अयोध्या विनियमित क्षेत्र के नियंत्रक प्राधिकारिणी के अनुरोध पर फैजाबाद-अयोध्या के लिये महायोजना तैयार करने का कार्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर- प्रदेश के फैजाबाद सम्भागीय नियोजन खण्ड द्वारा सम्पन्न किया गया। इस दिशा में प्रस्तुत महायोजना विभिन्न सर्वेक्षणों, अध्ययनों तथा उनके विश्लेषण के आधार पर तैयार की गयी। इसमें वर्ष 2001 तक की अवधि के लिये नगर की आवश्यकतायें और विकास सम्भावनाओं का निरूपण किया गया। फैजाबाद-अयोध्या महायोजना भावी 18 वर्षों (1983-2001) के लिये है, जिसमें भावी जनसंख्या की आवासीय, वाणिज्यक, औद्योगिक, सामुदायिक सुविधाओं, उपयोगिताओं एवं सेवाओं आदि की आवश्यकता का अनुमान करते हुये आवश्यक भू-उपयोग की उचित रूप-रेखा निर्धारित की गयी। इस योजना में विभिन्न कार्य केन्द्रों तथा क्षेत्रवार जनसंख्या वितरण की नियोजित रूप-रेखा तथा यातायात समस्याओं के निराकरण का सुझाव दिया गया। इस प्रकार इस योजना के माध्यम से नगर की विभिन्न समस्याओं के समाधान का प्रयास किया गया। महायोजना को अन्तिम रूप देने से पूर्व फैजाबाद-अयोध्या के निवासियों, यहाँ के विकास में रुचि रखने वाले लोगों तथा विकास की क्रियाओं से सम्बद्ध विभिन्न सर-

[illegible] और सरकारी अभिकरणों से महायोजना पर सुझाव तथा आपत्तियाँ आमन्त्रित की गयी। शासन द्वारा शासनादेश संख्या 2677/37-3-47 एम0डी0/80/87 दिनांक 10 अगस्त, 1981 के अनुसार गठित आपत्ति एवं सुझाव सुनवाई समिति द्वारा आमन्त्रित सुझावों का समुचित निस्तारण एवं समायोजन महायोजना में किया गया।

उपरोक्त तथ्यों, सुधारों, सुझावों के समायोजन के पश्चात् महायोजना को अन्तिम रूप देने के पहले नियंत्रक प्राधिकारी का भी अनुमोदन प्राप्त किया गया। मैं आशा करता हूँ कि अब प्रस्तुत महायोजना जहाँ एक ओर फैजाबाद-अयोध्या की बहुप्रतीक्षित आकांक्षाओं की पूर्ति करेगी वहीं फैजाबाद-अयोध्या के ऐतिहासिक एवं धार्मिक चरित्र की विशेषताओं एवं विरासत को संरक्षण भी प्रदान करेगी और नगर को सुन्दर एवं आकर्षक बनाने में सहयोग प्रदान करेगी। अतः फैजाबाद-अयोध्या महायोजना शासन के स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

जयन्ती प्रसाद दुबे
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

विषय सूची

	विषय	पृष्ठ संख्या
	फैजाबाद-अयोध्या महायोजना की पृष्ठभूमि, लक्ष्य एवं उद्देश्य	1 से 2
	उत्पत्ति एवं विकास	3 से 6
	क्षेत्रीय दृष्टिकोण	7 से 8
	विनियमित क्षेत्र	9 से 10
	जनाकाय	11 से 20
	आर्थिक आधार	21 से 29
	भू-उपयोग	30 से 34
	व्यापार एवं वाणिज्य	35 से 38
	आवास	39 से 42
	उद्योग	43 से 49
	मलिन बस्ती	50 से 53
12-	यातायात एवं परिवहन	54 से 68
13-	राजकीय एवं अर्धराजकीय कार्यालय	69 से 70
14-	सामुदायिक सुविधायें, उपयोगितायें एवं सेवायें	71 से 83
15-	पर्यटन	84 से 91
16-	जोनिंग एवं उपक्षेत्रीय विनियमन	92 से 117
17-	निष्कर्ष एवं संस्तुतियां	118 से 125

सारणियों की सूची

[illegible]	सारणी संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	2	3	4
[illegible]	5·1	प्रस्तावित फैजाबाद-अयोध्या विनियमित क्षेत्र में जनसंख्या विवरण वर्ष 1971-81	12
[illegible]	5·2	फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व एवं साक्षरता का विवरण	13 व 14
[illegible]	5·2 (ए)	फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या और इसकी वृद्धि/ह्रास दर, दशक वर्ष 1931-81	15
4-	5·3	फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में वार्डवार जनसंख्या घनत्व वर्ष 1988	18
5-	5·4	फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र एवं इसके भावी नगरीयकरण योग्य सीमा के अन्तर्गत आने वाले गाँवों की प्रक्षेपित जनसंख्या: दशक वर्ष 1971-2001	20
6-	6·1	फैजाबाद-अयोध्या विनियमित क्षेत्र में नगरीय एवं ग्रामीण श्रमिकों का व्यवसायवार विवरण: वर्ष 1971	22 व 23
7-	6·1 (ए)	फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र तथा भावी नगरीयकरण योग्य ग्रामीण क्षेत्रों का कार्मिक विवरण: वर्ष 1981	26
8-	6·2	फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र एवं इसके भावी नगरीयकरण योग्य सीमा के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों का व्यवसायवार भावी अनुमानित विवरण	27 व 28
9-	6·3	फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र तथा भावी नगरीयकरण योग्य ग्रामीण क्षेत्र में कार्मिक पार्टीसिपेशन रेट	
10-	7·1	फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में विभिन्न भू-उपयोगवार वर्तमान भू-उपयोगवार वितरण; वर्ष 1977-78 (क्षेत्रफल एकड़ में)	31
11-	7·2	फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र का भावी भू-उपयोग वितरण, वर्ष 2001	34
12-	9·1	फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र के परिवारों तथा आवासीय मकानों का विवरण; वर्ष 1981	39
13-	10·1	फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयों का श्रेणीवार विवरण और इनमें कार्यरत श्रमिकों की संख्या	44
14-	10·2	फैजाबाद नगरीय क्षेत्र में भावी औद्योगिक श्रमिकों एवं क्षेत्रफल का उद्योगों के वर्गानुसार विवरण; 2001	48

1	2	3	4
	[illegible]	फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र की मलिन बस्तियां वर्ष 1978	51
	14.1	फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में स्थित शैक्षणिक संस्थाओं से सम्बन्धित विवरण, वर्ष 1977-78	72
	14.2	फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा से सम्बन्धित विभिन्न इकाइयों का विवरण; 1977-78	74
	14.3	फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में विभिन्न उपयोगों के अन्तर्गत विद्युत उपभोग का विवरण; वर्ष 1977-78	81
	14.4	फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र के लिए विद्युत शक्ति की भावी आवश्यकता का विवरण, वर्ष 2001	82
	15.1	अयोध्या में आने वाले तीर्थ यात्रियों/पर्यटकों का वर्षवार विवरण; वर्ष 1972-77	86
	16.1	विभिन्न स्तर के विकास क्षेत्रों में व्यवसाय तथा अन्य सुविधाओं के प्राविधान का विवरण	112 से 114 तक
	16.2	औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत पार्क आदि के रूप में खुले क्षेत्र का प्रभाग	115
	16.3	आवासीय खण्ड (15,000 जनसंख्या) में प्रस्तावित विभिन्न तरह के भवन समूह निर्माण की व्यवस्था का विवरण	116
परिशिष्ट		फैजाबाद नगर के अन्तर्गत मार्ग के आधार पर पनपने वाले उद्योग	49
		अयोध्या में मेले/पर्वों पर आने वाले तीर्थ यात्री	126 से 128 तक
		विनियमित क्षेत्र की अधिसूचना	129 से 132 तक

*****
***

मानचित्रों की सूची

संख्या	मानचित्र संख्या	विषय
	2/1	उत्पत्ति एवं विकास
	3/1	क्षेत्रीय स्थिति
	4/1	फैजाबाद-अयोध्या विनियमित क्षेत्र
	5/1	वर्तमान तथा प्रक्षेपित जनसंख्या
	6/1	श्रमिकों का व्यावसायिक स्ट्रक्चर (वर्तमान प्रस्तावित)
	7/1	वर्तमान भू-उपयोग
7-	9/1	आवासीय आवश्यकता
8-	10/1	कार्य क्षेत्रों व आवासीय क्षेत्रों का सम्बन्ध।
9-	12/1	वर्तमान प्रमुख यातायात का ढाँचा
10-	14/1	सामुदायिक सुविधायें
11-	14/2	उपयोगितायें एवं सेवायें
12-	15/1	पर्यटक एवं तीर्थ यात्रियों के लिए प्रस्ताव
13-	16	फैजाबाद-अयोध्या महायोजना

अध्याय- एक

1. फैजाबाद-अयोध्या महायोजना की पृष्ठ भूमि, लक्ष्य एवं उद्देश्य

1.1 वर्ष 1965 में सरयू नदी पर अयोध्या में पक्के पुल के निर्माण, नगरीय क्षेत्र में व्यवसाय तथा बसने के लिये गाँव से नगर की ओर लोगों के निरन्तर अधिकाधिक संख्या में आने, शासन द्वारा फैज़ाबाद में दो विश्व-विद्यालयों की स्थापना, उत्तर-प्रदेश के पूर्वांचल के जनपदों में औद्योगिक प्रगति को हर प्रकार का प्रोत्साहन और बढ़ावा देने की शासकीय नीति आदि के फलस्वरूप फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र के भौतिक विकास की गति में निरन्तर तीव्रता आती जा रही है। यह विकास (जो मुख्यत: व्यावसायिक एवं औद्योगिक है) नगरीय क्षेत्र से बाहर जाने वाले विभिन्न मार्गों के दोनों ओर पट्टी-विकास के रूप में अनियोजित एवं अव्यवस्थित ढंग से हो रहा है। फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र की बढ़ती हुई आबादी और अनियोजित एवं अव्यवस्थित विकास के कारण उत्पन्न समस्याओं को समन्वित रूप से सुलझाने तथा नियोजित विकास के लिये मार्ग निर्देशन की आवश्यकता पूर्ति के लिये, जिससे भविष्य में इस नगरीय क्षेत्र तथा इसके आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों को सुनियोजित रूप दिया जा सके, इस क्षेत्र के लिये महायोजना तैयार करने की आवश्यकता अनुभव की गयी है। फैजाबाद अयोध्या महायोजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्न हैं:-

1.1.1 नगरीय क्षेत्र तथा इसके आस-पास के उप-नगरीय ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले अनियोजित, अव्यवस्थित एवं अनियंत्रित विकास कार्यों को रोकना तथा भावी विकास कार्यों को सुनियोजित ढंग से किये जाने के लिये मार्ग-निर्देशन करना ।

1.1.2 प्रक्षेपित जनसंख्या को उचित संगत घनत्व के साथ नगरीय क्षेत्र में समायोजित करना तथा निवास, उद्योग, वाणिज्य, यातायात आदि से सम्बन्धित आवश्यक एवं उपयुक्त भूमि का नियोजन करना ।

1.1.3 सामुदायिक सुविधाओं, मनोरंजन के स्थलों की वर्तमान कमी और भावी आवश्यकता को इंगित करना । सामुदायिक सुविधाओं, मनोरंजन स्थलों एवं "वर्क सेन्टर्स" की आवासीय क्षेत्रों से उपयुक्त सम्बद्धता को निर्धारित करना ।

1.1.4 फैजाबाद एवं अयोध्या के स्वरूप और चारित्रिक विशेषताओं को अक्षुण्ण रखकर सम्पूर्ण इसके भौतिक स्वरूप को उचित दिशा में विकसित करना ताकि क्षेत्रीय विकास के रूप में यह नगरीय क्षेत्र अधिकाधिक सुविधाजनक और निवासयोग्य हो ।

1.1.5 नये सम्पर्क मार्गों तथा वर्तमान "रोड ज्यामेट्री" में सुधार के प्राविधान करना ।

1.1.6 उत्तम कृषि-भूमि के मनमाने ढंग से अन्य उपयोगों में परिवर्तन को रोकना ।

1.1.7 सुनियोजित एवं नियंत्रित विकास कार्य के लिये केवल अत्यन्त आवश्यक संदर्भों में भूमि का अधिग्रहण करने अथवा कम से कम भवनों §स्ट्रक्चर§ को गिराने §डिमालिश§ की स्थिति को समर्थित करना।

अध्याय- दो

2· **उत्पत्ति एवं विकास**

2·1 अयोध्या एक बहुत पुराना नगर है । भगवान राम और पाँच जैन तीर्थंकरों के जन्म स्थान होने के महत्व से जुड़े होने के कारण अयोध्या की सांस्कृतिक और धार्मिक महत्ता सर्वोपरि है। फैजाबाद नगर की उत्पत्ति सन् 1739 के लगभग अवध के नवाब सादात खाँ द्वारा एक लम्बा गढ़वाकर उसमें अपना दरबार लगवाने की घटना से प्रारम्भ हुई । फैजाबाद-अयोध्या के अब तक के विकास को निम्न-लिखित चार अवधियों में रखा जा सकता है:-

- 2·1 प्राचीन अवधि॥12वीं सदी तक॥
- 2·2 मुस्लिम शासन की अवधि॥13वीं सदी से 19वीं सदी के मध्य तक॥
- 2·3 अंग्रेजी शासन की अवधि ॥वर्ष 1857 से 1947 तक॥
- 2·4 स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद की अवधि ॥वर्ष 1947 से अब तक॥.

2·2 **प्राचीन अवधि:-** चौथी सदी के उत्तरार्ध में चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा अयोध्या को बसाने का उल्लेख इतिहास में मिलता है। इस अवधि का कोई भवन भौतिक रूप में आज शेष नहीं रह गया है । ऐसा अनुमान है कि, इस अवधि की अयोध्या आज के रामकोट, वशिष्ट कुण्ड, चक्रतीर्थ और निरमोचन घाट क्षेत्र के एक सीमित भाग में बसा था! इस अवधि तक फैजाबाद का कुछ भी अस्तित्व नहीं था ।

2·3 **मुस्लिम शासन की अवधि:-** इस अवधि में अयोध्या का विस्तार वर्तमान गोला-घाट, लक्ष्मण किला, स्वर्गद्वार, तुलसी चौरा, हनुमानगढ़ी और कटरा आदि क्षेत्रों में हुआ। इस अवधि में बने भवनों में रामकोट का मन्दिर ॥मुगल सम्राट बाबर ने इसके ऊपरी भाग को तुड़वाकर इसे मस्जिद का रूप दिया॥, किला मुबारक के [illegible], हनुमान गढ़ी आदि उल्लेखनीय भवन आज भी [illegible] अस्तित्व [illegible]

हुये है।

2·3·1 इस अवधि की अन्तिम सदी में फैजाबाद अस्तित्व में आया। फैजाबाद का प्रारम्भिक विकास वर्तमान धारा रोड के दोनों तरफ दिल्ली दरवाजा के पूर्वी भाग, चौक, गुलाबबाड़ी, मोतीबाग और लालबाग क्षेत्रों में सीमित रूप में हुआ। इस अवधि में निर्मित उल्लेखनीय भवनों में गुलाबबाड़ी स्थित सुजाउद्दौला का मकबरा, चौक के मार्गद्वार (एकदरा-दो दरा), नाका स्थित बहू बेगम का मकबरा, मोती मस्जिद और किला (वर्तमान में अफीम कोठी) नाम से जाना जाने वाला स्थान आदि है।

2·4 <u>अंग्रेजी शासन की अवधि:-</u> इस अवधि में अयोध्या का विस्तार रायगंज, श्रृंगार हाट, अयोध्या रेलवे स्टेशन, प्रमोदबन, तुलसीबाग, छोटी छावनी आदि क्षेत्रों में छिट-फुट रूप में हुआ। इस अवधि में फैजाबाद का व्यापक विस्तार हुआ और सिविल लाइन्स, रेलवे स्टेशन क्षेत्र, रिकाबगंज, रीडगंज तथा हैदरगंज व वजीरगंज आदि के अधिकांश भाग का विस्तार इसी अवधि में हुआ।

2·5 <u>स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद की अवधि:-</u> इस अवधि में अयोध्या का विकास बहुत मन्द रहा है। पहले से ही विकसित क्षेत्र के मध्य में छिट-फुट विकास कार्य यथा- जलकल स्थल, बस स्टेशन, बिड़ला धर्मशाला व मन्दिर, राम चरित मानस स्थान, जानकी महल स्थान, साकेत डिग्री कालेज, साकेत डेयरी- इस अवधि में हुये हैं। साकेत डिग्री कालेज और साकेत डेयरी की स्थापना के कारण अयोध्या के विकास की दिशा पश्चिम में विशेषत: अयोध्या-फैजाबाद मार्ग पर केन्द्रित हो रही है।

2·5·1 इस अवधि में फैजाबाद का विस्तार नगर के बाहरी भागों में फैजाबाद-लखनऊ, फैजाबाद-इलाहाबाद और फैजाबाद-आजमगढ़ मार्ग पर विशेषकर पट्टी विकास के रूप में हुआ है। शहर के विकसित भाग में कई स्थलों पर नियोजित आवासीय कालोनियों यथा लक्ष्मणपुरी (जलकल के पास), सुभाष नगर (पुरानी सब्जी मंडी के समीप),

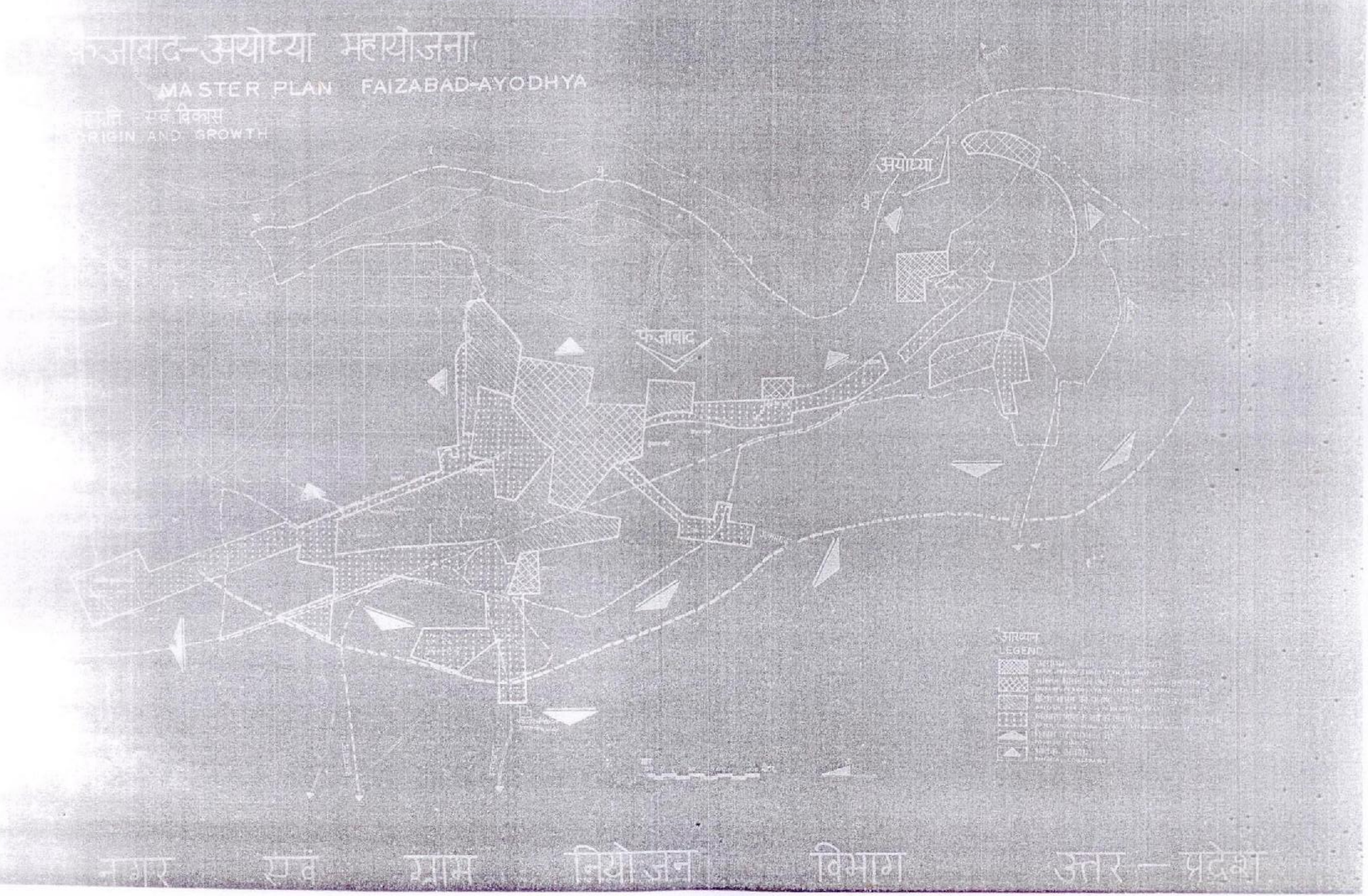
फैजाबाद-अयोध्या महायोजना
MASTER PLAN FAIZABAD-AYODHYA
उत्पत्ति एवं विकास
ORIGIN AND GROWTH
अयोध्या
फैजाबाद
आलेख्य
LEGEND
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर – प्रदेश

कुंजकुटीर हाइडल कालोनी, सुरसुर कोठी कालोनी आदि का निर्माण अर्ध-सरकारी एवं सरकारी स्तर पर तथा अंगूरी बाग क्षेत्र (तरंग टाकीज के पास), बालक राम कालोनी (नियावां चौराहा के पास), झारखन्डी क्षेत्र (पुलिस लाइन्स के पास) और रामनगर कालोनी का विकास निजी स्तर पर हुआ है। (कृपया मा०सं० 2/1 देखें) ।

2·6 विकास में प्राकृतिक एवं अन्य अवरोध:- फैजाबाद-अयोध्या के उत्तर, उत्तर-पूर्व एवं पूर्व दिशा में बहने वाली सरजू नदी और निचला बाढ़ प्रभावित क्षेत्र इन दिशाओं में नगर के विकास के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध उपस्थित करते हैं। उत्तर-पश्चिम दिशा में छावनी क्षेत्र स्थित होने के फलस्वरूप इस दिशा में भी नगर का विस्तार सम्भव नहीं है।

2·6·1 नगर के विकास की दिशा:- ऊपर पैरा 2·5 में बताई गई रुकावटों के कारण नगर का विकास केवल दक्षिण पूर्व, दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम की ओर सम्भव रहा है। इन दिशाओं में नगर का विकास मुख्यत: फैजाबाद-आजमगढ़, फैजाबाद-इलाहाबाद, फैजाबाद-रायबरेली और फैजाबाद-लखनऊ मार्ग पर पट्टी विकास के रूप में उपयुक्त भूमि की सुलभता और यातायात के साधन की उपलब्धता के कारण हो रहा है। इस विकास का क्रमवार विवरण निम्नलिखित रूप में है:-

2·6·2 फैजाबाद-आजमगढ़ मार्ग:- नगर से बाहर इस मार्ग पर होने वाले विकास कार्यों में एक होम्योपैथिक कालेज तथा अस्पताल, दो पेट्रोल पम्प स्टेशन, एक कोल्ड स्टोरेज, एक औद्योगिक गोदाम आदि प्रमुख हैं।

2·6·3 फैजाबाद-इलाहाबाद मार्ग:- इस मार्ग पर नई बनी माचिस फैक्ट्री, दाल मील, कोल्ड स्टोरेज, पोलीथिन फैक्ट्री आदि का निर्माण पिछले कुछ ही वर्षों में हुआ है। इसी मार्ग पर नगरपालिका सीमा के बाहरी भाग पर अवध विश्वविद्यालय का विकास किया जा रहा है। फैजाबाद नगर से लगभग 10 किमी० की दूरी पर स्थित मसौधा चीनी मिल, कार्ड बोर्ड फैक्ट्री, कृषि फार्म, विकास क्षेत्र मुख्यालय आदि की स्थिति के कारण इस मार्ग पर अधिकाधिक विकास की सम्भावनायें हैं ।

2.6.4 फैजाबाद-रायबरेली मार्ग:- इस मार्ग पर कृषि उत्पादन मण्डी समिति द्वारा विकसित किया जाने वाला आधुनिक मण्डी स्थल, औद्योगिक आस्थान (इण्डेस्ट्रीयल स्टेट) तथा भारतीय खाद्य निगम का भंडारागार विकसित हो चुके हैं। यह आशा की जाती है कि, ये विकास कार्य इस मार्ग पर और दूसरे विकास कार्यों को आकर्षित करेगें । भविष्य में इस मार्ग पर अधिकाधिक विकास कार्यों के पनपने की पूरी सम्भावना है ।

2.6.5 फैजाबाद-लखनऊ मार्ग(राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28):- इस मार्ग (जो अयोध्या को फैजाबाद से जोड़ता हुवा पश्चिम में लखनऊ को जाता है)पर हुये पट्टी विकास के कारण पूर्व-पश्चिम में फैजाबाद-अयोध्या के विस्तार के अन्तर्गत लगभग 15 किलोमीटर लम्बा क्षेत्र आ जाता है । इस मार्ग पर फैजाबाद के पश्चिम में विकसित हो चुके, विभिन्न विकास कार्यों में राजकीय पालीटेक्निक,डाक-तार विभाग का माइक्रोवेव टावर क्षेत्र, तीन पेट्रोल पम्प स्टेशन तथा एक मोटर गाड़ी मरम्मत कारखाना आदि प्रमुख हैं। इसी मार्ग पर फैजाबाद-अयोध्या के मध्य विकसित हो चुके विकास कार्यों में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (आई0टी0आई0), साकेत डेयरी, साकेत डिग्री कालेज आदि प्रमुख हैं। इसी मार्ग पर उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम द्वारा एक बड़ा औद्योगिक स्थल विकसित किया जा रहा है ।

2.6.6 इन सबके साथ ही साथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 के लिये प्रस्तावित बाई-पास (जो फैजाबाद-लखनऊ, फैजाबाद-रायबरेली, फैजाबाद-इलाहाबाद तथा फैजाबाद-आजमगढ़ मार्गों को मिलाने वाली कड़ी का काम करेगा), के कारण भी नगर के भौतिक विकास की अधिक से अधिक सम्भावना पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व में है ।

अध्याय- तीन

3. क्षेत्रीय दृष्टिकोण

3.1 स्थिति:

3.1.1 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र उत्तर-प्रदेश के पूर्वांचल में $26^{0}-46$ उत्तरी अक्षांश तथा $80^{0}-10$ पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र के पूर्व में 144 किलोमीटर की दूरी पर गोरखपुर, पश्चिम में 132 किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ, दक्षिण में 167 किलोमीटर की दूरी पर इलाहाबाद तथा दक्षिण-पूर्व में 208 किलोमीटर की दूरी पर वाराणसी नगर स्थित है। यह नगरीय क्षेत्र प्रदेश के प्रमुख नगरों से सड़क एवं रेल मार्गों द्वारा सीधे जुड़ा हुआ है। (कृपया मानचित्र सं0 3/1 देखें)।

3.1.2 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र के उत्तर एवं उत्तर-पूर्व दिशा में सरजू नदी बहती है और यह नदी इन दिशाओं में इस नगरीय क्षेत्र की सीमा को निर्धारित करती है।

3.2 महत्व:-

3.2.1 फैजाबाद नगर इसी नाम के मण्डल (कमिश्नरी) एवं जनपद का मुख्यालय है। यह नगर जनपद की चार तहसीलों (फैजाबाद, बीकापुर, टाण्डा एवं अकबरपुर), 18 विकास खण्डों एवं 2,800 ग्रामों के लिये प्रमुख प्रशासनिक, व्यापारिक, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा आदि के प्रधान केन्द्र के रूप में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

3.2.2 अयोध्या नगर की पश्चिमी सीमा फैजाबाद नगर की पूर्वी सीमा से मिलती है। यह वर्ष 1977 तक फैजाबाद का ही एक भाग था। भगवान श्री रामचन्द्र और पाँच जैन तीर्थांकरों के जन्म स्थान होने के इतिहास से जुड़े रहने के कारण धार्मिक दृष्टिकोण से अयोध्या का महत्व प्रान्त में ही नहीं वरन् देश में भी सर्वोपरि माना जाता है।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर – प्रदेश

3.3 धरातल और जलवायु:-

3.3.1 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र के विकसित भाग का धरातल प्राय: समतल है। धरातल की ढाल मुख्यतया पश्चिम से पूर्व की ओर है। विकसित नगरीय भाग और सरजू नदी के मध्य पड़ने वाले भू-क्षेत्र का धरातल अपेक्षाकृत नीचा होने के कारण यह बाढ़ग्रस्त रहता है।

3.3.2 यहाँ का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 46-0 एवं 3.7 डिग्री सेन्टीग्रेट के लगभग रहता है। उत्तरी भारत की सामान्य जलवायु की दशा यहाँ विद्यमान रहती है। गर्मी के मौसम में कुछ समय के लिये तेज गर्म और लू की हवाएं भी चलती हैं। उपलब्ध औसत वार्षिक वर्षा के आंकड़ों के अनुसार इस नगरीय क्षेत्र की वर्षा लगभग 1024 मिलीमीटर रही है ।

अध्याय- चार

4 विनियमित क्षेत्र

4·1 विनियमित क्षेत्र की आवश्यकता:

4·1·1 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय केन्द्रों पर विभिन्न विकास क्रियाओं के बढ़ने तथा नगरीकरण की व्यापक बढ़ती प्रवृत्ति के कारण लोगों का अधिकाधिक संख्या में यहाँ आकर रहने तथा बसने के कारण अनियोजित तथा अव्यवस्थित विकास कार्य बढ़ता जा रहा है। यह विकास कार्य नगर के उपान्त क्षेत्रों में प्रमुख सड़क मार्गों के किनारे पट्टी विकास के रूप में, मुख्यत: व्यापारिक एवं औद्योगिक क्रियाओं तथा आवासीय कालोनियों के रूप में भूमि के दुर अभिन्यास {बैड लेइंग आउट आफ लैंड} तथा उपस्तरीय रिहायसी बस्तियों {सब स्टैन्डर्ड कालोनियों} का दृष्टान्त उपस्थित कर, ... रहा है। यह अनियोजित, अनियंत्रित तथा अव्यवस्थित विकास कार्य- जिसके द्वारा विभिन्न भू-उपयोगों के मिले-जुले स्वरूप को प्रसार मिल रहा है- नगर के नियोजित विकास की सम्भावनाओं को क्षीण से क्षीणतर बनायेगा। इस अनियोजित, अनियंत्रित तथा अव्यवस्थित विकास कार्य को रोकने तथा नगर के भावी विकास कार्य को सुनियोजित तथा समन्वित आधार प्रदान करने के लिये, उ0प्र0, {भवन निर्माण कार्य विनियमन} अधिनियम-1958 के अन्तर्गत फैजाबाद-अयोध्या नगरीय केन्द्रों तथा इनके सन्निकट के 65 ग्रामीण क्षेत्रों को एक विनियमित क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता हुई है।

4·2 प्रस्तावित फैजाबाद-अयोध्या विनियमित क्षेत्र:

4·2·1 वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार प्रस्तावित फैजाबाद-अयोध्या विनियमित क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 13,367 हेक्टर है जिसमें से 3,150 हेक्टर {23·5 प्रतिशत} भाग नगरीय केन्द्रों के अन्तर्गत आता है, और 10,217 हेक्टर {76·5 प्रतिशत} भाग ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत आता है। फैजाबाद-अयोध्या नगरीय केन्द्रों के वर्तमान विकास

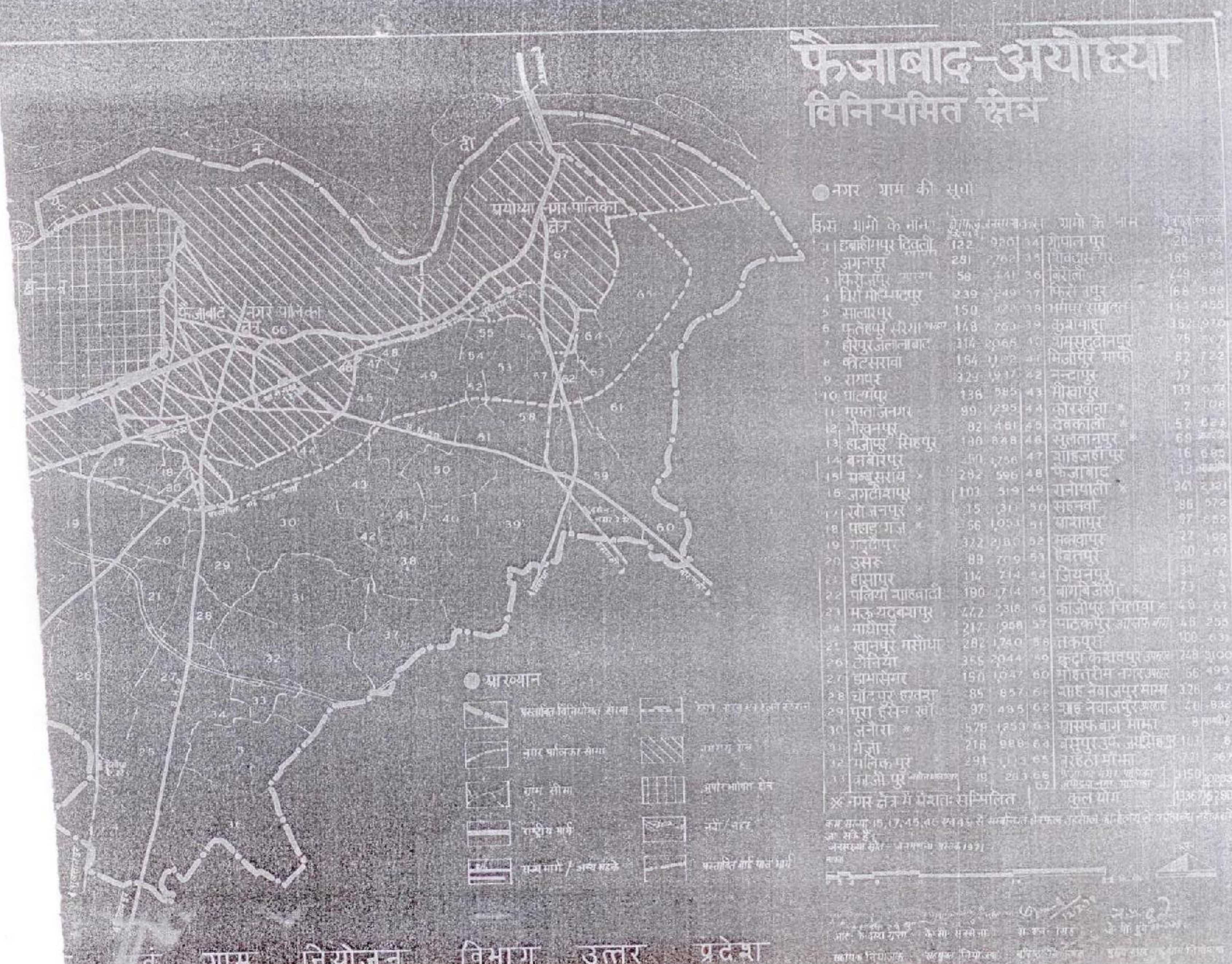
फैजाबाद-अयोध्या
विनियमित क्षेत्र
नगर ग्राम की सूची
अयोध्या नगर पालिका क्षेत्र
फैजाबाद नगर पालिका क्षेत्र
आख्यान
नगर पालिका सीमा
ग्राम सीमा
राष्ट्रीय मार्ग
नगर क्षेत्र में अंशतः सम्मिलित
कुल योग
एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश

की दिशा मुख्यत: पश्चिम, दक्षिण तथा पूर्व की दिशाओं में है और भावी विकास क्रियायें भी इन्हीं दिशाओं में होनी सम्भावित हैं (कृपया अध्याय-2 का पैरा 2.6 देखें) । अत: प्रस्तावित फैजाबाद-अयोध्या विनियमित क्षेत्र की सीमा का विस्तार इन्हीं दिशाओं में रक्खा गया है। प्रस्तावित फैजाबाद-अयोध्या विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत नगरीय केन्द्रों ग्रामीण क्षेत्रों की परस्पर स्थिति मानचित्र संख्या 4/1 पर प्रदर्शित है ।

4.3 <u>प्रस्तावित फैजाबाद-अयोध्या विनियमित क्षेत्र की सीमा:</u>

4.3.1 <u>पश्चिम दिशा:</u> इस दिशा में प्रस्तावित विनियमित क्षेत्र की सीमा राष्ट्रीय राजमार्ग-28 पर स्थित जगलपुर ग्राम की वाह्य सीमा तक पहुंचती है जो लगभग 15.5 किमी0 दूर है ।

4.3.2 <u>दक्षिण-पश्चिम दिशा</u> : इस दिशा में प्रस्तावित विनियमित क्षेत्र की सीमा फैजाबाद-रायबरेली सड़क मार्ग पर मऊयदुवंशपुर ग्राम की वाह्य सीमा तक पहुंचती है जो लगभग 8 किमी0 दूर है।

4.3.3 <u>दक्षिण दिशा:</u> इस दिशा में प्रस्तावित विनियमित क्षेत्र की सीमा इलाहाबाद जाने वाले सड़क मार्ग पर माधोपुर ग्राम की वाह्य सीमा तक पहुंचती है जो लगभग 10 किमी0 दूर है।

4.3.4 <u>दक्षिण-पूर्व दिशा:</u> इस दिशा में प्रस्तावित विनियमित क्षेत्र की सीमा फैजाबाद-आजमगढ़ सड़क मार्ग पर मोहतरीम नगर उपरहार ग्राम की वाह्य सीमा तक पहुंचती है जो लगभग 11 किमी0 दूर है।

4.3.5 <u>पूर्व दिशा:</u> इस दिशा में प्रस्तावित विनियमित क्षेत्र की सीमा राष्ट्रीय राजमार्ग-28 के लिये प्रस्तावित फैजाबाद-अयोध्या वाई-पास पर स्थित वरहठा मांझा ग्राम की वाह्य सीमा तक पहुंचती है।

4.3.6 <u>उत्तर-पूर्व एवं उत्तर दिशा:</u> फैजाबाद नगर की उत्तरी तथा अयोध्या नगर की उत्तरी-पूर्वी तथा उत्तरी सीमा सरयू नदी द्वारा निर्धारित होती है। इन दिशाओं में सरयू नदी ही प्रस्तावित विनियमित क्षेत्र की सीमा है।

:-:-:-:-:

अ ध्या य- पाँ च

जनांकिय:

इस अध्याय में जनांकिकी सम्बन्धी अध्ययन फैजाबाद-अयोध्या नगरपालिका क्षेत्र, फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र की भावी नगरीकरण योग्य सीमा के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्र तथा प्रस्तावित फैजाबाद-अयोध्या विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत के शेष ग्रामीण क्षेत्र- इन तीन भागों में विभाजित करके किया गया है ।

2 प्रस्तावित फैजाबाद-अयोध्या विनियमित क्षेत्र:

2.1 इस क्षेत्र के अन्तर्गत फैजाबाद और अयोध्या नगरपालिका क्षेत्र के अतिरिक्त 85 ग्रामों का ग्रामीण क्षेत्र भी आता है। वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार सम्पूर्ण प्रस्तावित विनियमित क्षेत्र की कुल जनसंख्या 1,62,905 थी, जो वर्ष 1981 में बढ़कर 2,09,200 हो गयी है । प्रस्तावित फैजाबाद-अयोध्या विनियमित क्षेत्र की नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के जनसंख्या विवरण सारणी संख्या 5.1 में प्रस्तुत किया गया है ।

सारणी संख्या 5.1

प्रस्तावित फैजाबाद-अयोध्या विनियमित क्षेत्र में जनसंख्या विवरण वर्ष 1971-81

	कुल क्षेत्र हेक्टेयर में	जनसंख्या 1971			जनसंख्या 1981			कुल जनसंख्या का प्रतिशत 1981	जनसंख्या घनत्व [illegible] 1981
		पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
[illegible]बाद [illegible]रीय	2081	43411	36634	80045	54725	47148	101873	48.7	49
[illegible] [illegible]रीय	1069	13854	8936	22790	18327	12173	30500	14.6	28
योग (1+2) [illegible]बाद- अयोध्या नगरीय क्षेत्र	3150	57265	45570	102835	73052	59321	132373	63.3	42
फैजाबाद अयोध्या नगरीय क्षेत्र की भावी नगरीयकरण योग्य सीमा के अन्तर्गत आने वाला ग्रामीण क्षेत्र (आंशिक-क्षेत्र)	1032	2487	1918	4405	2850	2215	5065	2.4	5
5. शेष ग्रामीण क्षेत्र	9185	29903	25762	55665	37779	33983	71762	34.3	8
6. योग (4+5) प्रस्तावित विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत का कुल ग्रामीण क्षेत्र	10217	32390	27680	60070	40629	36198	76827	36.7	7
7. सकल योग (3+6) संपूर्ण प्रस्तावित फैजाबाद- अयोध्या विनियमित क्षेत्र	13367	89655	73250	162005	113681	95519	209200	100.00	15

स्रोत:- जनगणना वर्ष 1971, प्राविजनल-पापुलेशन टोटल जनसंख्या वर्ष 1981 एवं फैजाबाद सम्भागीय नियोजन खण्ड, फैजाबाद।

सारिणी संख्या · 5·2

फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व एवं साक्षरता का विवरण, [illegible] 1981

(वार्डों के क्रम में)

क्र०सं०	वार्ड का नाम	जनसंख्या	कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर	सकल घनत्व (व्यक्ति प्रति हेक्टेयर)	साक्षर	कुल जनसंख्या पर साक्षरता प्रतिशत में ।
1	2	3	4	5	6	7
1·	[illegible]हादतगंज	5479	150	37·5	2140	39·0
2·	सिविल लाइन	6244	194	32·1	4125	66·1
3·	रा[illegible]	6015	74	81·3	3549	59·0
4·	[illegible]	7078	102	69·4	4100	57·9
5·	झार[illegible]डी	4504	62	73	3036	67·4
6·	रकाबगंज	5388	56	96	3485	64·6
7·	अंगूरीबाग	5194	309	17	2697	51·9
8·	खन्डारी	6339	76	83	3992	63·0
9·	बेगमगंज	6997	158	44	2384	34·1
10·	दिल्लीदरवाजा	5097	91	56	3031	59·5
11·	राठ हवेली	5840	141	42	2906	49·8
12·	अमानीगंज	6291	286	22	2591	41·2
13·	साहबगंज	5540	71	78	3214	58·0
14·	गुलाबबाड़ी	4704	76	62	2954	62·7
15·	हैदरगंज	4557	81	64	2974	52·6
16·	सब्जीमंडी	5994	71	84	3603	60·1
17·	जोरा	4959	153	32	2066	41·7
18·	लालबाग	5653	120	47	2823	50·0
	फैजाबाद नगरीय	101873	2271	45	55670	54·6
1·	रानोपाली	3412	170	20	1386	40·6
2·	हनुमानगढ़ी	1184	120	10	685	57·8
3·	कटरा वार्ड	3173	110	29	1252	39·4
4·	राम कोट	2837	130	22	1920	67·6

2	3	4	5	6	7
[illegible]	2533	110	23	1307	51·5
[illegible] घाट	3259	61	54	1652	50·6
[illegible] घाट	3072	124	25	1937	63·0
[illegible] घाट	2883	95	30	1735	60·2
[illegible]	2554	94	27	1367	53·5
[illegible]	1833	165	11	802	43·7
[illegible]	3700	310	12	1657	44·1
[illegible]	30500	1489	21	15700	
[illegible] नगरीय क्षेत्र	132373	3760	95	71370	53·9

[illegible]:-

1- प्राविजनल पापुलेशन टोटल 1981 (लखनऊ से संकलित)
2- वर्ष 1971-81 में नगरपालिका सीमा में अन्तर के कारण ।

5.3 जनसंख्या वृद्धि की दर :

5.3.1 पहले के दशकों में जनसंख्या वृद्धि/हृास जानने के लिये आवश्यक आंकड़े नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिये समान रूप में उपलब्ध नहीं है। फैजाबाद- अयोध्या नगरीय क्षेत्र से सम्बन्धित ये उपलब्ध आंकड़े निम्नलिखित रूप में है:-

सारणी संख्या 5.2(ए)

फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या और उसकी वृद्धि/हृास दर दशक वर्ष 1931-81

क्रम सं0	दशक वर्ष	जनसंख्या	दशक विचलन	प्रतिशत वृद्धि दर
1.	1931	59,992	-	-
2.	1941	55,215	- 4,777	- 7.9
3.	1951	76,582	+ 21,367	+ 38.7
4.	1961	83,717	+ 7,135	+ 9.3
5.	1971	1,02,835	+ 19,118	+ 22.8
6.	1981	1,32,373	+ 29,538	+ 28.7

स्रोत:- भारतीय जनगणना वर्ष 1981

5.3.2 ऊपर की सारणी के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या के वृद्धि दर के पिछले 50 वर्षों में अधिक उतार-चढ़ाव विभिन्न विशिष्ट परिस्थितियों के कारण आया, जिसकी पुष्टि आंकड़ों द्वारा सम्भव नहीं है। वर्ष 1941 में जनसंख्या वृद्धि दर के शून्य से भी कम (-7.9 प्रतिशत) होने, वर्ष 1951 में जनसंख्या वृद्धि दर के सर्वाधिक (+38.7 प्रतिशत) होने और वर्ष 1961 में जनसंख्या वृद्धि दर के पुन: घट जाने (9.3 प्रतिशत) के कारण क्रमश: मुख्य रूप में वर्ष 1941 की प्रदेश व्यापी महामारी, वर्ष 1947 में देश विभाजन के फलस्वरूप भारी संख्या में शरणार्थियों का आना और बाद में परिस्थितियों के सामान्य एवं स्थिर होने के कारण लोगों का दूसरे उपयुक्त स्थानों एवं अपने स्थाई स्थानों पर लौट जाना रहा। वर्ष 1961-71 के दशक में नगर की जनसंख्या वृद्धि की दर 22.8 प्रतिशत रही जो इस दशक के लिये भारत एवं उत्तर-प्रदेश की नगरीय जनसंख्या की क्रमश: 30.7 एवं 38.2 प्रतिशत वृद्धि की दर की तुलना में क्रमश: 7.9 एवं 15.4 प्रतिशत कम है, इसी प्रकार दशक वर्ष 1971-81 में वृद्धि दर 28.7 प्रतिशत रही जो क्रमश: 2 एवं 9.5 प्रतिशत कम है ।

5.3.3 कुल ग्राम्य क्षेत्रों की वर्ष 1961 की कुल जनसंख्या 50,016 थी, जो वर्ष 1971 में बढ़कर 59,819 हो गयी। इस प्रकार दशक वर्ष 1961-71 में ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या की वृद्धि दर 19.6 प्रतिशत रही जो उत्तर-प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की इसी अवधि की 18.7 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से लगभग एक प्रतिशत अधिक है।

5.4 जनसंख्या घनत्व:

5.4.1 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में आबादी क्षेत्र का विस्तार मुख्यतया सड़क मार्गों के किनारे हुआ है। सड़क मार्ग से आबादी क्षेत्र की गहराई प्राय: 200-400 मीटर से अधिक नहीं है। नगरीय क्षेत्र में किए गये विभागीय भू- उपयोग सर्वेक्षण के आधार पर वर्तमान

जनसंख्या घनत्व को सारणी संख्या 5·1 में स्पष्ट कर दिया गया है। ऐसे 9 ग्रामों जो भावी नगरीय क्षेत्र की प्रवृत्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं, उनकी भी वर्तमान जनसंख्या घनत्व उक्त सारणी में दिखा दिया गया है।

सारणी संख्या 5·3

फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में वार्डवार जनसंख्या घनत्व वर्ष 1978

क्रम सं०	वार्ड का नाम	जनसंख्या	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	आवासीय क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सकल घनत्व (ग्रास-डेन्सिटी)	आवासीय घनत्व (रेजीडेन्सियल डेन्सिटी)
1	2	3	4	5	6	7
1·	सिविल लाइन्स	14,864	343	81	43	184
2·	कन्धारी बाजार	9,581	107	55	90	179
3·	दिल्ली दरवाजा	7,861	78	33	101	238
4·	रिकाबगंज	9,581	38	24	252	399
5·	दालमण्डी	13,143	104	28	126	469
6·	लालबाग	7,861	236	46	33	171
7·	हैदरगंज	13,266	62	44	214	302
8·	राठ हवेली	11,301	99	47	114	240
9·	साहबगंज	8,107	235	67	35	121
	योग फैजाबाद	95,565	1,302	425	73	225
10·	रामकोट	10,564	342	156	30	68
11·	रायगंज	16,706	315	93	51	180
	योग अयोध्या	27,270	657	249	40	110
	सकल योग फैजाबाद-अयोध्या	1,22,835	1,959	674	62	182

स्रोत:- फैजाबाद सम्भागीय नियोजन खण्ड, फैजाबाद ।

× इस क्षेत्रफल में नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले 1191 हेक्टेयर बाढ़ प्रभावित भाग का क्षेत्रफल सम्मिलित नहीं है ।

5.5 लिंगानुपात (सेक्स रेशियो):

5.5.1 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या का लिंगानुपात पिछले 5 दशकों में 717 से 796 के मध्य घटता-बढ़ता रहा है। वर्ष 1971 में यह 796 था जब कि उत्तर-प्रदेश एवं भारतवर्ष के संदर्भ में यह क्रमशः 879 एवं 930 रहा।

5.6 जनसंख्या प्रक्षेपण:

5.6.1 वर्ष 2001 तक की नियोजन अवधि में फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र की भावी नगरीयकरण योग्य सीमा के अन्तर्गत 9 ग्राम क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र तथा इसके भावी नगरीयकरण योग्य सीमा के अन्तर्गत आने वाले गाँवों की भावी जनसंख्या का अनुमान विभिन्न गणितीय एवं सांख्यिकीय विधियों एवं आव्रजकों (इमीग्रेन्ट्स) की सम्भावित संख्या के आधार पर लगाया गया है। इन अनुमानों के आधार पर फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र की 1971 की 1,02,835 की जनसंख्या वर्ष 2001 में 2,04,475 और भावी नगरीयकरण योग्य सीमा के अन्तर्गत आने वाले 9 गाँवों की 1971 की 4,405 की जनसंख्या वर्ष 2001 में 6,497 हो जायेगी। फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र की वर्ष 2001 तक की प्रक्षेपित जनसंख्या 2,10,972 होगी जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है।

सारणी संख्या 5·4

फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र एवं इसके भावी नगरीयकरण योग्य सीमा के अन्तर्गत आने वाले गांवों की प्रक्षेपित जनसंख्या: दशक वर्ष 1971-2001

क्रम सं0	क्षेत्र	जनसंख्या			
		1971	1981	1991	2001
1	2	3	4	5	6
1·	फैजाबाद नगरीय क्षेत्र	80,045	1,01,873	1,29,367	1,57,680
2·	अयोध्या नगरीय क्षेत्र	22,790	30,500	38,220	46,795
	योग (1+2)	1,02,835	1,32,373	1,67,587	2,04,475
3·	फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र के भावी नगरीयकरण योग्य सीमा के अन्तर्गत आने वाले 9 ग्राम्य क्षेत्र	4,405	5,065	5,770	6,497
	सकल योग	1,07,240	1,37,438	1,37,357	2,10,972

स्रोत:- फैजाबाद सम्भागीय नियोजन खण्ड, फैजाबाद।

अध्याय- छ

6. ### आर्थिक आधार:

6.1 नगर के विकास में स्थानीय एवं क्षेत्रीय आर्थिक क्रियाओं का बहुत अधिक महत्व होता है। ये आर्थिक क्रियायें नगर में उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधनों पर आधारित होती हैं। वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र की कुल 1,02,835 जनसंख्या में से 27,394 लोग (26.6 प्रतिशत) विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में कार्यरत थे। [illegible] 27,394 श्रमिक में से 25,608 पुरुष श्रमिक ([illegible]5 प्रतिशत) और 1,776 स्त्री श्रमिक (6.5 प्रतिशत) थे। प्रस्तावित फैजाबाद-अयोध्या विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत नगरीय एवं भावी नगरीयकरण योग्य सीमा के अन्तर्गत आने वाले 9 ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के वितरण को विस्तार से सारणी संख्या 6.1 में दिया है।

सारणी संख्या 6·1

फैजाबाद-अयोध्या विनियमित क्षेत्र में नगरीय एवं ग्रामीण श्रमिकों का व्यवसायवार विवरण: वर्ष 1971

क्रम सं0	क्षेत्र	कुल श्रमिक 1971	प्राथमिक क्षेत्र (प्राइमरी सेक्टर)	द्वितीय क्षेत्र (सेकेन्ड्री सेक्टर)			
				गृह उद्योग	निर्माणकारी उद्योग	निर्माण	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1·	फैजाबाद नगरीय क्षेत्र	22,265 100·0 प्रतिशत	2,934 13·1 प्रतिशत	3,490 15·7 प्रतिशत	1,106 5·0 प्रतिशत	298 1·3 प्रतिशत	4,894 22·0 प्रतिशत
2·	अयोध्या नगरीय-क्षेत्र	5,129 100·0 प्रतिशत	1,419 27·7 प्रतिशत	409 8·0 प्रतिशत	220 4·3 प्रतिशत	136 2·6 प्रतिशत	765 14·9 प्रतिशत
	योग (1+2)	27,394 100·0 प्रतिशत	4,353 15·8 प्रतिशत	3,899 14·3 प्रतिशत	1,326 4·8 प्रतिशत	434 1·6 प्रतिशत	5,659 20·7 प्रतिशत
3·	फैजाबाद-अयोध्या, संयुक्त क्षेत्र के भावी नगरीयकरण योग्य सीमा के अन्तर्गत आने वाला ग्राम क्षेत्र	1,577 100·0 प्रतिशत	890 56·4 प्रतिशत	117 7·4 प्रतिशत	30 1·9 प्रतिशत	21 1·2 प्रतिशत	168 10·5 प्रतिशत
	सकल योग (1+2)+3	28,971 100·0 प्रतिशत	5,243 18·1 प्रतिशत	4,016 13·9 प्रतिशत	1,356 4·7 प्रतिशत	455 1·5 प्रतिशत	5,827 20·1 प्रतिशत

तृतीयक क्षेत्र §टरसियरी सेक्टर §			
व्यापार एवं वाणिज्य	परिवहन एवं संचार	अन्य सेवाएं	योग
4,680	1,962	7,795	14,437
21·0 प्रतिशत	8·9 प्रतिशत	35·0 प्रतिशत	64·9 प्रतिशत
940	321	1,684	2,945
18·3 प्रतिशत	6·3 प्रतिशत	32·8 प्रतिशत	57·4 प्रतिशत
5,6[illegible]0	2,283	9,47[illegible]	17,382
[illegible]0·5 प्रतिशत	8·4 प्रतिशत	34·6 प्रतिशत	63·5 प्रतिशत
64	196	259	[illegible]19
4·1 प्रतिशत	12·4 प्रतिशत	16·4 प्रतिशत	32·9 प्रतिशत
5,684	2,479	9,738	17,901
19·6 प्रतिशत	8·6 प्रतिशत	33·6 प्रतिशत	61·8 प्रतिशत

स्रोत:- जनगणना, वर्ष 1971

6·2 उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि, फैजाबाद तथा अयोध्या दोनों ही नगरीय केन्द्रों में 1971 में श्रमिकों की सबसे अधिक संख्या तृतीयक क्षेत्र के अन्तर्गत थी जिसका प्रतिशत क्रमशः 64·9 एवं 57·4 आता है। अलग-अलग व्यवसायवार श्रमिकों के विभाजन की दृष्टि से दोनों ही नगरीय क्षेत्रों में "अन्य सेवाएं" व्यवसाय श्रेणी के अन्तर्गत श्रमिकों के सर्वोच्च भाग क्रमशः 35·0 एवं 32·8 प्रतिशत का कार्यरत रहना पाया गया है। इसके बाद फैजाबाद नगरीय क्षेत्र में "व्यापार एवं वाणिज्य" §21·0 प्रतिशत§ और अयोध्या नगरीय क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र §27·7 प्रतिशत§ के श्रमिकों की भागदारी का स्थान आता है। अयोध्या नगरीय क्षेत्र में तीसरे स्थान पर "व्यापार एवं वाणिज्य" श्रेणी के श्रमिकों की भागीदारी आती है, जहाँ इनका प्रतिशत 18·3 प्रतिशत आता है। द्वितीयक क्षेत्र में श्रमिकों की भागीदारी का कम होना इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि, यहाँ उद्योगों का अभाव रहा है, जो कुछ उद्योग हैं उनमें से अधिकांश गृह उद्योग तथा सेवा उद्योग की श्रेणी में आते हैं और इन उद्योगों में रोजगार क्षमता बहुत सीमित होती है। फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र के अलावा भावी नगरीयकरण योग्य सीमा के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों का व्यवसाय के अनुसार विभाजन स्वाभाविक रूप में ग्रामीण चरित्र का है और यहाँ पर अधिक से अधिक §56·4 प्रतिशत§ श्रमिक "प्राथमिक-क्षेत्र" §जिसमें कृषि एवं कृषि पर आधारित अन्य कार्यों को सम्मिलित किया जाता है§ में कार्यरत पाये जाते हैं। दूसरे स्थान पर "तृतीय-क्षेत्र" आता है। इसके कुल 32·9 प्रतिशत श्रमिकों में से अन्य सेवाएं एवं परिवहन तथा संचार श्रेणी के अन्तर्गत क्रमशः 16·4 एवं 12·4 §योग 28·8 प्रतिशत§ श्रमिक आते हैं।

6·3 भावी व्यवसायिक संरचना: नगर से महानगर तथा ग्राम से नगर की ओर जनसंख्या के आकर्षित होकर आने, कृषि एवं कृषि पर आधारित व्यवसाय की अपेक्षा उद्योग एवं व्यापार तथा व्यवसाय में

नगरीयकरण योग्य सीमा के अन्तर्गत श्रमिको का
व्यावसायिक स्ट्रक्चर वर्तमान और प्रस्तावित

WORKERS OCCUPATIONAL STRUCTURE
WITHIN URBANISABLE LIMIT (EXISTING AND PROPOSED)

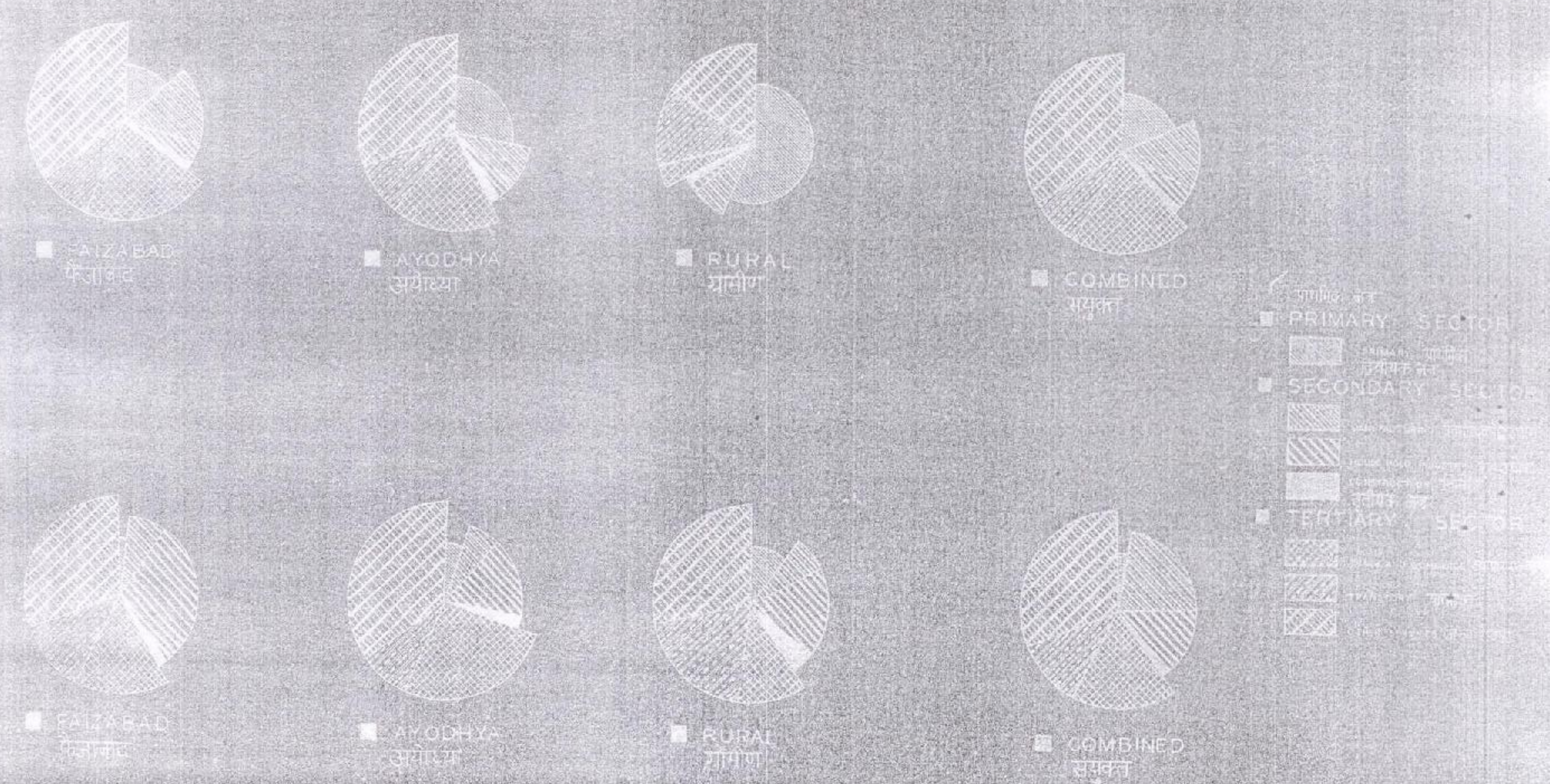

निश्चित एवं आकर्षक आय की सम्भावना तथा शासन द्वारा छोटे नगरों में उद्योगों के फैलाव को प्रोत्साहित किये जाने की नीति के फलस्वरूप यह अनुमान लगाया जाता है कि, फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में द्वितीयक क्षेत्र के अन्तर्गत औद्योगिक क्रियाओं का अधिकाधिक विकास होगा और इस विकास के साथ-साथ व्यापारिक, अन्य सेवाएं एवं यातायात तथा परिवहन श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली क्रियायें भी अनुपातिक रूप में बढ़ेगी। नगरीय चरित्र को दर्शाने वाली इन क्रियाओं में वृद्धि के साथ- साथ प्राथमिक क्षेत्र की क्रियायें कम आर्थिक लाभ वाली रह जाने के कारण संकुचित होती जायेगी। सारणी संख्या 6·1 में विगत जनगणना दशक 1971 में कार्मिकों के विभिन्न सकलों का वितरण उपरोक्त तथ्य की पुष्टि करता है ।

6·3·1 जनगणना वर्ष 1981 में कार्मिकों की विभिन्न श्रेणियों के वितरण की परिभाषा परिवर्तित हो जाने के फलस्वरूप वर्ष 1971 तथा 1981 के कार्मिकों का तुलनात्मक अध्ययन सम्भव नहीं हो पा रहा है, फिर भी वर्ष 1981 की जनगणना की परिवर्तित परिभाषा के अनुसार सारणी संख्या 6·2 में फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र तथा भावी नगरीयकरण योग्य ग्रामीण क्षेत्र के कार्मिकों की विभिन्न श्रेणियों में इंगित किया गया है। इस तालिका के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र तथा भावी नगरीयकरण योग्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण प्रवृत्ति के द्योतक कार्मिकों (काश्तकार, खेतिहर मजदूर) आदि का क्रमशः ह्रास हुआ है, तथा नगरीय प्रवृत्ति के द्योतक कार्मिकों की अन्य श्रेणियों में उत्तरोत्तर वृद्धि की सम्भावनायें बलवती हुई है।

[illegible]बाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र तथा भावी नगरीयकरण योग्य ग्रामीण क्षेत्रों का [illegible] विवरण वर्ष 1981

क्षेत्र का नाम	कुल श्रमिक वर्ष 1981	कृषितकार	खेतिहर मजदूर	गृह-उद्योग उत्पादन संसाधन मरम्मत आदि	अन्य कार्मिक	सीमान्तक कार्मिक	विशेष विवरण
फैजाबाद	27089	1510	1514	2013	21814	238	
नगरीय क्षेत्र (प्रतिशत में)	100	5·5	5·6	7·5	80·6	0·8	
	(73·2)	(4·1)					
अयोध्या नगरीय क्षेत्र	8102	909	854	226	5957	156	
	100 प्रतिशत	11·2 प्रतिशत	10·5 प्रतिशत	2·8 प्रतिशत	73·6 प्रतिशत	1·9	
	(21·9)	(2·4)					
योग (1+2)	35191	2419	2368	2239	27771	394	
	100 प्रतिशत	6·9	6·7	6·4	78·8	1·2	
	(95·1) प्रतिशत	(6·5)					
फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र के भावी नगरीयकरण योग्य सीमा के अन्तर्गत आने वाला ग्रामीण क्षेत्र	1813	118	375	48	1250	22	
		(0·3)					
	100 प्रतिशत	6·5 प्रतिशत	20·7 प्रतिशत	2·7 प्रतिशत	68·9 प्रतिशत	1·2 प्रतिशत	
		(4·9) प्रतिशत					
सकल योग	37004	2537	2743	2287	29021	416	
	100 प्रतिशत	6·8 प्रतिशत	714 प्रतिशत	6·2 प्रतिशत	78·5 प्रतिशत	1·1 प्रति0	

सारणी संख्या 6·2

...बाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र एवं इसके भावी नगरीयकरण योग्य सीमा के ...र्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों का व्यवसायवार भावी अनुमानित ...वरण:

1981-2001

क्रम सं0	श्रमिकों की व्यवसायिक श्रेणी	श्रमिकों का वितरण 1981 नगरीय	ग्रामीण	योग	1991 नगरीय	ग्रामीण	योग
1·	प्राथमिक क्षेत्र	4,787	780	5,567 15·0 प्रतिशत	3,166	478	3,644 7·0 प्रतिशत
2·	द्वितीय क्षेत्र	2,239	272	2,511 6·8 प्रतिशत	17,212	519	17,731 32·0 प्रतिशत
3·	तृतीय क्षेत्र	28,165	761	28,926 78·20 प्रतिशत	32,632	1,080	33,712 61·0 प्रतिशत
	कुल श्रमिक	35,191	1,813	37,004 100·0 प्रतिशत	53,010	2,077	55,087 100·0 प्रतिशत
	कुल जनसंख्या	1,36,021	5,065	1,41,086	1,67,587	5,770	173,357
	पार्टीसिपेशन रेट			28·9 प्रतिशत			31·8 प्रतिशत

स्रोत:- फैजाबाद सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।

2001		
नगरीय	ग्रामीण	योग
1,837	236	2,073 3.0 प्रतिशत
26,215	707	26,922 37.0 प्रतिशत
42,751	1,415	44,166 60.0 प्रतिशत
70,803	2,358	73,161 100 प्रतिशत
2,04,475	6,497	2,10,972 34.7 प्रतिशत

स्रोत:- फैजाबाद सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।

सारणी संख्या- 6·3

फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र तथा भावी नगरीयकरण योग्य ग्रामीण क्षेत्र में कार्मिक पार्टीसिपेशन रेट।

वार्षिक	फैजाबाद नगरीय क्षेत्र			अयोध्या नगरीय क्षेत्र			भावी नगरीकरण योग्य क्षेत्र		
	जनसंख्या	कार्मिकों की संख्या	पार्टीसिपेशन दर	जनसंख्या	कार्मिकों की संख्या	पार्टीसिपेशन दर	जनसंख्या	कार्मिकों की संख्या	पार्टीसिपेशन दर
1971	80,045	22,255	27·8 प्रति०	22,790	5,129	22·5 प्रति०	4,405	1,577	35·3 प्रति०
1981	1,01,873	27,089	26·6	30,500	8,102	26·6	5,065	1,813	35·8 प्रति०
1991	1,29,367	38,810	30·0	38,220	14,200	37 प्रति०	5,770	2,077	36 प्रति०
2001	1,57,680	49,447	31·4	46,795	21,356	45·6	6,497	2,358	36·4

स्रोत:- जनगणना पुस्तिका 1971, प्राविजनल पापुलेसन टोटल, 1981 तथा विभागीय प्रक्षेपण ।

अध्याय- सात

भू-उपयोग:-

7·1 वर्तमान स्थिति:

7·1·1 फैजाबाद-अयोध्या विनियमित क्षेत्र के कुल 13,367 हेक्टर (33,018 एकड़) क्षेत्रफल में से 3,150 हेक्टर (7,782 एकड़) क्षेत्र फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। जिसमें से 2,081 हेक्टर (5,141 एकड़) फैजाबाद नगर और 1,069 हेक्टर (2,641 एकड़) अयोध्या नगर का भाग है। यद्यपि फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र प्रथम श्रेणी के नगरों में माना गया है परन्तु विभिन्न भू-उपयोगों का परस्पर मिला-जुला रूप यहाँ की सामान्य विशेषता है। परिणाम-स्वरूप गैर-शहरी फंक्शन का सूचक कृषि भू-उपयोग तथा नगरीय फंक्शन के सूचक अन्य भू-उपयोगों का यहाँ बहुधा साथ-साथ स्थित होना सामान्य बात है। फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का लगभग 31 प्रतिशत भाग विकसित भू-उपयोग के अन्तर्गत और शेष लगभग 69 प्रतिशत भाग अविकसित भू-उपयोग के अन्तर्गत आता है।

7·1·2 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में विभिन्न भू-उपयोगों के अन्तर्गत आने वाले भू-क्षेत्रफल का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है।

सारणी संख्या 7·1

फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में विभिन्न भू-उपयोगवार वर्तमान भू-उपयोग वितरण वर्ष 1977-78 (क्षेत्रफल एकड़ में)

क्रमांक	भू-उपयोग	फैजाबाद		अयोध्या		फैजाबाद-अयोध्या संयुक्त	
		क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत
	विकसित भू-उपयोग						
	आवासीय	1,049·00	20·40	616·00	23·30	1,665·00	21·40
	व्यापारिक	9·41	·20	4·20	·16	13·61	·20
	औद्योगिक	3·03	·06	4·00	·15	7·03	·10
	सामुदायिक सुविधा व विकसित खुला-स्थल	89·75	1·70	24·25	·90	114·00	1·40
	उपयोगिता एवं सेवायें	5·30	·10	1·35	·05	6·65	·10
	यातायात	251·70	4·90	65·40	2·50	317·10	4·10
	प्रशासनिक	204·00	4·00	5·00	·20	209·00	2·70
8·	धार्मिक	58·50	1·14	42·00	1·60	100·50	1·30
	योग	1,670·69	32·50	762·20	28·86	2,432·89	31·30
(ब)	अविकसित भू-उपयोग:						
9·	बाग	323·00	6·30	277·00	10·50	600·00	7·70
10·	कृषि	960·00	18·70	329·00	12·46	1,289·00	16·60
11·	रिक्त भूमि (वेकेंट लैंड)	237·25	4·60	280·75	10·63	518·00	6·60
12·	बाढ़ प्रभावित	1,308·00	25·40	556·00	21·05	1,864·00	24·00
13·	जल क्षेत्र (वाटर बाडी)	642·00	12·50	436·00	16·50	1,078·00	13·80
	योग	3,470·25	67·50	1878·75	71·14	5,349·00	68·70
	सकल योग (अ+ब)	5,140·94	100·00	2640·95	100·00	7,781·89	100·00

स्रोत:- फैजाबाद सम्भागीय नियोजन खण्ड ।

7·1·3 सारणी संख्या 7·1 से स्पष्ट होता है कि फैजाबाद तथा अयोध्या नगरीय क्षेत्रों के कुल क्रमशः 32·50 एवं 28·86 प्रतिशत विकसित भू-उपयोग में से सर्वाधिक प्रतिशत आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत आता है जो क्रमशः 20·4 एवं 23·3 प्रतिशत है। आवासीय भू- उपयोग के उपरान्त दोनों की नगरीय क्षेत्रों में यातायात भू-उपयोग का स्थान आता है जो कुल विकसित भू-उपयोग क्षेत्रफल में क्रमशः 4·9 एवं 2·5 प्रतिशत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से फैजाबाद में तीसरे स्थान पर प्रशासनिक भू-उपयोग और अयोध्या में धार्मिक भू-उपयोग का क्षेत्र आता है जो इन नगरों के कुल विकसित भू-उपयोग क्रमशः 4·00 और 1·60 प्रतिशत है। विकसित भू-उपयोग के अन्तर्गत सबसे कम भू- क्षेत्र फैजाबाद में औद्योगिक भू-उपयोग का और अयोध्या में उपयोगिता एवं सेवायें भू-उपयोग का है जो कुल विकसित उपयोग में मात्र लगभग ·66 एवं ·05 प्रतिशत है। अविकसित भू-उपयोग के अन्तर्गत दोनों की नगरीय क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रतिशत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का है जो कुल अविकसित भू-उपयोग के क्रमशः 67·50 एवं 71·14 प्रतिशत में से क्रमशः 25·40 एवं 21·05 प्रतिशत है ।

7.2 प्रस्तावित भू-उपयोग:

7.2.1 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान में कुल लगभग 3,150 हेक्टर (7,782 एकड़) क्षेत्र आता है जिसमें लगभग 1,191 हेक्टर (2,942 एकड़) क्षेत्र बाढ़ प्रभावित तथा जल क्षेत्र (वाटर बाडी) भू-उपयोगों के अन्तर्गत आता है। यह अनुमान लगाया गया है कि, योजना काल के अन्त तक वर्तमान नगरीय क्षेत्र में तथा इसके बाहर शहरीकरण का कार्य-कलाप बढ़ जायेगा तथा नगर वर्तमान क्षेत्र से बढ़कर निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों को भी आत्मसात कर लेगा। इन ग्राम्य क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल लगभग 1,032 हेक्टर आता है। इस प्रकार इन ग्रामीण क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुये महायोजना के अनुसार फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 4,200 हेक्टर क्षेत्र होगा।

7.2.2 भावी भू-उपयोग के स्वरूप का अनुमान निर्धारित करते समय वर्तमान नगरीय क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित तथा जल क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कुल 1,191 हेक्टर क्षेत्र को सम्मिलित नहीं रक्खा गया है, क्योंकि इन क्षेत्रों का वर्तमान चरित्र योजना अवधि तक यथावत् बना रहना सम्भावित है जहाँ पर कि कोई विकास कार्य सम्भव नहीं होगा। इसलिये इन क्षेत्रों पर अन्य दूसरा भू-उपयोग विनिर्दिष्ट (स्पेसीफाइड) नहीं किया गया है। इस आधार पर कुल 4,200 हेक्टर क्षेत्र में से वर्तमान बाढ़ प्रभावित तथा जल क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाला कुल लगभग 1,191 हेक्टर क्षेत्र को निकालकर शेष 3,009 हेक्टर क्षेत्र को भावी भू-उपयोग के अन्तर्गत निम्नलिखित रूप से प्रस्तावित किया गया है।

सारणी संख्या 7·2

फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र का भावी भू-उपयोग वितरण वर्ष 2001

क्रम संख्या	भू-उपयोग	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्रतिशत
1·	आवासीय	1,343·30	54·7
2·	व्यापारिक	114·23	4·3
3·	औद्योगिक	160·00	6·6
4·	राजकीय एवं अर्द्धराजकीय	115·63	5·0
5·	सामुदायिक सुविधायें और उपयोगितायें एवं सेवायें	114·00	4·7
6·	सड़क यातायात तथा पर्यटन पार्किंग.	222·00	9·1
7·	रेल यातायात	108·00	4·4
8·	धार्मिक एवं सांस्कृतिक	56·00	2·3
9·	उपवन/खुला स्थल	54·84	2·4
10·	मेला स्थल	66·00	2·7
11·	यात्री आवास एवं आध्यात्म क्षेत्र	91·00	3·8
	योग	2,445·00	100·00
12·	हरित क्षेत्र (ग्रीन बेल्ट)	564·00	-
	सकल योग	3,009·00	-

स्रोत:- फैजाबाद सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0

अध्याय- आठ

8·0 व्यापार एवं वाणिज्य:

8·1 विस्तार:

8·1·1 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र के व्यापार का मुख्य स्वरूप फुटकर व्यापार है जो इस नगरीय क्षेत्र तथा इसके निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या की आवश्यकताओं के साथ-साथ नगरीय क्षेत्र में विशेषकर अयोध्या में विभिन्न मेला व स्नान के अवसरों पर आने वाली एक विशाल अस्थिर जनसंख्या की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। 1971 की जनगणना के अनुसार फैजाबाद-अयोध्या के नगरीय क्षेत्र में कुल 5,620 व्यक्ति व्यापार एवं वाणिज्य की क्रियाओं में लगे थे जो इस नगरीय क्षेत्र के कुल 27,384 श्रमिकों का 20·5 प्रतिशत ठहरते हैं। व्यापारिक क्रियाओं में लगे इन 5,620 लोगों में से 4,680 व्यक्ति (83·3 प्रतिशत) फैजाबाद नगरीय क्षेत्र और शेष 940 व्यक्ति (16·7 प्रतिशत) अयोध्या नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। फैजाबाद एवं अयोध्या नगरीय क्षेत्रों के कुल क्रमशः 22,255 एवं 5,129 श्रमिकों में से इन नगरीय क्षेत्रों में व्यापार एवं वाणिज्य व्यवसाय के अन्तर्गत लगे लोगों का अलग-अलग प्रतिशत क्रमशः लगभग 21 एवं 18 आता है।

8·2 व्यापार का वर्तमान स्वरूप:

8·2·1 फुटकर व्यापार:

फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र की व्यापारिक इकाइयों के संदर्भ में वर्ष 1977 में फैजाबाद सम्भागीय नियोजन खण्ड द्वारा किये गये सर्वेक्षण कार्य (जिसके अन्तर्गत विभिन्न सड़क/मार्गों पर स्थित दुकानों से सम्बन्धित आंकड़े संकलित किये गये हैं) से स्पष्ट होता है कि, फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र की सर्वेक्षित 3,237

दुकानों में से 2,281 (लगभग 70·5 प्रतिशत) दुकानें फैजाबाद नगरीय क्षेत्र और शेष 956 (लगभग 29·5 प्रतिशत) दुकानें अयोध्या नगरीय क्षेत्र में आती हैं। फैजाबाद नगरीय क्षेत्र की फुटकर दुकानें मुख्यत: चौक क्षेत्र और चौक- मुजफरा नाका, चौक- रिकाबगंज चौराहा (हनुमान मंदिर), चौक-दिल्ली दरवाजा चौराहा (घाटों-मार्ग) तथा रिकाबगंज चौराहा, फतेहगंज चौराहा मार्गों पर स्थित है, चौक क्षेत्र में ही विशिष्ट सब्जी मंडी तथा मछली मंडी का क्षेत्र है जहाँ इन वस्तुओं की क्रमश: 20 और 30 दुकानें समूह के रूप में एक स्थान पर क्रमबद्ध रूप में है। अयोध्या नगरीय क्षेत्र की दुकानें मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर हनुमानगढ़ी चौराहा से तथा घाट: के मध्य और राष्ट्रीय राजमार्ग 28 तथा हनुमानगढ़ी के मध्य के लगभग 300 मीटर लम्बे सड़क/मार्ग के किनारे स्थित है। फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में दुकानें मुख्यत: पट्टी विकास (रिबन डेवलपमेंट) के रूप में हैं।

8·2·2 फैजाबाद नगर के चौक क्षेत्र (जो नगर का प्रमुख व्यापारिक केन्द्र विन्दु है) से होकर ही राष्ट्रीय राजमार्ग-28 (लखनऊ-मुकामा घाट (विहार) और प्रान्तीय राजमार्ग-9 (बहराइच-इलाहाबाद) जाता है। इन मार्गों पर बने संकरे मार्ग द्वार (गेटवे), प्रत्येक छोटी-बड़ी खरीददारी के लिये अधिकांश लोगों का इसी स्थान पर आने तथा यातायात वाहनों के भी इस क्षेत्र से चलने की आवश्यकता के कारण, यह क्षेत्र परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने वाली व्यापारिक एवं यातायात जन्य समस्याओं का शिकार बना रहता है।

8·2·3 <u>थोक व्यापार:</u>

फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में अनाज तथा सब्जी व फल के दो थोक मंडी स्थल हैं। अनाज की थोक मंडी जो पहले फतेहगंज में स्थित थी, अब कृषि मंडी समिति द्वारा फैजाबाद-

रायबरेली मार्ग पर विकसित आधुनिक मंडी स्थल पर स्थानान्तरित हो गयी है। सब्जी व फल से सम्बन्धित थोक मंडी स्थल जो चौक क्षेत्र में स्थित है, पर क्रय एवं विक्रय का कार्य क्रमशः एक अर्द्ध खुले एवं खुले स्थल पर प्रातः काल के समय 3- 4 घंटों में होता है। ऊपर पैरा 8·2·1 में उल्लिखित सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि, फैजाबाद में थोक व्यापार की 55 दुकानें थीं और अयोध्या में थोक व्यापार की 3 दुकानें थीं।

8·2·4 फैजाबाद नगर में सब्जी एवं फल के थोक मंडी स्थल एक सकरे क्षेत्रों में है। इन स्थलों पर वाहनों विशेषकर भारी वाहनों का आना-जाना सुगमता के साथ सम्भव न होने के कारण ये स्थल थोक मंडी की आवश्यकता की दृष्टि से उपयुक्त नहीं हैं।

8·3 <u>भावी स्वरूप:</u>

8·3·1 यह अनुमान लगाया गया है कि, भविष्य में फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्रों में नगरीय स्वरूप में और विकास होगा और फैजाबाद नगर, औद्योगिक केन्द्र के रूप में विकसित होने के साथ-साथ एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र के रूप में भी विकसित होगा। यह नगर पूरे जनपद के लिये व्यापारिक वस्तुओं के वितरण केन्द्र का काम करेगा। वर्ष 2001 में योजना अवधि की समाप्ति पर फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में व्यापार एवं वाणिज्य व्यवसाय के अन्तर्गत कुल 13,155 (कुल श्रमिक संख्या का 18·0 प्रतिशत) लोगों के कार्यरत रहने का अनुमान लगाया गया है। इन 13,155 लोगों में से वर्तमान फैजाबाद तथा अयोध्या के अलग-अलग नगरीय क्षेत्रों के क्रमशः 9,082 एवं 3,790 व्यक्ति (कुल 12,872 व्यक्ति) व्यापार एवं वाणिज्य व्यवसाय के अन्तर्गत कार्यरत होंगे जो इन नगरीय क्षेत्रों के अलग-अलग कुल श्रमिकों के क्रमशः 16 एवं 27 प्रतिशत होंगे। शेष 283 व्यक्ति भावी नगरीयकरण योग्य सीमा के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित होंगे।

8.3.2 भविष्य में फैजाबाद-अयोध्या की व्यापारिक क्रियाओं की नियोजित रूप देने के लिये इन्हें निम्नलिखित विभिन्न उच्चोच्चता-क्रम (हायेररिकल आर्डर) वाले क्षेत्रों में रखे जाने का प्रस्ताव है:-

8.3.2.1 सी0 बी0 डी0 क्षेत्र

8.3.2.2 सब सी0 बी0 डी0 क्षेत्र

8.3.2.3 डिस्ट्रिक्ट बिजनेस सेन्टर

8.3.2.4 नेबरहुड शापिंग सेन्टर

8.3.2.5 कलस्टर शापिंग सेन्टर

8.3.2.6 कार्नर शाप

8.3.3 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में एक सी0 बी0 डी0 और एक सब सी0 बी0 डी0 क्षेत्र होगा । फैजाबाद नगरीय क्षेत्र का वर्तमान चौक क्षेत्र ही सी0 बी0 डी0 क्षेत्र के रूप में कार्य करेगा । अयोध्या नगरीय क्षेत्र का वर्तमान श्रृंगार-हाट क्षेत्र सब सी0 बी0 डी0 क्षेत्र के रूप में कार्य करेगा। फैजाबाद तथा अयोध्या नगरीय क्षेत्रों के लिये प्रस्तावित क्रमशः 3 एवं 2 डिस्ट्रिक्ट सेन्टरों में से प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट सेन्टर में एक-एक डिस्ट्रिक्ट बिजनेस सेन्टर होगा। उच्चोच्चता क्रम के इन प्रथम तीन क्षेत्रों के लिये लगभग 92 हेक्टर भू-क्षेत्र की आवश्यकता होगी ।

xxxxxxxx

अध्याय- नौ

9.0 आवास:

9.1 वर्तमान स्थिति:

9.1.1 वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र के कुल 23,641 परिवारों (हाउस होल्ड्स) के लिये कुल आवासीय मकानों (आकुपाइड रेजीडेन्सियल हाउसेज) की संख्या 22,538 रही । इस नगरीय क्षेत्र के परिवारों एवं आवासीय मकानों का वितरण सम्बन्धी विवरण नीचे सारणी में दिया गया है:-

सारणी संख्या 9.1

फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र के परिवारों तथा आवासीय मकानों का विवरण वर्ष 1981

क्रम सं0	नगरीय क्षेत्र	कुल जनसंख्या 1981	कुल परिवार	कुल आवासीय मकान	परिवार का औसत आकार
1.	फैजाबाद	1,01,873	17,490	16,490	5.8
2.	अयोध्या	30,500	6,151	6,048	4.9
	योग	1,32,373	23,641	22,538	5.6

स्रोत:- जिला जनगणना पुस्तिका (प्राविजनल पापुलेशन टोटल) 1981

9·1·2 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र के कुल 23,641 परिवारों में से 17,490 परिवार (लगभग 74 प्रतिशत) फैजाबाद नगरीय क्षेत्र तथा शेष 6,151 परिवार (लगभग 26 प्रतिशत) अयोध्या नगरीय क्षेत्र के हैं। प्रति परिवार एक आवासीय भवन के आधार पर फैजाबाद तथा अयोध्या के कुल परिवारों में से क्रमशः लगभग 6 एवं 1·5 प्रतिशत परिवार (क्रमशः 1,000 एवं 103 परिवार) आवासीय मकानहीन परिवारों की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार 1981 में फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र के परिवारों की संख्या की तुलना में 1,103 आवासीय मकानों की कमी थी। इसके अतिरिक्त अयोध्या में मन्दिरों एवं आश्रमों के रख-रखाव एवं इनमें पूजी आदि से सम्बद्ध परिवार उसी मंदिर/आश्रम में रहते हैं और ऐसे परिवार को भी आवासहीन परिवार के रूप में यदि लिया जाय तो अयोध्या के निकाली गई आवासीय मकानों की 103 कमी के 100 प्रतिशत तक अधिक हो जाने का अनुमान किया जा सकता है। इस प्रकार वर्ष 1981 में फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में आवासीय मकानों की वास्तविक कमी लगभग 1,206 आवासीय मकानों की आती है। (कृपया मानचित्र संख्या 9/1 देखें)।

9·1·3 यहाँ वर्तमान फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र की भावी नगरीयकरण योग्य सीमा के अन्तर्गत आने वाले 9 गाँवों में वर्तमान आवासीय स्थिति पर भी विचार कर लेना आवश्यक है। वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार इन 9 ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की कुल संख्या 1,126 और आवासीय मकानों की कुल संख्या 913 आती है। प्रति परिवार एक आवासीय मकान की आवश्यकता के मानक के आधार पर इन भावी नगरीयकरण योग्य क्षेत्रों के लिये 213 आवासीय मकानों की कमी आती है। इन 213 आवासीय मकानों की कमी में फैजाबाद-अयोध्या वर्तमान नगरीय क्षेत्र में आवासीय मकानों की कमी (1,206 आवासीय

फैज़ाबाद की नगरीयकरण योग्य सीमा के अन्तर्गत आवासीय आवश्यकता

HOUSING REQUIRMENTS WITH-IN FAIZABAD URBANISABLE LIMIT (1971)

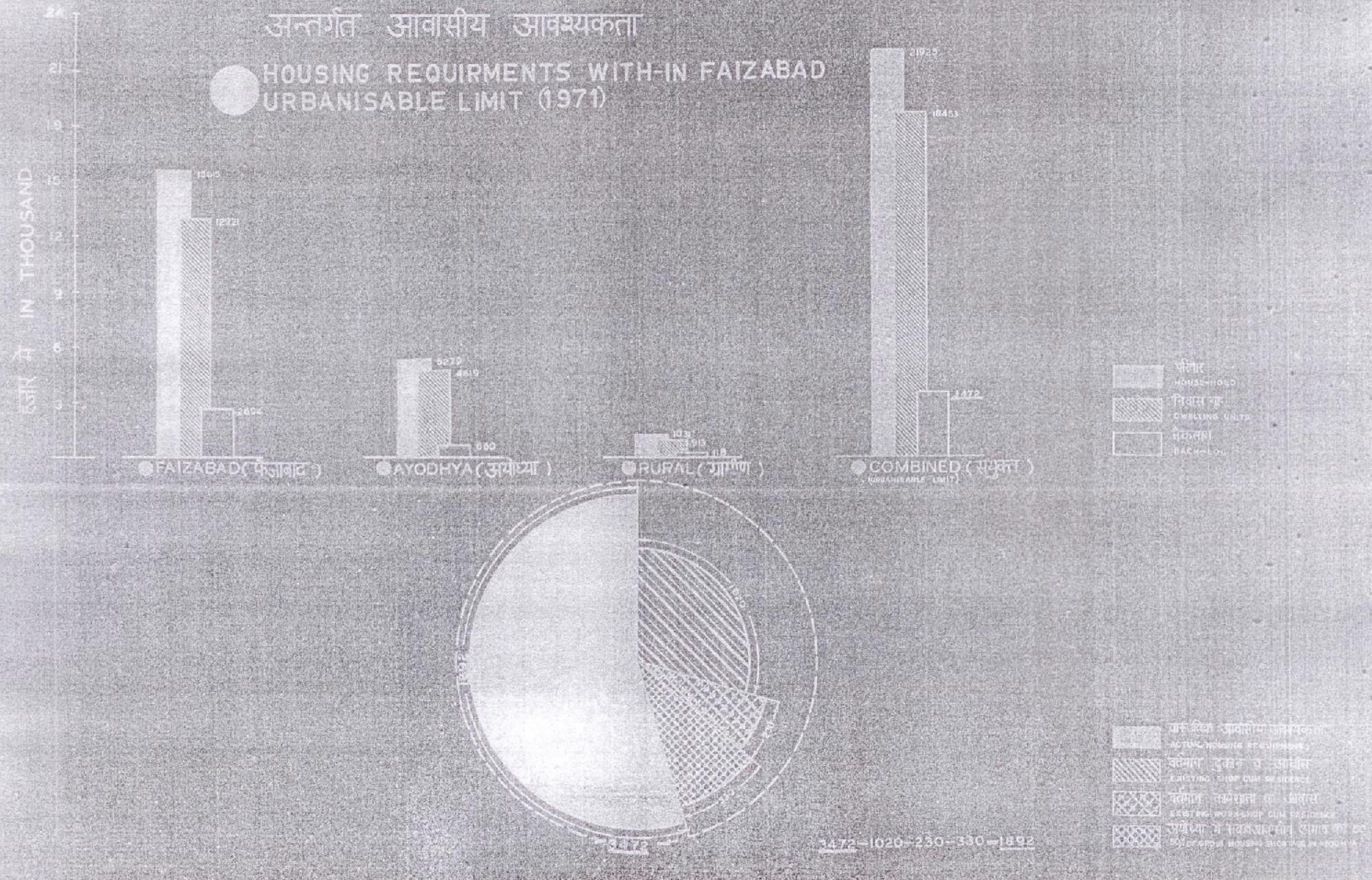

मकानों} को यदि जोड़ा जाये तो कुल कमी 1,419 मकानों की आती है} कृपया मानचित्र संख्या 9/1 देखें}।

9.2 भावी आवश्यकता:

9.2.1 यह अनुमान किया गया है कि, वर्ष 2001 के अन्त तक फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र की कुल जनसंख्या 2,10,972 हो जायेगी। इस प्रकार फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र तथा इसके भावी नगरीयकरण योग्य सीमा में आने वाले 9 ग्रामीण क्षेत्र की वर्ष 1981 की कुल 1,37,438 जनसंख्या में वर्ष 2001 के अन्त तक 73,534 व्यक्तियों की वृद्धि होगी जिनके लिये अतिरिक्त आवासीय मकानों की आवश्यकता होगी ।

9.2.2 2001 के अन्त तक परिवार का औसत आकार आज के परिवार के औसत आकार से छोटा होना अनुमानित है क्योंकि तब तक लोग परिवार कल्याण के प्रति इतने जागरूक हो चुके होंगें कि वे छोटे परिवार की उपादेयता में विश्वास रख इसे छोटा रक्खेगें और इसके फलस्वरूप परिवार का औसत आकार वर्तमान 5.6 व्यक्ति प्रति परिवार के आकार की तुलना में घटेगा।प्रचलित संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन और बढ़ेगा और फलस्वरूप छोटे परिवारों की संख्या में वृद्धि होगी । इन सब का प्रभाव भावी परिवार के आकार पर पड़ेगा और इन्हीं आधारों पर 2001 के अन्त तक परिवार के आकार के अन्तर्गत 4.5 व्यक्तियों का होना अनुमानित किया गया है ।

9.2.3 परिवार के भावी औसत आकार {4.5 व्यक्ति प्रति परिवार} के आधार पर वर्ष 2001 के अन्त तक के लिये अनुमानित 73,534 अतिरिक्त व्यक्तियों के लिये 16,341 अतिरिक्त आवासीय मकानों की आवश्यकता होगी। इन अतिरिक्त आवासीय मकानों की संख्या में 1981 की जनगणना के आंकड़ों के

आधार पर निकाली गयी 1,419 आवासीय मकानों की वर्तमान कमी (1,206 नगरीय क्षेत्र में 213 ग्रामीण क्षेत्र में) को जोड़ने पर 17,760 अतिरिक्त आवासीय मकानों की आवश्यकता होगी। इनके अतिरिक्त वर्तमान आवासीय भवनों के 20 प्रतिशत अनुमानित मकानों के 2001 के अन्त तक अनुपयुक्त हो जाने तथा वर्तमान में "ओवर क्राउडिंग" वाले क्षेत्रों में जनसंख्या के कुछ भाग के दूसरे स्थान पर जाने के कारण वर्तमान आवासीय मकानों के 10 प्रतिशत अनुमानित आवासीय मकानों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। इस प्रकार 2001 के अन्त तक आवासीय मकानों की कुल आवश्यकता निम्नलिखित होगी:-

1.	अतिरिक्त जनसंख्या के लिये आवश्यक आवासीय मकानों की संख्या	16,341
2.	वर्तमान में आवासीय मकानों की कमी की पूर्ति के लिये आवासीय मकानों की संख्या	1,419
3.	वर्तमान आवासीय मकानों (22,538 मकानों) के 20 प्रतिशत मकानों के वर्ष 2001 तक अनुपयुक्त हो जाने के कारण आवश्यक आवासीय मकानों की संख्या	4,508
4.	वर्तमान में ओवर क्राउडिंग वाले क्षेत्रों से वर्ष 2001 की प्रक्षेपित जनसंख्या के आधिक्य परिवार 10-15 प्रतिशत आने के कारण आवश्यक आवासीय मकानों की संख्या	5,495
	आवासीय मकानों की कुल आवश्यकता	27,763

:::::::::::

अध्याय- दस

10.0 उद्योग:

10.1 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़े हुये क्षेत्रों में आता है। अयोध्या अपने धार्मिक स्वरूप के कारण औद्योगिक कार्यों का कोई उल्लेखनीय केन्द्र कभी नहीं रहा। अठ्ठारहवीं सदी के अन्तिम चरण में जबकि फैजाबाद अवध राज्य की राजधानी के रूप में महत्व प्राप्त कर लिया था, उस समय के औद्योगिक क्रियाओं की दृष्टि से भी यह नगर एक ऊँचा स्थान प्राप्त कर लिया था। यहाँ के वस्त्र, लकड़ी के सामान, (यथा- श्रृंगारदान, इत्रदान, कलमदान आदि) तांबा-पीतल के बर्तन, बारूद और आतिशबाजी के सामान, रंगाई-छपाई आदि उद्योगों का विस्तार और महत्व पूरे उत्तर-भारत में उल्लेखनीय स्थान रखता था। अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ बना दिये जाने तथा वर्ष 1957 में ब्रिटिश राज्य की स्थापना के कारण इन उद्योगों को मिलने वाला शासकीय संरक्षण समाप्त हो गया और ये उद्योग धीरे-धीरे अवनति करते-करते लगभग समाप्त हो गये। वर्ष 1947 में देश की आजादी मिलने के साथ-साथ पूरे देश में औद्योगिक विकास में जो नई गति और दिशा दी जानी प्रारम्भ हुई उसका प्रभाव फैजाबाद नगर पर पड़ा और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना का सिलसिला प्रारम्भ हुआ जो लगातार आगे बढ़ रहा है।

10.2 जिला जनगणना पुस्तक दशक 1971-81 में उल्लिखित व्यवसायानुसार श्रमिकों के वितरण से ज्ञात होता है कि फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक श्रमिक वर्ग के अन्तर्गत वर्ष 1971 में कुल 5,225 श्रमिक थे जो नगर की कुल श्रमिक संख्या (27,394) का लगभग 19.1 प्रतिशत है। फैजाबाद जिला उद्योग अधिकारी कार्यालय में पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों के वितरण से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1976-

77 में फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में कुल 117 लघु औद्योगिक इकाइयाँ कार्यरत थीं। इन इकाइयों से सम्बन्धित सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न करने पर कुल 88 इकाइयों से ही सम्बन्धित औद्योगिक आंकड़े प्राप्त किये जा सके हैं। इन 88 इकाइयों से सम्बन्धित आंकड़ों का विवरण निम्नलिखित रूप में है-

सारणी संख्या 10·1

फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयों का श्रेणीवार विवरण और इनमें कार्यरत श्रमिकों की संख्या: वर्ष 1976-77

क्रम सं0	औद्योगिक श्रेणी	कुल औद्योगिक इकाइयाँ	कुल श्रमिकों की संख्या	कुल औद्योगिक क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1-	फूड एण्ड विवरेजेज	2	14	441
2-	पेपर एण्ड प्रिन्टिंग	10	55	1,533
3-	काष्ठ और काष्ठ उद्योग	8	32	4,925
4-	इंजीनियरिंग उद्योग	8	24	886
5-	रासायनिक उद्योग	17	77	24,174
6-	धातु उद्योग	9	67	3,590
7-	इलेक्ट्रिकल उद्योग	6	33	1,553
8-	मशीनरी उद्योग	8	45	3,364
9-	अन्य	20	82	13,898
	योग	88	429	54,264

स्रोत:- फैजाबाद सम्भागीय नियोजन खण्ड, फैजाबाद।

10.3 ऊपर उल्लिखित सारणी से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1976-77 में कुल 88 औद्योगिक इकाइयों में 429 श्रमिक कार्यरत थे। यह संख्या जनगणना वर्ष 1971 के आधार पर उल्लिखित फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र के कुल 5,225 औद्योगिक श्रमिकों की संख्या से बहुत कम है। इस कमी के प्रमुख कारण ये हो सकते हैं:-

10.3.1 फैजाबाद नगरीय क्षेत्र में चर्म उद्योग के अन्तर्गत जूता बनाने का लघु एवं कुटीर उद्योग एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है जिसका कि उल्लेख जिला उद्योग अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये औद्योगिक आंकड़े में नहीं है।

10.3.2 जनगणना वर्ष 1971 में औद्योगिक श्रमिक वर्ग के अन्तर्गत उन समस्त श्रमिकों को भी सम्मिलित कर लिया गया है जो की "फुड और फुड प्रोडक्ट" के अन्तर्गत आ जाते हैं जिनमें हलवाई वर्ग के भी लोग आ जाते हैं।

ऊपर उल्लिखित सारणी संख्या 10.1 से यह स्पष्ट होता है कि, किसी एक अकेले औद्योगिक श्रेणी में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ (17 इकाइयाँ) तथा औद्योगिक श्रमिक (77 श्रमिक) रासायनिक उद्योग के अन्तर्गत आते हैं। औद्योगिक इकाइयों की संख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान "पेपर एण्ड प्रिन्टिंग" उद्योग तथा तीसरा स्थान धातु उद्योग का आता है जिसके अन्तर्गत क्रमशः 10 एवं 9 औद्योगिक इकाइयाँ आती हैं। श्रमिक शक्ति की दृष्टि से दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः धातु (67 श्रमिक) एवं "पेपर एण्ड पेपर प्रिन्टिंग" उद्योग (55 श्रमिक) का आता है। इस नगर में औद्योगिक इकाइयों का स्थानिक वितरण यद्यपि पूरे फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र पर फैला हुआ है परन्तु इनकी बहुतायत फैजाबाद नगरीय क्षेत्र के एक सीमित भाग (जो की रिकाबगंज-नियांवा-गुदड़ी बाजार और फतेहगंज चौराहों से घिरा है) में है (कृपया सारणी संख्या 10.1 देखें)।

फैजाबाद-अयोध्या महायोजना

MASTER PLAN FAIZABAD-AYODHYA

RELATION-SHIP OF WORK CENTRES AND RESIDENTIAL AREAS

कार्य केन्द्रों व आवासीय क्षेत्रों का सम्बन्ध

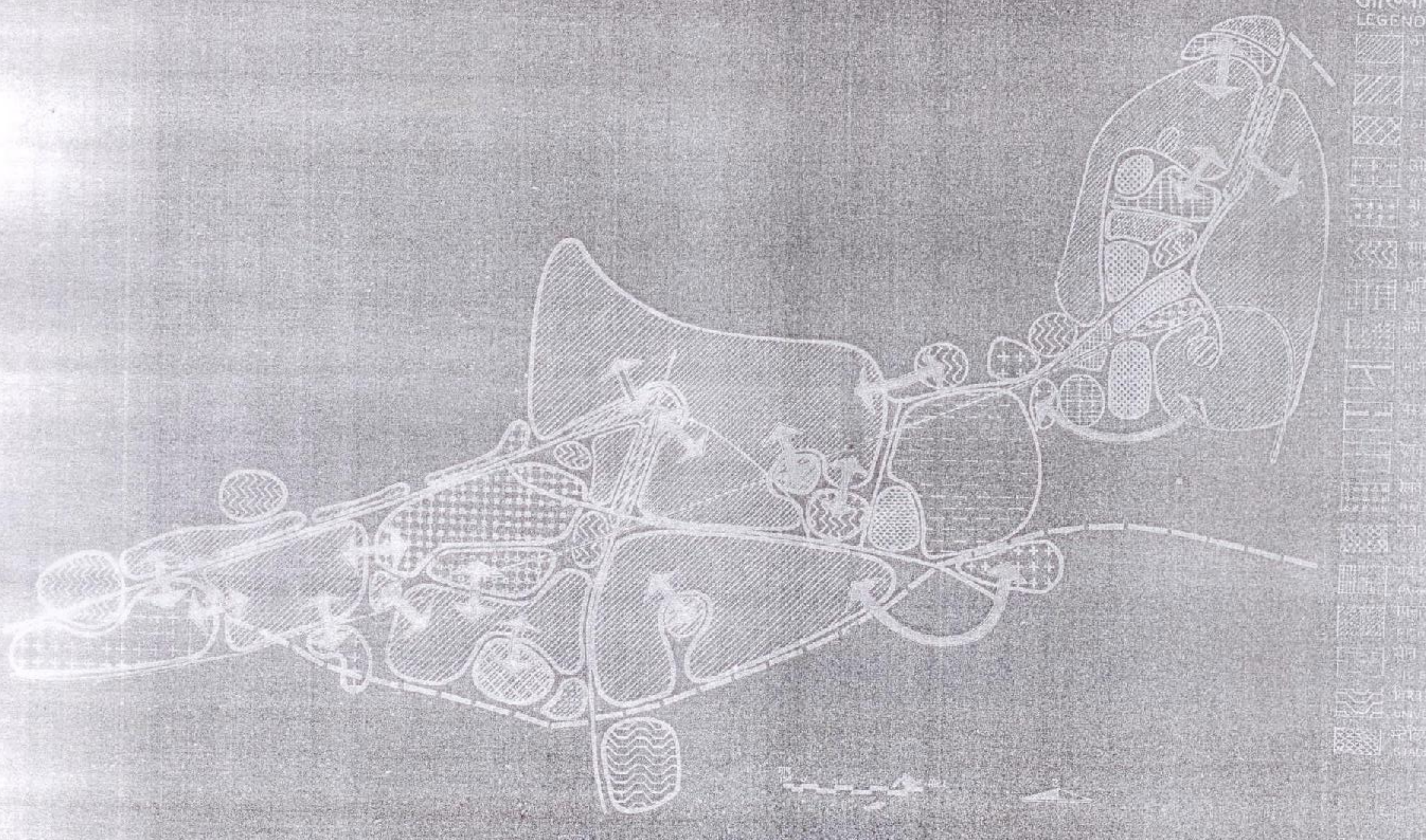

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर – प्रदेश

10.4 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र के बाहर के अति निकट के भाग में पड़ने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक आस्थान गद्दौपुर (12.4 हेक्टेयर) हरिजन औद्योगिक आस्थान, रानोपाली (लगभग 2.41 हेक्टेयर) और फैजाबाद-इलाहाबाद मार्ग पर स्थित माचिस फैक्ट्री, दालमिल, बाइस फैक्ट्री, पालीथिन फैक्टी क्षेत्र आते हैं (कृपया मानचित्र संख्या 10.1 देखें)। औद्योगिक आस्थान गद्दौपुर में 58 भु-खण्ड पर 18 औद्योगिक इकाइयाँ चलने वाली हैं जिनमें से 7 औद्योगिक इकाइयाँ चालु हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त इस औद्योगिक आस्थान में एक होजरी काम्पलेक्स का विकास हो रहा है। फैजाबाद-लखनऊ मार्ग पर बनवीरपुर और हरीपुर जलालाबाद ग्राम क्षेत्र में राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा लगभग 45.7 हेक्टेयर का एक भु-क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है जहाँ पर लगभग 2.5 हेक्टेयर क्षेत्र पर एक "सिन्थेटिक डिटरजेंट पाउडर" बनाने का वृहद औद्योगिक इकाई को स्थापित करने का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। फैजाबाद नगरीय क्षेत्र में भाग के आधार पर स्थापित होने वाले भावी उद्योगों, इनमें प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल तथा इसकी उपलब्धता का विवरण परिशिष्ट 10.1 पर दिया गया है।

10.5 ऐसा अनुमान किया जाता है कि फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र विशेषकर इसके निकट के बाहरी भाग में विकसित हो रहे औद्योगिक आस्थानों (इन्डस्ट्रियल स्टेट्स) तथा अन्य औद्योगिक इकाइयों द्वारा औद्योगिक विकास के लिये उत्साहवर्धक वातावरण तथा ठोस अवस्थाना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) आधार मिलेगा। साथ ही साथ प्रदेश की महानगरियों में और उद्योग को केन्द्रित न होने देकर तथा छोटे-छोटे नगरों में अधिकाधिक उद्योगों को स्थापित किये जाने को विभिन्न शासकीय अनुदान एवं छूट द्वारा प्रोत्साहित करने की शासकीय नीति के कारण फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र

का औद्योगिक विकास तीव्र गति से होगा । इस आधार पर फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में महायोजना अवधि (2001 इसवी) की समाप्ति तक औद्योगिक श्रमिकों की कुल संख्या 25,318 हो जाने का अनुमान लगाया गया है। इनमें से वर्तमान फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र के भावी औद्योगिक श्रमिकों की भागीदारी कुल 24,729 औद्योगिक श्रमिकों (98 प्रतिशत) की होगी और शेष589 औद्योगिक श्रमिक (12 प्रतिशत) फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र के भावी नगरीकरण योग्य सीमा के अन्तर्गत आने वाले 9 ग्रामीण क्षेत्रों से होंगे ।

10.6 भावी औद्योगिक विकास के अन्तर्गत फैजाबाद में कुल 152 हेक्टेयर क्षेत्र के उपयोग में होने का अनुमान लगाया गया है। विभिन्न स्थलों पर औद्योगिक क्षेत्रों को प्रस्तावित करते समय यह ध्यान में रखा गया है कि, इन क्षेत्रों में पहले से विकसित औद्योगिक स्थलों के रूप में उपलब्ध अवस्थापना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) अन्य सुविधा सहज रूप में उपलब्ध हो सके, इन क्षेत्रों तथा भावी आवासीय क्षेत्रों में परस्पर सह-सम्बद्धता रखी जा सके तथा यातायात मार्गों एवं वायु दशा की अनुकूलता रहे । फैजाबाद में प्रस्तावित भावी औद्योगिक क्षेत्रफल से सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित रूप में है:-

सारणी संख्या 10·2

फैजाबाद नगरीय क्षेत्र में भावी औद्योगिक श्रमिकों एवं क्षेत्रफल का उद्योग वर्ग अनुसार विवरण: 2001

क्रम सं०	औद्योगिक श्रेणी	श्रमिक संख्या	श्रमिक प्रतिशत	घनत्व मानक श्रमिक/हेक्टर	क्षेत्रफल
1.	मध्यमाकार उद्योग (मीडियम इन्डस्ट्री)	2,532	10·00	100	25
2.	लघु उद्योग (स्माल स्केल इन्डस्ट्री)	7,595	30·00	100	76
3.*	उपचर्या उद्योग (सर्विस इन्डस्ट्री)	15,191	60·00	150	51
	योग	25,318	100·00		152

स्रोत:- फैजाबाद सम्भागीय नियोजन खण्ड, फैजाबाद ।

* इनमें से 50 प्रतिशत श्रमिक (7,595 श्रमिक) आवासीय क्षेत्र में स्थित उद्योगों में कार्यरत होंगे और इनके लिये अलग से औद्योगिक क्षेत्र का अनुमान नहीं लगाया गया है ।

परिशिष्ट संख्या 10.1

फैजाबाद नगर के अन्तर्गत मांग के आधार पर पनपने वाले उद्योग

क्रमांक	उद्योग का नाम	उद्योग में प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल	कच्चे माल की उपलब्धता
1.	ट्रैक्टर ट्राली	आइरन व स्टील	बाहर से मंगाया जा सकता है।
2.	रोलिंग शटर	आइरन व स्टील	बाहर से मंगाया जा सकता है।
3.	आलमारियां बाक्स आदि	आइरन व स्टील	बाहर से मंगाया जा सकता है।
4.	एल्युमिनियम के बर्तन	अल्युमिनियम शीट	बाहर से मंगाया जा सकता है।
5.	डिस्टिल वाटर	पानी व ग्लास	ग्लास मंगाया जा सकता है।
6.	खेतिहर औजार	आइरन व स्टील	बाहर से मंगाया जा सकता है।
7.	कोल्ड स्टोरेज	-	- -
8.	आइस फैक्ट्री	पानी	- -
9.	ईंट भट्ठा	मिट्टी	समीपस्थ देहाती क्षेत्र में उपलब्ध है।

****

*****

***

*

अध्याय- ग्यारह

11. मलिन बस्ती:

11.1 मलिन बस्तियाँ:

नगरों में बढ़ते औद्योगिकरण के फलस्वरूप पर्यावरण प्रदूषण एक जटिल समस्या बनती जा रही है इसके साथ-साथ नगरीकरण की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। फलस्वरूप नगरों में मन-माने ढंग से अनेकानेक प्रकार के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। यह अनियोजित विकास और इसके साथ-साथ आर्थिक दुर्बलता प्रत्येक नगर में अनेकों स्थानों पर गंदी बस्तियों का सृजन कर देती है। सघन आवासीय क्षेत्र अथवा पुराने मुहल्ले अधिकांशतः इसके शिकार होते जा रहे हैं।

11.1.1 इन गन्दी बस्तियों के सुधार के लिए शासन कटिबद्ध है और राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत 20 सूत्रीय कार्यक्रम में मलिन बस्तियों के सुधार पर पूर्ण बल दिया जा रहा है। फैजाबाद की महायोजना बनाते समय नगर के सर्वेक्षण के समय इसका विशेष ध्यान दिया गया है कि मलिन बस्तियाँ विशेष तौर पर इंगित की जायें और इस सम्बन्ध में मलिन बस्तियों की जानकारी हेतु नगरपालिका तथा अन्य अभिकरणों से भी सम्पर्क स्थापित किया गया।

11.1.2 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में मलिन बस्तियों का निर्धारण भू- उपयोग सर्वेक्षण के दौरान किये गये पर्यवेक्षण (आब्जर्वेशन) और नगरपालिका कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर किया गया है। वे सभी क्षेत्र जिनमें "पुअर स्ट्रक्चरल कन्डीसन" वाले सीलन-युक्त आवासीय मकानों की बहुतायत (लगभग 75 प्रतिशत) हैं तथा गन्दे जल निकास के लिये नालियों (सरफेसड्रेन्स); पक्के मार्ग/गलियों, मार्ग-प्रकाश, पेय जल सुविधा और बहुसंख्यक परिवारों (लगभग 80 प्रतिशत) के निजी शौचालयों

के प्राविधान का अभाव है- मलिन बस्ती माने गये हैं ।

11·1·3 ऊपर के मानदण्ड के आधार पर फैजाबाद तथा अयोध्या नगरीय क्षेत्र में कुल 14 मलिन बस्ती क्षेत्र माने गये हैं । इन क्षेत्रों का विवरण सारणी संख्या 11·1 में दिया गया है ।

सारणी संख्या 11·1

फैजाबाद- अयोध्या नगरीय क्षेत्र की मलिन बस्तियाँ, वर्ष 1978

	फैजाबाद नगरीय क्षेत्र			अयोध्या नगरीय क्षेत्र		
क्रम संख्या	मलिन बस्ती का नाम/ मोहल्ला	कुल आवासीय मकान	कुल जनसंख्या (अनुमान पर आधारित)	क्र०सं०/मलिन बस्ती का नाम/ मोहल्ला	कुल आवासीय मकान	कुल जनसंख्या (अनुमान पर आधारित)
1·	सहादत अली की छावनी	70	451	8· हरिजन बस्ती अवध बाल विद्या मंदिर ब्लाक	20	110
2·	बेगमगंज गढ़हिया.	55	345	9· कन्धारपुर गोंडियाना	70	423
3·	नया पुरवा	51	355	10· मछुआना	95	636
4·	चमरटोलिया (वजीरगंज)	75	375	11· मीरापुर बुलंदी	50	304
5·	हाता उसरबेग-बहेलिया टोला	18	90	12· चक्रतीर्थ	100	665
6·	पुरानी सब्जी-मंडी (हैदरगंज)	20	90	13· जलवानपुर	40	225
7·	चमराना नया घाट	30	162	14· कोटिया	20	105
	योग	289	1,706		425	2,630

स्रोत:- फैजाबाद सम्भागीय नियोजन खण्ड ।

11.2 मलिन बस्तियों की सुधार नीति:

11.2.1 शासन ने मलिन बस्तियों के सुधार हेतु एक मानदण्ड निश्चित किया है, जिसमें निम्नलिखित जन-सुविधायें प्रदान की जायेगी:-

- (अ) पहुँच मार्ग के लिए खड़ंजा का प्राविधान
- (ब) जल निकास के लिये साइडड्रेन्स
- (स) प्रकाश के लिये विद्युतीकरण
- (द) पेय जल की सुविधायें
- (य) सामूहिक शौचालय आदि।

11.2.2 जन सुविधाओं के लिये मलिन बस्ती क्षेत्र की जनसंख्या को आधार माना गया है और प्रति व्यक्ति 150/- की दर से अनुदान दिया जाता है।

11.2.3 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र की मलिन बस्तियां इनमें निवास करने वाली जनसंख्या के स्वास्थ्य और जीवन पर सीधे बुरा प्रभाव डालने के साथ-साथ अपने दूषित पर्यावरण के कारण निकट के नगरीय आवासीय क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के लिये भी अस्वास्थ्यकर स्थिति का सृजन करती है। इतना ही नहीं, फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र विशेषकर अयोध्या नगरीय क्षेत्र-(जो प्रदेश में नहीं वरन् सम्पूर्ण देश में अपना विशेष धार्मिक महत्व रखता है) में लाखों पर्यटक विभिन्न स्थान, परिक्रमा, अन्य पर्व आदि के अवसरों पर प्रति वर्ष आते हैं। परिक्रमा के अवसरों पर जबकि, पर्यटकों को फैजाबाद-अयोध्या के विभिन्न आन्तरिक भागों में भी चलना पड़ता है, उनका साक्षात्कार यहाँ की कुछ मलिन बस्तियों से भी होता है। तब इन मलिन बस्तियों का बहुत अरुचिकर प्रभाव पर्यटकों पर पड़ता है जिससे फैजाबाद-अयोध्या की छवि धूमिल होती है जो पर्यटकों में अनाकर्षण को जन्म देती है।

11·3 मलिन बस्ती सुधार :

11·3·1 नगरीय जीवन को स्वास्थ्य-प्रद वातावरण उपलब्ध कराने के साथ-साथ शुद्ध पेय जल, दूषित जल के निकास के लिये नालियों (सर पेसड्रेन्स), सार्वजनिक शौचालय, मार्ग प्रकाश आदि की आवश्यक नगरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने का उद्देश्य सर्व प्रथम मलिन बस्तियों में आवश्यक सुधार करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इस दृष्टि से फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र के नागरिक जीवन को स्वास्थ्यपूर्ण और सुविधा सम्पन्न बनाने के लिये इस नगरीय क्षेत्र के मलिन बस्तियों में शुद्ध पेय जल, खड़ंजा, सड़क/गली, गन्दे जल के निकास के लिये नालियों (सर पेसड्रेन्स), सार्वजनिक शौचालय आदि के प्राविधानों को पूरा करने की ओर सर्व प्रथम ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

11·3·2 फैजाबाद-अयोध्या में नगरीय नवीकरण के अन्तर्गत इन नगरीय क्षेत्रों के मलिन बस्तियों में सुधार सम्बन्धी कार्य को दो चरणों में पूर्ण किया जाना चाहिए। गंभीर दुर्व्यवस्थित बस्तियों और पर्यटकों के सम्पर्क में आने वाली मलिन बस्तियों को प्रथम चरण में लिया जाना चाहिए। इस उद्देश्य से फैजाबाद की सहादत अली की छावनी, चमर टोलिया, हाता खुसरबेग/बहेलिया टोल और अयोध्या की चमराना (नया-घाट), हरिजन बस्ती (अवध बाल विद्या मंदिर ब्लाक) कान्धारपुर मोदियाना, मीरापुर बुलन्दी की मलिन बस्तियों के सुधार का कार्य प्रथम चरण के अन्तर्गत लिया जाना चाहिए। फैजाबाद के अन्तर्गत द्वितीय चरण में चमरटोला (जनौरा) जनौरा पक्का तालाब, तागपुर, घसियारी मंडी, सहादतगंज, वाल्दा हरिजन बस्ती, जप्ती वजीरगंज, चमरटोला, चेलाछवनियां, हरिजन बस्ती अमानीगंज का भी सुधार प्रस्तावित किया गया है।

*****

अध्याय- बारह

12. यातायात एवं परिवहन

12.1 सड़क-रेल मार्गों का (रोड रेल नेट वर्क) वर्तमान विस्तार:

12.1.1 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में यातायात एवं परिवहन मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्ग-28 (लखनऊ-मोकामाघाट)(बिहार) प्रान्तीय राजमार्ग-9 (उतरौला-इलाहाबाद) प्रान्तीय राजमार्ग-30 (बहराइच-आजमगढ़) और प्रमुख स्थानीय मार्गों द्वारा होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग-20 फैजाबाद एवं अयोध्या के मध्य भाग से होकर जाता है और प्रान्तीय राजमार्ग-9 एवं 30 इस मार्ग पर अयोध्या के उत्तर में कटरा रेलवे स्टेशन के समीप उत्तर से आकर संयुक्त रूप में मिलते हैं और फैजाबाद में क्रमशः चौक एवं रीडगंज चौराहों पर इस मार्ग से अलग होते हैं।

12.1.2 उत्तर-रेलवे के लखनऊ-वाराणसी सेक्शन की शाखा रेलवे लाइन फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र के विकसित भाग से होकर जाती है और फैजाबाद जंक्शन तथा अयोध्या रेलवे स्टेशन के अतिरिक्त आचार्य नरेन्द्रदेव नामक एक और रेलवे स्टेशन फैजाबाद एवं अयोध्या के मध्य इस रेल लाइन पर पड़ता है।

12.1.3 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में पक्के मार्गों की कुल लम्बाई लगभग 39 किलोमीटर है। इसमें से फैजाबाद तथा अयोध्या के अलग-अलग क्षेत्र में क्रमशः 25 एवं 14 किलोमीटर भाग आता है। फैजाबाद के कुल 25 किलोमीटर मार्ग में राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रान्तिय राजमार्ग तथा अन्य प्रमुख मार्गों का भाग क्रमशः लगभग 7, 5 एवं 13 किलोमीटर आता है। अयोध्या के कुल 14 किलोमीटर मार्ग में राष्ट्रीय एवं स्थानीय प्रमुख मार्गों की लम्बाई क्रमशः 5 एवं 9 किलोमीटर है। फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में रेल लाइन की कुल लम्बाई लगभग 10 किलोमीटर है। अध्ययन

से प्राप्त प्रमुख वर्तमान मार्गों का विशद विवरण आगे किया गया है ।

12·2 **अध्ययन से प्राप्त प्रमुख मार्गों का विवरण:-**

12·2·1 राष्ट्रीय महामार्ग-28{लखनऊ से फैजाबाद-अयोध्या होते हुए मोका-माघाट {बिहार तक} ।

{अ} निर्माणाधीन राष्ट्रीय वाह्य मेखला मार्ग-{फैजाबाद-अयोध्या वाई पास मार्ग} अभी पक्का नहीं है ।

{ब} वर्तमान राष्ट्रीय मार्ग-28{ नगरीय क्षेत्र में सहादतगंज से अयोध्या वाई पास जंक्शन तक} ।

12·2·2 **प्रान्तीय राजमार्ग:**

{अ} प्रान्तीय राजमार्ग संख्या-30{बहराइच से अयोध्या-फैजाबाद होते हुये आजमगढ़ को} ।

{ब} प्रान्तीय राजमार्ग संख्या-9{उतरौला-फैजाबाद-सुल-तानपुर होते हुये इलाहाबाद को} ।

{स} प्रान्तीय राजमार्ग{फैजाबाद-रायबरेली को} ।

12·2·3 **मुख्य- मार्ग:**

{अ} इण्डस्ट्रीयल स्टेट{गददोपुर} से जिलाधिकारी निवास चौराहे{चुंगी} कमिश्नर कार्यालय चौराहे से होते हुये केन्टोन्मेंट तक ।

{ब} चौक से धारा रोड ।

{स} रिकाबगंज चौराहे से उत्तर नियावां चौराहे,तरंग टाकीज गुदड़ी बाजार चौ0 होते हुये नेत्र चिकित्सा-लय तक ।

{द} नियावां चौ0 से जमथरा चुंगी ।

{य} जमथरा घाट,धारारोड{अफीमकोठी},माझा से अयो-ध्या राजघाट{बड़ी परिक्रमा मार्ग} कच्चा है ।

§र§ जिलाधिकारी निवास चौराहे§रायबरेली रोड चुंगी§ से मोदहा रेल्वे क्रासिंग,रामनगर,नाका §मकबरा§ तक ।

§ल§ विद्याकुंड तिराहे से रानोपाली मंदिर रेल्वे क्रासिंग तथा मंदिर से टेढ़ी बाजार,वशिष्ट कुण्ड, राजघाट§निर्मोचन घाट§ व अशर्फी भवन के सामने से अयोध्या पोस्ट आफिस तिराहे तक ।

12·2·4 अन्तर्नगर मार्ग:

§अ§ सहादतगंज हनुमानगढ़ी से दक्षिण पहलवानवीर होते हुए हवाई कोठी चौराहे§रायबरेली रोड§ तक ।

§ब§ जिलाधिकारी निवास के फाटक के पास तिराहे से जी0आई0सी0 के पीछे रेल्वे क्रासिंग पार कर मकबरा गेट तिराहे तक ।

§स§ मालगोदाम चुंगी से पुष्पराज टाकीज चौराहे तक।

§द§ रिकाबगंज चौराहे से अल्कारा़जे होटल के सामने से होते हुए फतेगंज चौराहे के पास तक ।

§ध§ नियांवा-जमथरा मार्ग के बालक राम कालोनी चौराहे से हंसनूकटरा होते हुये दिल्ली दरवाजे तक तथा नियांवा चौ0 से गुप्तारघाट तक ।

§र§ दिल्ली दरवाजे से बड़ी परिक्रमा मार्ग तक ।

§ल§ फैजाबाद कोतवाली तिनदरे के पश्चिम से शुरु होकर दक्षिण तरफ आचार्य नरेन्द्रदेव रेल्वे, स्टेशन के पश्चिम रेल्वे लाइन तक ।

§व§ हेड पोस्ट आफिस चौराहे से पुष्पराज टाकीज चौ0 होते हुये फतेहगंज चौराहे तक ।

§श§ पुष्पराज टाकीज चौराहे से पुलिस लाइन के पश्चिम होते हुये सप्लाई आफिस तिराहे तक ।

12.3. यातायात की समस्याएं:

12.3.1 आधुनिक यातायात की विभिन्न प्रकृति और आर्थिक क्रियाओं की विविधता बढ़ने के साथ मार्गों पर वाहनों तथा पैदल चलने वालों की संख्या वृद्धि को देखते हुये इस नगरीय क्षेत्र के मध्य में पड़ने वाले सड़क मार्ग चौड़ाई की दृष्टि से अपर्याप्त और स्थानीय एवं क्षेत्रीय यातायात द्वारा साथ-साथ प्रयोग में लाये जाने के कारण अनुपयुक्त हैं। सड़क मार्गों का अपर्याप्त "इफेक्टिव रोड विड्थ", मार्गों पर अनाधिकृत अतिक्रमणों तथा विशेषत: फतेहगंज और चौक क्षेत्र में सड़क पर सब्जी आदि बेचने वालों के बैठे रहने तथा स्थाई दुकानदारों द्वारा विक्रय कार्य किये जाने एवं चाट व फल आदि के ठेले लगाने के कारण और कम हो जाता है। मार्गों पर स्थित चौराहे विशेषकर फैजाबाद नगरीय क्षेत्र के चौक, गुदड़ी बाजार, रिकाबगंज तथा फतेहगंज के चौराहे अत्यधिक भीड़-भाड़ युक्त होने के साथ-साथ मार्ग ज्यामिति (रोड ज्यामेट्री) की दृष्टि से दोषपूर्ण है।

12.3.2 चौक चौराहा जो फैजाबाद नगर के व्यापार एवं वाणिज्य क्षेत्र के केन्द्र बिन्दु पर है, के तीन ओर सकरे मार्ग द्वार होने के कारण सड़क मार्ग पर "रोड बोटल नेक" रूप में अवरोध उत्पन्न करते हैं। चौक चौराहा और गुदड़ी बाजार चौराहा के मध्य का सड़क मार्ग नगर बस, टैक्सी, टैम्पो, तांगों-इक्कों आदि के स्टैण्ड के रूप में प्रयुक्त होता है और ये वाहन इस मार्ग पर यातायात के आवागमन को बहुत कठिन बना देते हैं। रिकाबगंज चौराहा जिस पर नगर से होकर आने-जाने वाले क्षेत्रीय तथा भारी वाहन यातायात को मुड़ना पड़ता है, पर घुमाव के लिये आवश्यक स्थान (स्पेस) उपलब्ध नहीं हो पाता है और वाहनों को घूमते समय लगभग रुक सा जाना पड़ता है। फतेहगंज चौराहा सबसे अधिक सकरे स्थान पर होने के साथ-साथ दो दिशाओं में रेल

सम्पारों (रेल्वे लेवल क्रासिंग) तथा एक दिशा में ट्रक एजेन्सियों की स्थिति के कारण ट्रकों के स्थिर उपयोग में आने के कारण अवरुद्ध बना रहता है।

12.3.3. फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर कुल 13 रेल्वे सम्पार (रेल्वे क्रासिंग) हैं जिनमें से राजकीय क्वार्टर कालेज, मोदहा, फतेहगंज चौराहा और नरेन्द्रदेव रेल्वे स्टेशन (आजमगढ़ मार्ग) के निकट स्थित रेल्वे सम्पार सड़क यातायात में सर्वाधिक बाधक हैं। ये सम्पार चौबीस घन्टे में क्रमशः 220, 49, 20 एवं 26 बार बन्द होते रहते हैं। इस प्रकार इन सम्पारों द्वारा भी नगरीय क्षेत्र में यातायात के आवागमन में बाधक स्थिति उत्पन्न होती है।

12.3.4 फैजाबाद नगर से फैजाबाद-बीकापुर, फैजाबाद-नवाबगंज और फैजाबाद-सोहावल के बीच चलने वाली नगर बस सेवा की बसें क्रमशः चौक चौराहे के दक्षिण, उत्तर एवं पश्चिम में सड़क मार्ग पर खड़ी होती है। बीकापुर एवं नवाबगंज जाने वाली बसों के खड़े होने के स्थल पर ही टैक्सी, टेम्पो एवं तांगे-इक्के, रिक्से भी खड़े होते हैं। इन वाहनों के सड़क पर खड़े होने के कारण सड़क मार्ग पर अतिक्रमण बढ़ता है और यातायात के लिये सड़क जाम होने की कठिनाई उत्पन्न होती है।

12.3.5 फैजाबाद तथा अयोध्या में रा०प०प०नि० बस स्टेशनों का क्षेत्रफल इन पर आने वाले बसों की आवश्यकता को देखते हुये कम है और स्टेशन के भीतर स्थान की कमी की स्थिति में बसों को बाहर खड़ा होना पड़ता है। इसके अतिरिक्त इन स्टेशनों के सामने का सड़क भाग टैक्सियों, तांगों-इक्कों एवं रिक्सों द्वारा अव्यवस्थित रूप में अपने स्टेण्ड के रूप में प्रयुक्त किये जाने के कारण इन स्थलों पर वाहनों का ठहराव और तद्जनित "इफेक्टिव रोड विड्थ" पर अस्थाई अतिक्रमण होता है।

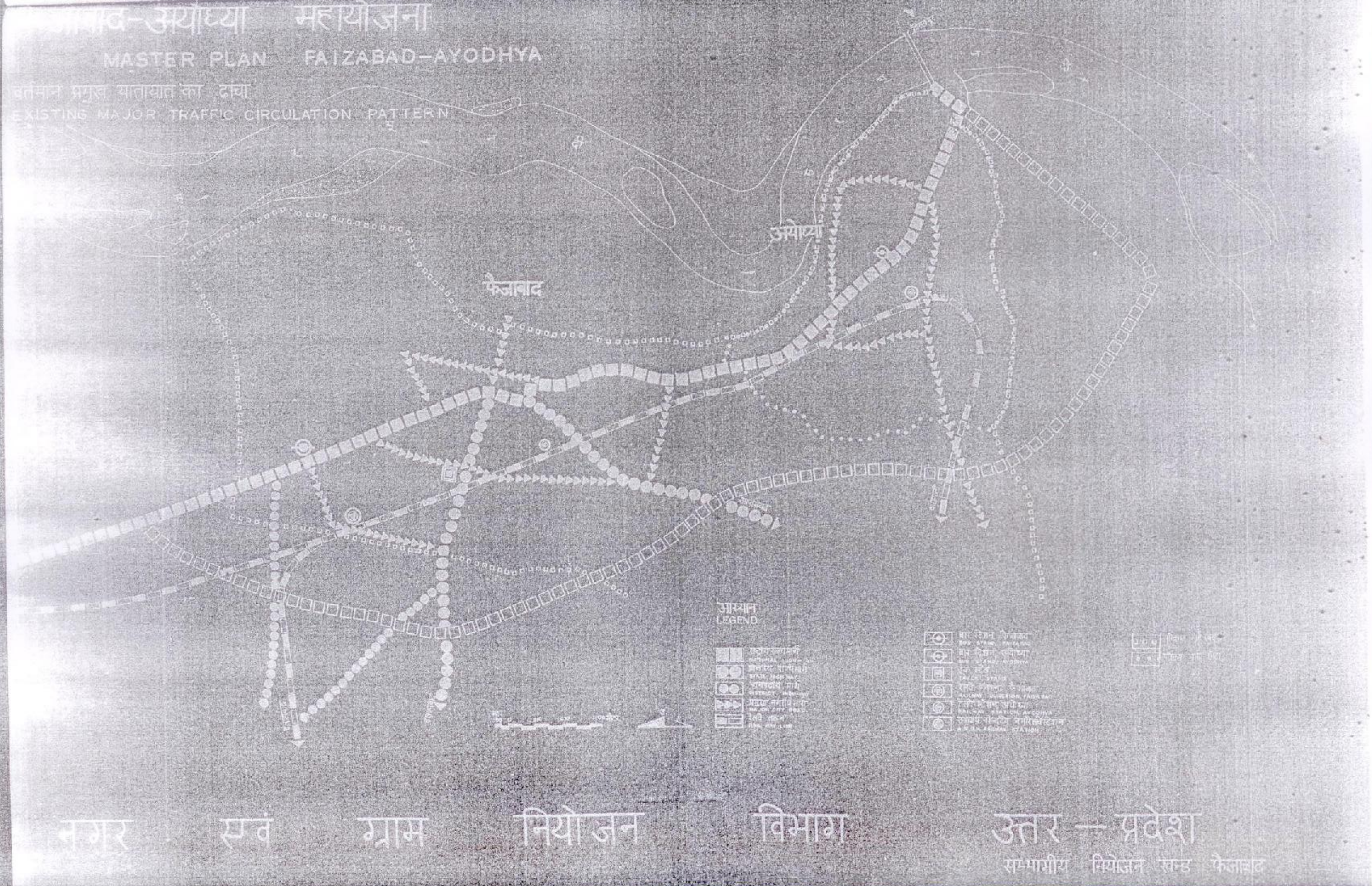
बाद-अयोध्या महायोजना
MASTER PLAN FAIZABAD-AYODHYA
वर्तमान प्रमुख यातायात का ढांचा
EXISTING MAJOR TRAFFIC CIRCULATION PATTERN
अयोध्या
फैजाबाद
LEGEND
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर-प्रदेश
सम्भागीय नियोजन खण्ड फैजाबाद

12·3·6 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में स्थित ट्रक एजेन्सियों में से अधिकांश ट्रक एजेन्सियाँ लगभग (90 प्रतिशत) फतेहगंज चौराहे के समीप जेल रोड पर स्थित है। इन ट्रक एजेन्सियों के ट्रकों के इस सड़क मार्ग पर माल चढ़ाने-उतारने, मरम्मत तथा विश्राम के लिये खड़े रहने के कारण इस भाग में यातायात के मार्ग में अवरोध की स्थितियाँ बनी रहती है।

12·4 भावी प्रस्ताव:

12·4·1 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में यातायात के सुगम आवागमन में आने वाले अवरोधों को दूर करने, क्षेत्रीय यातायात तथा स्थानीय यातायात के साथ-साथ चलने की वर्तमान अवांछनीय स्थिति को समाप्त करने तथा नगरीय क्षेत्र में यातायात पैटर्न को विवेकपूर्ण (रेशनल) दिशा प्रदान करने की दृष्टि से यातायात से सम्बन्धित निम्नलिखित प्रस्ताव किये जाते हैं।

12·4·2 फैजाबाद नगरीय क्षेत्र के वर्तमान रोडवेज बस-स्टेशन- जिसका क्षेत्रफल कम है और जिससे वर्तमान आवश्यकता की ही पूर्ति नहीं हो पाती तथा नगर के ट्रक स्टैण्ड के लिये एक संयुक्त स्थल फैजाबाद-रायबरेली, फैजाबाद-इलाहाबाद और राष्ट्रीय राजमार्ग-28 के बाई पास के मध्य कृषि मण्डी स्थल के सम्मुख लगभग 12 हैटर भूमि क्षेत्र पर विकसित करने का प्रस्ताव प्रारूप महायोजना में किया गया था जिसे आपत्ति सुनवाई समिति, फैजाबाद-अयोध्या महायोजना की आपत्ति के सुनवाई के दौरान बाई-पास मार्ग के दक्षिण किनारे पर फैजाबाद-इलाहाबाद रेलवे लाइन व ग्राम गद्दौपुर के पूरे मझवा नामक पुरवा के बीच स्थित 12 हेक्टेयर भूमि पर परिवहन नगर के रूप में विकसित करने की संस्तुति की है, जिसे नियंत्रक प्राधिकारिणी ने भी संस्तुति प्रदान कर दी है और तदैव महायोजना प्रारूप में अंतिम संशोधन भी कर लिया गया है। पूर्व प्रस्तावित नगर के बस/ट्रक स्टैण्ड के लिये प्रस्तावित 12

हेक्टेयर भूमि में से शेष लगभग 2 हेक्टेयर भूमि में बस स्टैण्ड की स्वीकृति तदैव प्रदान कर दिया है और प्रारूप महायोजना में प्रस्तावित शेष 10 हेक्टेयर भूमि आवासीय प्रयोग में लाये जाने की संस्तुति की है ।

12·4·3 चौक, गुदड़ी बाजार, रिकाबगंज तथा फतेहगंज के चौराहों में सम्भव भौतिक परिवर्तन करके इनकी मार्ग ज्यामित (रोड ज्यामेट्री) सुधारी जाय तथा चौक चौराहे के समीप नगर बस, टैक्सी आदि के स्टैण्ड प्रतिबंधित किये जाये ।

12·4·4 मद्दोपुर, राजकीय इण्टर कालेज, फतेहगंज तथा आचार्य नरेन्द्र देव रेलवे स्टेशन (आजमगढ़ मार्ग) के समीप स्थित रेलवे सम्पारों में से जिन- जिन पर सम्भव हो ओवर हेड ब्रिज के प्राविधान किये जायें ।

12·4·5 फैजाबाद-अयोध्या के मध्य से जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 28 के लिये बाई-पास मार्ग के प्राविधान को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाय ।

12·5 वर्तमान एवं महायोजना में प्रस्तावित मार्गों की श्रेणियाँ उच्चोच्च परम्परा के अनुसार आगे सारणी में स्पष्ट की गयी है।

प्रस्तावित मार्ग उनकी [illegible] के अनुसार:

क्र0 सं0	प्रस्तावित मार्ग	मार्गाधिकार प्रस्तावित चौ0 मीटर	मार्गाधिकार प्रस्तावित चौ0 फीट
12·5·1	राष्ट्रीय महामार्ग:		
	(अ) राष्ट्रीय बाह्य मेखला मार्ग (बाई पास मार्ग)	76·2	250
	(ब) वर्तमान राष्ट्रीय मार्ग (जो फैजाबाद-अयोध्या बाई-पास के दोनों सिरों के बीच स्थित है)	45·7/30·5	150/100
12·5·2	प्रान्तीय राज मार्ग:		
	(अ) राज मार्ग	45·7/30·5	150/100
	(ब) अन्तर्नगर मेखला राजमार्ग	45·7	150
12·5·3	मुख्य महायोजना मार्ग:	30·5	100
12·5·4	अन्तर्नगरी/महायोजना फीडर मार्ग:	24·0	/80
12·5·5	अन्य सहायक मार्ग:	18/12/9·10	60/40/30

12·6 यातायात का दृष्टिकोण से सम्पूर्ण विनियमित क्षेत्र को 5 मार्ग श्रेणियों के अन्तर्गत विभक्त किया गया है। अध्ययन के पश्चात आवश्यकता को देखते हुए यातायात का मानदण्डीय (स्टैण्डर्ड) परम्परा का भी निर्वाह किया गया है। इन 5 श्रेणियों के प्रथम 4 श्रेणियों में मार्गों का चौड़ाई (मार्गाधिकार) का प्रस्ताव सुनिश्चित किया गया है, अन्तिम 5वीं श्रेणी के मार्गाधिकार को जोनल प्लान बनाते समय स्थल की विशेषता के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा

12·6·1 इसके अतिरिक्त विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत यातायात भार को सुगम्य करने तथा भावी आवश्यकताओं के यातायात भार को आकलित करके विभिन्न मार्गों का मार्गाधिकार महायोजना में निश्चित किया गया है। उच्चतम मार्गाधिकार 78·2 मी0(250 फीट) तथा न्यूनतम मार्गाधिकार स्थान एवं अकक्ष आवश्यकता का सामंजस्य स्थापित करते हुए 24 मी0 (80फीट) प्रस्तावित किया गया है जिसे आगामी पृष्ठों में स्पष्ट किया गया है।

फैजाबाद-अयोध्या महायोजना क्षेत्र में स्थित मार्गों की चौड़ाई:

क्रम सं0	मार्गों स्थानीय विवरण (स्थानों के नाम सहित)		निर्धारित मीटर	चौड़ाई फीट
12·6·2	राष्ट्रीय महा-मार्ग-28 (एन0 एच0-28)	(अ) निर्माणाधीन राष्ट्रीय वाह्य मेखला मार्ग-28 (फैजाबाद-अयोध्या बाई-पास मार्ग) सहादतगंज वाई जंक्शन से अयोध्या बाई पास जंक्शन तक ।	70·2	250
		(ब) वर्तमान राष्ट्रीय मार्ग 28 (लखनऊ से फैजाबाद-अयोध्या होते हुये मोकामाघाट (बिहार)	45·7/30·5	150/100
		ब-1 सहादतगंज वाई जंक्शन से हे0 पोस्ट ऑफिस चौराहे तक	45·7	150
		ब-2 पोस्ट ऑफिस चौ0 से रिकाबगंज चौक घंटाघर, गुलाबबाड़ी चौ0, नेत्र चिकित्सालय लोहे का पुल होते हुये आई0टी0 आई0 के पश्चिमी किनारे तक जहाँ प्रस्तावित 150 चौ0 मार्ग मिलता है ।	30·5	100
		ब-3 उपरोक्त आई0टी0आई0 के पश्चिमी स्थित तिराहे से आगे टेढ़ी बाजार चौराहे तक	45·7	150
		ब-4 टेढ़ी बाजार चौराहे से अयोध्या बाई पास जंक्शन तक ।	30·5	100
		ब-5 अयोध्या बाई-पास ज0 से पुल तक	76·2	250
		ब-6 सरजू पुल पार से आगे	76·2	250
12·6·3	प्रान्तीय राज-मार्ग:	(अ) राजमार्ग-30 (बहराइच से अयोध्या फैजाबाद होते हुये आजमगढ़		

	अ-1	फैजाबाद गुलाबबाड़ी चौराहे से रीडगंज होते हुए देवकाली तक	30·5	100
	अ-2	देवकाली से आगे आजमगढ़ व वाराणसी को	45·7	150
	अ-3	देवकाली से पश्चिम तरफ वजीरगंज, लालबाग, फतेगंज, पुष्पराज चौ० से होकर फैजाबाद हेड पो०आ० चौराहे तक	45·7	150
	(ब)	राजमार्ग- 9 (उतरौला-फैजाबाद सुल्तानपुर-इलाहाबाद)		
	ब-1	फैजाबाद चौक घंटाघर से फतेहगंज चौराहे तक।	30·5	100
	ब-2	फतेहगंज चौराहे से आगे नाका होते हुये सुल्तानपुर को	45·7	150
	(स)	राजमार्ग-(फैजाबाद-रायबरेली)		
	स-1	फैजाबाद मकबरा नाका चुंगी से मंडी समिति की तरफ	45·7	150
	(य)	अन्तर्नगर मेखला राजमार्ग (अयोध्या)		
12·6·4 मुख्य महायोजना मार्ग:	1·	इण्डस्ट्रीयल स्टेट (गद्दोपुर से, जिलाधिकारी निवास चौराहे (चुंगी, कमिश्नर कार्यालय चौराहा होते हुये केन्टोमेंट तक	30·5	100
	2·	चौक से धारा रोड	30·5	100
	3·	रिकाबगंज चौराहे से उत्तर- नियावां चौ०, तरंग टाकीज, गुदड़ी बाजार चौ० होते हुये नेत्र चिकित्सालय तिराहे तक	30·5	100
	4·	नियावां चौ० से जमथरा चुंगी	30·5	100
	5·	जमथरा, धारा रोड, अफीम कोठी, माझा से	30·5	100
	6·	अयोध्या राजघाट (बड़ी परिक्रमा मार्ग) जिलाधिकारी निवास चौराहे (रायबरेली रोड चुंगी) से [illegible] रेलवे क्रासिंग, नाका (मक- [illegible] चौरा होते हुए, [illegible] चिकित्सालय [illegible] पश्चिम [illegible] राष्ट्रीय मार्ग [illegible]	[illegible]	[illegible]

	7.	प्रस्तावित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से दक्षिण की ओर बाई-पास तक (लगभग 640 मी0)	30.5	100
	8.	पुष्पराज चौ0 से सप्लाई आ-फिस तिराहे तक ।	30.5	100
	9.	विद्याकुण्ड के दक्षिणी किनारे के पास प्रस्तावित तिराहे से रानोपाली मंदिर तिराहा, रेलवे क्रासिंग पार कर टेढ़ी बाजार चौराहे से वशिष्ट कुण्ड, राजघाट (निर्मोचन घाट) व अशर्फी भवन के सामने से अयो-ध्या पोस्ट आफिस तिराहे तक	30.5	100
12.6.5 अन्तर्नगर/महायोजना फीडर मार्ग:	1.	अब्बूसराय ग्राम के पूर्वी किना-रे पर स्थित बाई पास रोड के प्रस्तावित तिराहे से सहा-दतगंज हनुमानगढ़ी व पहलवान-वीर तिराहे से हवाईकोठी चुंगी तक)	24	80
	2.	जिलाधिकारी निवास के फाटक के सामने तिराहे से जी0आई0सी0 के पीछे रेलवे क्रासिंग पार कर मकबरा गेट तिराहे तक ।	24	80
	3.	आयुक्त निवास तिराहे से सुर-सुर कालोनी चौ0, मोदहा रेलवे क्रासिंग से दक्षिण सीधे बाई पास तक।	24	80
	4.	मोदहा रेलवे क्रासिंग से दक्षिण की ओर जाने वाले प्रस्तावित मार्ग पर प्रस्तावित तिराहे से निकल कर पूर्व की ओर मंडी समिति के उत्तर से रायबरेली रोड तक ।	24	80
	5.	मंडी समिति के पश्चिम में बाई-पास से निकल कर उपरोक्त प्रस्तावित मार्ग पर प्रस्तावित तिराहे तक (लगभग 400 मी0)	24	80
	6.	मालगोदाम चुंगी से पुष्पराज टाकीज चौराहे तक।	24	80
	7.	रिकाबगंज चौराहे से अल्कापुरी होटल के सामने होते हुये फते-हगंज चौराहे के पास तक ।	24	80

8.	नियावां-जमथरा मार्ग के आलकराम कालोनी चौराहे से हसनू कटरा होते हुये दिल्ली दरवाजे तक।	24	80
9.	अंगूरीबाग कालोनी के पश्चिम से दिल्ली दरवाजा रोड को पार कर बड़ी परिक्रमा मार्ग तक।	24	80
10.	फैजाबाद कोतवाली तिनदरे के पश्चिम से शुरु होकर दक्षिण तरफ आचार्य नरेन्द्रदेव रेलवे स्टेशन के पश्चिम रेलवे लाइन तक।	24	80
11.	आर0टी0ओ0 कार्यालय के सामने से गुलाबबाड़ी के पूर्व होते हुये राष्ट्रीय मार्ग-28 के पूर्वोत्तर प्रस्तावित तिराहे तक।	24	80
12.	प्रस्तावित स्टेडियम के पश्चिम-दक्षिण प्रस्तावित तिराहे से कटरा-सुल्तानपुर 100 प्रस्तावित मार्ग पर प्रस्तावित तिराहे तक।	24	80
13.	मकबरा(नाका) के उत्तर-पश्चिम कोने पर राजमार्ग-9(फैजाबाद-सुल्तानपुर रोड) से निकलकर लालबाग स्थित प्रस्तावित मार्ग के तिराहे तक	24	80
14.	मकबरा के पूर्व-उत्तर में प्रस्तावित तिराहे से पूर्व-दक्षिण में प्रस्तावित 100 फिट चौड़ी रोड पर प्रस्तावित तिराहे तक।	24	80
15.	लालबाग रेलवे लेबिल क्रासिंग से निकलकर दक्षिण पूर्व की दिशा में प्रस्तावित 100 चौड़े मार्ग तक	24	80
16.	फतेहगंज देवकाली रोड पर वजीरगंज के समीप प्रस्तावित तिराहे से निकलकर चमारन टोला होते हुए जनौरा ग्राम के उत्तर स्थित 80 चौड़े प्रस्तावित मार्ग के तिराहे तक।	24	80
17.	फैजाबाद-सुल्तानपुर(राजमार्ग-9)पर नाका(पेट्रोल पंप के उत्तर)से निकलकर पूर्व की ओर लगभग 600 मीटर पर स्थित प्रस्तावित तिराहे तक।	24	80
18.	प्रस्तावित पार्क के उत्तर-पश्चिम कोने पर प्रस्तावित तिराहे से निकलकर दक्षिण की ओर बाई पास मार्ग पर प्रस्तावित तिराहे तक।	24	80

19.	प्रस्तावित पार्क के दक्षिण-पश्चिम कोने पर प्रस्तावित तिराहे से पूर्व दिशा में (लगभग 880 मीटर) प्रस्तावित मार्ग के तिराहे तक ।	24	80
20.	प्रस्तावित पार्क के दक्षिण-पूर्व किनारे से उत्तर तरफ जनौरा ग्राम के पश्चिम 100 फिट चौड़े मार्ग पर प्रस्तावित तिराहे तक।	24	80
21.	प्रस्तावित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के दक्षिण-पश्चिम स्थित प्रस्तावित तिराहे से विद्यालय के पूर्व दक्षिण किनारे तक	24	80
22.	देवकाली तिराहे से परब(राजमार्ग-30 पर लगभग 200 मी0 हटकर)प्रस्तावित तिराहे से निकलकर दक्षिण-पश्चिम की ओर जाकर उत्तर दिशा की ओर मुड़ती है तथा प्रस्तावित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की पूर्वी सीमा से होते हुए प्रस्तावित 100 फिट मार्ग के तिराहे तक जाती है।	24	80
23.	देवकाली तिराहे से आगे से दक्षिण-पश्चिम की ओर जाने वाले प्रस्तावित 80 फिट चौड़े मार्ग से बाई पास मार्ग तक(लगभग 200 मी0 लम्बा मार्ग)।	24	80
24.	आई0टी0आई0 की पूर्वी सीमा से लगे हुए राष्ट्रीय मार्ग-28 पर प्रस्तावित तिराहे से निकलकर उत्तर तरफ 100 फिट चौड़ी बड़ी परिक्रमा मार्ग तक ।	24	80
25.	गुरुकुल विद्यालय के पूर्व प्रस्तावित तिराहे से निकलकर छोटी परिक्रमा मार्ग के रूप में आसफ बाग के आगे अयोध्या-दर्शननगर मार्ग पर प्रस्तावित तिराहे तक	24	80
26.	विद्याकुण्ड तिराहे से जैन मंदिर व अयोध्या राजमहल की दक्षिणी सीमा से मुड़कर रामघाट में प्रस्तावित 150 फिट चौड़े (अन्तर मेखला मार्ग) तक ।	24	80
27.	जैन मंदिर के पश्चिमोत्तर कोने से निकलकर राष्ट्रीय मार्ग 28 पर स्थित दातुन कुण्ड तिराहे तक	24	80

28.	अयोध्या राजमहल के पूरब स्थित प्रस्तावित तिराहे से उत्तर की ओर राष्ट्रीय मार्ग-28 पर तुलसी उद्यान से आगे प्रस्तावित चौराहे तक ।	24	80
29.	अयोध्या पोस्ट आफिस तिराहे से थोड़ा उत्तर तरफ से निकलकर पूरब तरफ प्रस्तावित 80 फिट चौड़े मार्ग पर प्रस्तावित तिराहे तक ।	24	80
30.	मी[illegible]नपुर [illegible]ावा क्षेत्र में 80 फिट चौड़े प्रस्तावित मार्ग को 150 फिट चौड़े (अन्तरमेखला) मार्ग तक (लगभग 240 मी0 लम्बा मार्ग)	24	80
31.	अयोध्या पुल के पास नया घाट चुंगी के दक्षिण प्रस्तावित चौराहे से पश्चिम की ओर लक्ष्मण किला घाट क्षेत्र से होते हुए अशर्फी भवन तिराहे के पास प्रस्तावित डिस्ट्रिक्ट व्यापारिक केन्द्र के पश्चिम दक्षिण कोने तक ।	24	80
32.	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अयोध्या के पूर्वी दक्षिणी कोने पर प्रस्तावित तिराहे से लक्ष्मण किला घाट से गुजरने वाले प्रस्तावित मार्ग तक ।	24	80

12·7 चौराहे, सम्पार एवं अन्तरपार का विकास:

12·7·1 यातायात के सुगम संचालन एवं इसके नियंत्रण में चौराहों, सम्पारों तथा अन्तरपारों का बड़ा महत्व है जहाँ पर चौराहों एवं अन्तरपारों के कारण यातायात नियंत्रित होता है, वहीं स्वस्थ्य नियोजन के फलस्वरूप समय का सदुपयोग भी होता है तथा यातायात के जाम होने का भय भी समाप्त हो जाता है। फैजाबाद के यातायात भार को देखकर विभिन्न चौराहों, मुख्यतः चौक, फतेहगंज, गुदड़ी बाजार, रीडगंज, नाका मुजफरा, फौवारा, नियावां, हनुमानगढ़ी, टेढ़ी बाजार, अयोध्या चुंगी, नया घाट तथा मेखला मार्ग पर पड़ने वाले समस्त चौराहों के विकास का प्रस्ताव किया गया है। इसी प्रकार महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत 14 रेलवे क्रासिंग में से प्रथम चरण में 4 पर सम्पार का भी प्रस्ताव किया गया है जो नामितः फतेहगंज, रीडगंज, अयोध्या, सआदतगंज, नाका मुजफरा एवं मेखला मार्ग पर पड़ने वाले सभी सम्पार प्रस्तावित हैं।

****

अध्याय- तेरह

13.0 राजकीय एवं अर्द्धराजकीय कार्यालय:

13.1 विस्तार और स्थिति:

13.1.1 फैजाबाद नगर इसी नाम के तहसील, जनपद एवं मण्डल (कमिश्नरी) का मुख्यालय है। अतः यहाँ पर तहसील स्तर से लेकर मण्डल स्तर तक के सभी राजकीय, कार्यालय एवं अर्द्धराजकीय कार्यालय स्थित हैं। यहाँ पर स्थित कार्यालयों की कुल संख्या के संबंध में कोई अधिकारिक सूची न होने की स्थिति में इस सम्बन्ध में जिला सेवायोजन कार्यालय तथा जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना तथा विभागीय भू-उपयोग सर्वेक्षण के दौरान संकलित आंकड़ों के आधार पर फैजाबाद- अयोध्या नगरीय क्षेत्र में वर्ष 1977 में कुल 126 राजकीय एवं अर्द्धराजकीय कार्यालयों का होना सूचीबद्ध किया गया है। इन 126 कार्यालयों में कुल 93 कार्यालयों से सम्बन्धित आंकड़े संकलित हुए है जिनमें केन्द्रिय सरकार, राज्य सरकार तथा अर्द्धराजकीय कार्यालयों की संख्या क्रमशः 1, 76 एवं 16 आती है। कुल 93 कार्यालयों में से लगभग 63 प्रतिशत (59 कार्यालय) कार्यालय किराये के निजी भवनों में कार्यरत हैं। स्थिति (लोकेशन) की दृष्टि से कार्यालयों का वितरण फैजाबाद नगरीय क्षेत्र के मुख्यतः सिविल लाइन्स, रीडगंज, नियावां तथा अमानीगंज क्षेत्रों में हैं।

13.1.2 राजकीय तथा अर्द्धराजकीय कार्यालयों की लगातार वृद्धि के साथ-साथ इनके लिये सरकारी तथा अर्द्धसरकारी संगठनों द्वारा उपयुक्त कार्यालय भवनों का निर्माण न कराये जाने के कारण कार्यालय उपयोग के लिये निजी भवनों को किराये पर लेने की मांग बढ़ती चल रही है। इस स्थिति का परिणाम यह हो रहा है कि, अपर्याप्त आवासीय भवनों का कार्यालय के रूप में उपयोग तथा

आवासीय व अन्य मकानों के किराये में वृद्धि की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है। इतना ही नहीं आवासीय मकान कार्यालय की आवश्यकता की पूर्ति की दृष्टि से न बने होने के कारण इस दृष्टिकोण से अनुपयुक्त भी होते हैं।

13.2 भावी प्रस्ताव:

13.2.1 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र के भावी विस्तार की दिशा जो मुख्यतः दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व की ओर सम्भावित और अनुमानित है, को देखते हुये फैजाबाद का वर्तमान सिविल लाइन्स क्षेत्र राजकीय एवं अर्द्धराजकीय कार्यालयों की स्थापना के लिये उपयुक्त स्थिति पर है। यह अनुमान लगाया गया है कि कार्यालय भवनों के लिये उपयुक्त आकार के कुछ प्लाटों को वर्तमान कलेक्टरी (कचहरी) क्षेत्र के खुले भाग तथा शेष, पास के कम्पनी बाग क्षेत्र में सुविधापूर्ण ढंग से विकसित करने का प्रस्ताव था परन्तु आपत्ति/संशोधन/सुनवाई समिति ने निर्णय लिया कि वर्तमान कम्पनी गार्डेन की समस्त भूमि में से 2 एकड़ भूमि उद्यान विभाग के उपयोग हेतु छोड़कर शेष भूमि प्रस्तावित भू-प्रयोग के अनुरूप क्रमशः सरकारी कार्यालय एवं सरकारी आवास हेतु उपयोग में लाई जाय।

13.2.2 यह अनुमान लगाया गया है कि 2001 के अन्त तक राजकीय तथा अर्द्धराजकीय कार्यालयों में कार्यरत लोगों की कुल संख्या लगभग 7,180 होगी। प्रति कर्मचारी 18 वर्गमीटर तल क्षेत्र (फ्लोर एरिया) की आवश्यकता के मानक के आधार पर इन कर्मचारियों के लिये कुल 1,29,240 वर्गमीटर तल क्षेत्र की भविष्य में आवश्यकता होगी।

:::::::::

अध्याय- चौदह

14.0 सामुदायिक सुविधाएं, उपयोगिताएं एवं सेवाएं:

14.1 सामुदायिक सुविधाएं:

14.1.1 सामुदायिक सुविधाओं का मतलब उन सुविधाओं से है जिनकी आवश्यकता सामान्य-रूप में पूरे समुदाय को पड़ती है। उन्नत और सभ्य नागरिक जीवन के लिये विभिन्न प्रकार की सामुदायिक सुविधाओं के आवश्यक प्राविधानों का बड़ा महत्व है। इन सुविधाओं के अन्तर्गत मुख्यत: शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, मनोरंजन, संचार कानून और व्यवस्था आदि की सुविधाएं आती हैं। पूरे समुदाय के लिये समान-रूप से आवश्यक एवं अपने समग्र रूप में अधिक खर्चीली होने के कारण इन सुविधाओं का प्राविधान सरकारी, स्वायत्तशासी एवं विभिन्न लोकोपकारी संस्थाओं द्वारा जनसमुदाय के लिये किया जाता है। फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं का अध्ययन इस अध्याय में किया गया है।

14.2 शिक्षा सुविधा:

14.2.1 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर उपाधि शिक्षा (डिग्री कोर्स) तक की शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने की सुविधा के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण एवं दीक्षा ज्ञान प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है (कृपया मानचित्र संख्या 14/1 देखें)। वर्ष 1977-78 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार फैजाबाद तथा अयोध्या नगरीय क्षेत्र में स्थित शिक्षण संस्थाओं, शिक्षण सुविधा एवं विद्यार्थियों की संख्या आदि का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:-

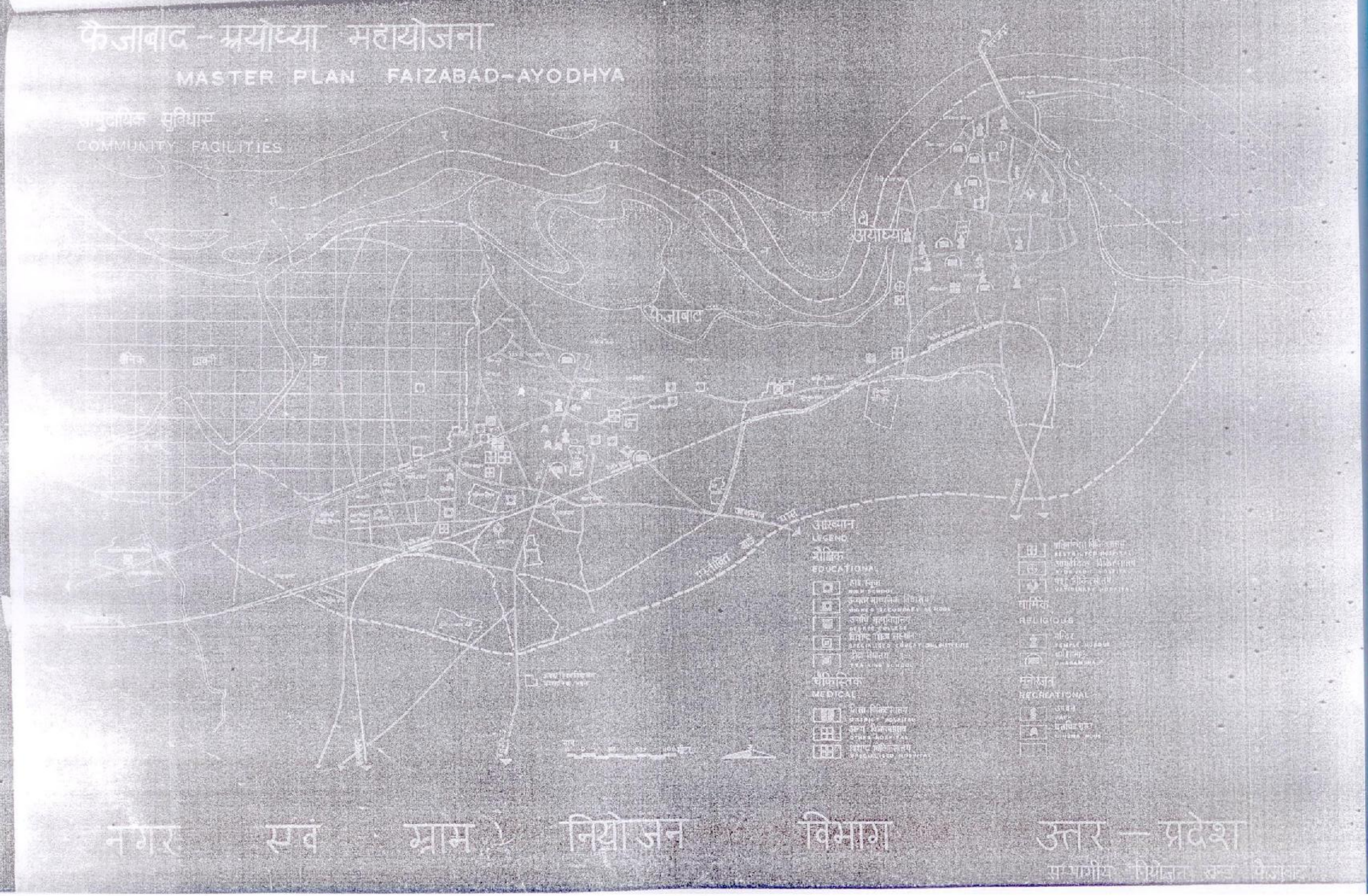

फैज़ाबाद - अयोध्या महायोजना
MASTER PLAN FAIZABAD-AYODHYA
सामुदायिक सुविधाएं
COMMUNITY FACILITIES
अयोध्या
फैज़ाबाद
LEGEND
EDUCATIONAL
MEDICAL
RELIGIOUS
RECREATIONAL
मन्दिर
धर्मशाला
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर - प्रदेश

सारणी संख्या 14.1

फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में स्थित शैक्षणिक संस्थाओं से सम्बन्धित विवरण: वर्ष 1977-78

क्रम सं0	शैक्षिक संस्थाओं की श्रेणी	फैजाबाद नगरीय क्षेत्र		अयोध्या नगरीय क्षेत्र		योग फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र	
		शिक्षण संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या	शिक्षण संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या	शिक्षण संस्थाओं की संख्या	छात्रों की संख्या
1.	प्रारम्भिक पाठशाला (प्राइमरी स्कूल)	39	5,164	14	2,123	53	7,287
2.	लघु माध्यमिक विद्यालय (जूनियर हाई-स्कूल)	7	911	3	329	10	1,240
3.	हाई-स्कूल	4	1,963	-	-	4	1,963
4.	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (हायर सेकेन्डरी स्कूल/इंटरमीडिएट कालेज)	9	9,449	2	939	11	10,388
5.	उपाधि महाविद्यालय (डिग्री-कालेज)	1	298	1	4,109	2	4,407
	योग	60	17,785	20	7,500	80	25,285

स्रोत:- फैजाबाद सम्भागीय नियोजन खण्ड ।

14·2·2 उपर्युक्त सारणी में उल्लिखित शैक्षणिक संस्थाओं के अतिरिक्त फैजाबाद नगरीय क्षेत्र में एक राजकीय पालीटेक्निक (नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित), एक औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र और दो शिक्षक दीक्षा विद्यालय (टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल) तथा अयोध्या नगरीय क्षेत्र में एक नर्सेज प्रशिक्षण और एक सहकारी लेखा परीक्षक केन्द्र है।

14·2·3 नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या की आवश्यकता के संदर्भ में फैजाबाद-अयोध्या में उपलब्ध शिक्षण संस्थाओं की पर्याप्तता अथवा अपर्याप्तता का अध्ययन करने के लिये प्रति एक प्रारम्भिक पाठशाला, लघु माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और उपाधि महाविद्यालय द्वारा क्रमशः 4,000, 5,000, 16,000 और 1,00,000 जनसंख्या की आवश्यकता पूर्ति का मानक लिया गया है। इस मानक के आधार पर 1978 के लिये अनुमानित फैजाबाद-अयोध्या की 1,22,835 की जनसंख्या के लिये प्रारम्भिक पाठशालाओं, लघु माध्यमिक विद्यालयों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं उपाधि महाविद्यालयों की 31, 25, 9 और 2 की क्रमशः आवश्यकता आती है। इस आवश्यकता पूर्ति के लिये वर्तमान में केवल 18 लघु माध्यमिक विद्यालयों की संख्यात्मक दृष्टि से कमी आती है। फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र की 2001 के लिये प्रक्षेपित 2,10,972 की जनसंख्या के लिये प्रारम्भिक पाठशालाओं, लघु माध्यमिक विद्यालयों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा उपाधि महाविद्यालयों की क्रमशः 106, 43, 11 एवं 3 इकाइयों की आवश्यकता होगी। इस सम्बन्ध में आपत्ति संशोधन सुनवाई समिति ने निर्णय लिया कि, गुलाबबाड़ी के पूरब (बाल्दा कुंज) में खाली 20-25 एकड़ नजूल भूमि को डिग्री कालेज एवं इसके प्रासंगिक उपयोग हेतु आरक्षित किया जाय।

14·3 चिकित्सा सुविधा:

14·3·1 उत्तम और पर्याप्त स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा से

जन्य समुदाय के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा होती है। इस प्रकार यह सुविधा समाज की कार्य दक्षता, प्रगति और सम्पन्नता को अप्रत्यक्ष रूप में बल प्रदान करती है। फैजाबाद एवं अयोध्या में उपलब्ध स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा से सम्बन्धित विभिन्न इकाइयों का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:-

सारणी संख्या 14.2

फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा से संबंधित विभिन्न इकाइयों का विवरण: 1977-78

क्रम सं0	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा की इकाई की श्रेणी	फैजाबाद नगरीय क्षेत्र		अयोध्या नगरीय क्षेत्र		योग फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र	
		इकाइयों की कुल संख्या	शैय्या संख्या	इकाइयों की कुल संख्या	शैय्या संख्या	इकाइयों की कुल संख्या	शैय्या संख्या
1.	सामान्य चिकित्सालय (जनरल हास्पिटल)	2	252	2	70	4	322
2.	विशिष्ट चिकित्सालय (स्पेसलाइज्ड हास्पिटल)	1	50	1	16	2	66
3.	अन्य चिकित्सालय	-	-	1	25	1	25
4.	क्लीनिक	1	-	-	-	1	-
5.	डिस्पेंसरी	1	-	-	-	1	-
6.	मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र	1	-	-	-	1	-
	योग	6	302	4	111	10	413

स्रोत:- फैजाबाद सम्भागीय नियोजन खण्ड ।

14·3·2 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में स्थित 4 सामान्य चिकित्सालयों में 2 पुरुष और 2 महिला चिकित्सालय हैं। फैजाबाद नगरीय क्षेत्र में स्थित एक पुरुष तथा एक महिला चिकित्सालय जनपद स्तरीय चिकित्सालय है। अयोध्या नगरीय क्षेत्र में स्थित एक पुरुष और एक महिला चिकित्सालय छोटे चिकित्सालय हैं। इन चारों चिकित्सालयों में कुल 322 शैय्यायें हैं जिनमें से 253 शैय्यायें फैजाबाद स्थित चिकित्सालयों में और शेष 70 शैय्यायें अयोध्या स्थित चिकित्सालयों में है। इन चार चिकित्सालयों के अतिरिक्त फैजाबाद अयोध्या नगरीय क्षेत्र में नेत्र रोगों एवं संक्रामक रोगों से सम्बन्धित दो विशिष्ट चिकित्सालय और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर आधारित एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं जिनमें क्रमशः 50, 16 एवं 25 शैय्या सुविधा उपलब्ध है ‹कृपया मानचित्र संख्या 14/1 देखें›।

14·3·3 सारणी संख्या 13·2 में उल्लिखित स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा से सम्बन्धित विभिन्न इकाइयों के अतिरिक्त फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में रेलवे पुलिस एवं जेल विभाग के अलग-अलग विभागीय चिकित्सालय हैं जिनके द्वारा केवल इन विभागों के कर्मचारियों को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इन विभागीय चिकित्सालयों तथा पैरा 14·3·1 में उल्लिखित सार्वजनिक चिकित्सालयों के अतिरिक्त फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में बहुत से निजी चिकित्सकों ‹प्राइवेट डाक्टरों› द्वारा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जाती है। इन निजी चिकित्सकों में अयोध्या ‹नया घाट› के डा० मिश्रा, फैजाबाद के डा० तौसीफ ‹जमुनियाबाग›, डा० गुप्ता नेत्र चिकित्सक ‹कन्धारी बाजार›, डा० उर्फी ‹पुरानी सब्जी मंडी› प्रमुख निजी चिकित्सक हैं जिनके यहाँ रोगियों को भर्ती करने के लिये कुछ-कुछ शैय्याओं की सुविधायें उपलब्ध हैं।

14.3.4 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में स्थित विशिष्ट चिकित्सालयों को छोड़कर चार सामान्य चिकित्सालयों एवं एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय में उपलब्ध शैय्याओं की कुल संख्या 347 आती है। प्रति 300 की जनसंख्या पर एक शैय्या के मानक के आधार पर फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र के लिये 1978 की अनुमानित 1,22,835 की जनसंख्या के लिये वर्तमान में कुल लगभग 410 शैय्याओं की आवश्यकता आती है। इस प्रकार इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये 63 शैय्याओं की वर्तमान में कमी रही है। फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र की 2001 के लिये प्रक्षेपित 2,10,972 की जनसंख्या के कुल 704 चिकित्सालय-शैय्याओं की आवश्यकता होगी।

14.4 मनोरंजन सुविधा:

14.4.1 बच्चों के खेलकूद की आवश्यकता पूर्ति के लिये ही नहीं वरन् वयस्क व्यक्तियों के मानसिक/शारीरिक थकान को दूर करने के लिये उपवन (पार्क) एवं विकसित खेल स्थल समान रूप से आवश्यक है क्योंकि इनमें समाज के बच्चे से लेकर वृद्ध तक अपने मनोरंजन एवं विश्राम की आवश्यकता की पूर्ति एक साथ करते हैं।

14.4.2 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में केवल दो सार्वजनिक उपवन (एक फैजाबाद नगरीय क्षेत्र में और एक अयोध्या नगरीय क्षेत्र में) है। (कृपया मानचित्र संख्या 14/1 देखें)। अयोध्या स्थित उपवन तुलसी उद्यान कहलाता है और लगभग .5 हेक्टर क्षेत्र में फैला है। फैजाबाद स्थित उपवन "गुलाबबाड़ी" उद्यान कहलाता है, जो लगभग 1 हेक्टर क्षेत्र में फैला है। ये दोनों उद्यान राजकीय फल एवं उद्यान विभाग द्वारा पोषित (मेन्टेन्ड) है। फैजाबाद में एक स्थानीय संस्था द्वारा पोषित एक खेल का मैदान (लगभग 1 हेक्टर क्षेत्रफल का) गुलाबबाड़ी क्षेत्र के पास स्थित है जो प्रदर्शनी स्थल के रूप में भी प्रयुक्त होता है। फैजाबाद एवं अयोध्या में स्थित उपवन एवं फैजाबाद स्थित खेल

का मैदान यहाँ की वर्तमान आवश्यकता के लिये पर्याप्त नहीं है।

14.4.3 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र की मनोरंजन सम्बन्धी भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु फैजाबाद स्थित देवकाली मन्दिर के समीप लगभग 20 हेक्टर क्षेत्र पर एक स्टेडियम, अयोध्या में राम जन्म स्थान के समीप 37 हेक्टर के असमतल भू-क्षेत्र को पिकनिक स्थल तथा नागेश्वर नाथ मंदिर के सामने स्थित लगभग 14 हेक्टर समतल खुले क्षेत्र को नगर उपवन में विकसित करने का महायोजना में प्रस्ताव किया गया है ।

14.5 <u>संचार सुविधा:</u>

14.5.1 डाक, तार एवं दूरभाष (टेलीफोन) की सुविधायें संचार सुविधा के अंग मानी जाती हैं। फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में डाक-तार की सुविधा एक प्रधान डाकघर, दो उप-डाकघरों और आठ शाखा डाकघरों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है (कृपया मानचित्र संख्या 14/1 देखें) । फैजाबाद स्थित प्रधान डाकघर एवं फैजाबाद तथा अयोध्या में स्थित एक-एक उप-डाकघरों द्वारा तार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में दूरभाष (टेलीफोन) सुविधा फैजाबाद तथा अयोध्या स्थित टेलीफोन एक्सचेंज केन्द्रों से नियंत्रित होती है। यहाँ पर डायल सिस्टम दूरभाष सेवा उपलब्ध है। फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र सीधे ट्रंक डायल सिस्टम से लखनऊ से जुड़ा हुआ है ।

14.5.2 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में उपलब्ध वर्तमान संचार सुविधा के अन्तर्गत उपलब्ध डाक एवं तार की सुविधा नगरीय क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकता के लिये पर्याप्त है, परन्तु उपलब्ध दूरभाष की सुविधा त्रुटिपूर्ण होने के कारण पर्याप्त रूप में आवश्यकता की पूर्ति नहीं करती है ।

14·5·3 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र के लिये 2001 के अन्त तक केवल उप-डाकघरों तथा शाखा डाकघरों के क्रमश: 2 और 3 अतिरिक्त इकाइयों की आवश्यकता का अनुमान किया गया है।

14·6 कानून और व्यवस्था की सेवा सुविधा:

14·6·1 समाज की सम्पन्नता और प्रगति की रक्षा के लिये कानून तथा शान्ति व्यवस्था द्वारा लोगों में सुरक्षा की भावना को बनाये रखना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति पुलिस शक्ति और पुलिस व्यवस्था द्वारा की जाती है।

14·6·2 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में तीन पुलिस स्टेशन फैजाबाद कोतवाली, अयोध्या कोतवाली तथा कैन्ट थाना है। फैजाबाद तथा अयोध्या कोतवाली पुलिस स्टेशन अपने-अपने अधीन छ:-छ: पुलिस चौकियों की व्यवस्था के माध्यम से फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था देखने और जन-जीवन को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं।

14·6·3 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र के लिये 2001 के अन्त तक एक अतिरिक्त पुलिस स्टेशन और एक अतिरिक्त पुलिस चौकी की आवश्यकता का अनुमान किया गया है।

14·7 उपयोगिताएं एवं सेवाएं:

14·7·1 पेय जल सम्पूर्ति (ड्रिन्किंग वाटर सप्लाई):

14·7·1·1 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में शुद्ध पेय जल की सम्पूर्ति का स्रोत नलकूप व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में वर्तमान में 13 नलकूप तथा 4 ओवर हेड टैंक आते हैं (कृपया मानचित्र संख्या 14/2 देखें)। वर्तमान फैजाबाद नगरीय क्षेत्र में 14,73,000 लीटर प्रति घंटा की जल सम्पूर्ति है। 203 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के पेयजल की आवश्यकता के मानक के आधार

पर आने वाली पेय जल की कुल माँग में इस कुल माँग के 10 प्रतिशत भाग के बराबर पेय जल की "स्टैण्डवाई" आवश्यकता तथा 20 प्रतिशत भाग के बराबर ग्रीष्म कालीन अतिरिक्त आवश्यकता को जोड़ने पर पेय जल की सकल औसत आवश्यकता प्रति घन्टा 15,52,857 लीटर आती है। इस प्रकार पेय जल की आवश्यकता पेय जल की सम्पूर्ति से 79,857 लीटर प्रति घन्टा अधिक है। इस आधार पर पेय जल की प्रतिदिन की औसत कुल कमी लगभग 12,77,712 लीटर (2,83,936 गैलन) आती है। अयोध्या नगरीय क्षेत्र में वर्तमान में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति औसत जल सम्पूर्ति लगभग 122 लीटर (2·7 गैलन) है जो 203 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की औसत आवश्यकता के मानक से 81 लीटर कम है। इस आधार पर अयोध्या नगरीय क्षेत्र के लिये पेय जल की कुल कमी लगभग 22,08,870 लीटर (4,90,860 गैलन) आती है। इस कमी में कुल आवश्यकता के 10 प्रतिशत भाग के बराबर "स्टैण्डवाई" आवश्यकता तथा 20 प्रतिशत भाग के बराबर ग्रीष्म कालीन अतिरिक्त आवश्यकता को जोड़ने पर पेय जल की वर्तमान सकल अतिरिक्त आवश्यकता 38,61,023 लीटर (8,58,005 गैलन) जल की आती है।

14·7·1·2 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में पेय जल की सम्पूर्ति मात्रा की दृष्टि से कम होने के साथ-साथ सम्पूर्ति अवधि और सम्पूर्ति दबाव (प्रेसर) के दृष्टिकोण से भी अपर्याप्त है। 24 घंटों में जल सम्पूर्ति प्रतिदिन सुबह, दोपहर और शाम के तीन समयों पर कुल मिलाकर 10 घंटे होती है। इतना ही नहीं, जल सम्पूर्ति का दबाव भी बहुधा बहुत कम रहता है तथा फैजाबाद के घनी आबादी वाले मोहल्लों यथा रिकाबगंज, हैदरगंज, दालमंडी तथा चौक के दो मंजिले मकानों पर पानी ऊपर नहीं पहुंच पाता है। फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में पेय जल सम्पूर्ति की कमी

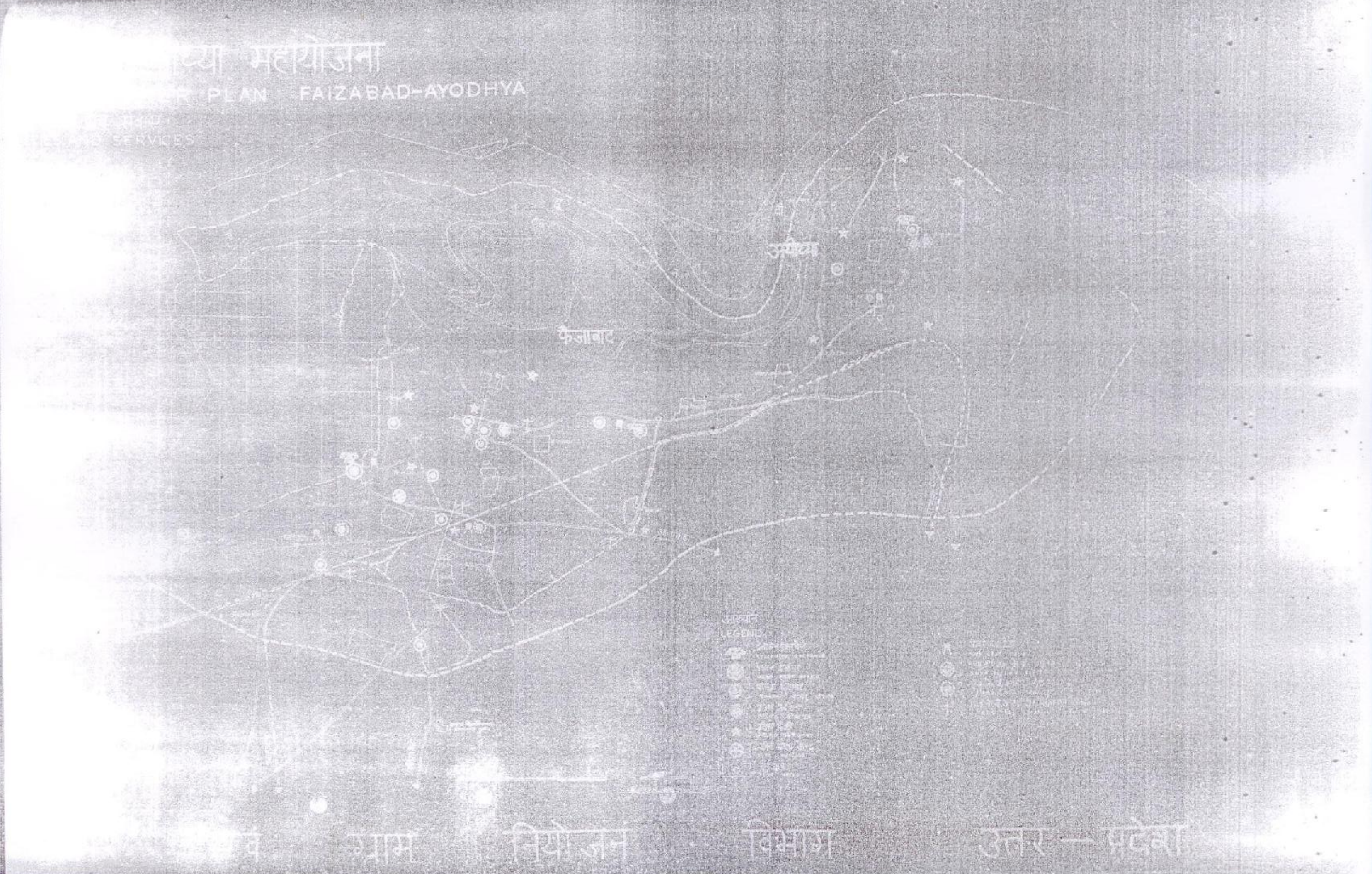
महायोजना
PLAN FAIZABAD-AYODHYA
SERVICES
अयोध्या
फैजाबाद
LEGEND
ग्राम नियोजन विभाग उत्तर – प्रदेश

अथवा अभाव का एक दूसरा पक्ष यह है कि फैजाबाद नगरीय क्षेत्र के मेहताब बाग, सुल्तानपुर, बढ़ई का पुरवा, रेतिया, ककरही बाजार, हंसनुकटरा, सुल्तानपुर अछड़ा, रमना, देवकाली और जनौरा आदि क्षेत्रों तथा अयोध्या नगरीय क्षेत्र के गुड़ियानना, कन्धारपुर, चक्रतीर्थ, मुगलपुरा, बरगदहिया तथा जयसिंहपुर आदि क्षेत्रों में जल सम्पूर्ति की व्यवस्था का प्रसार नहीं है।

14·7·1·3 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र की 2001 के लिये प्रक्षेपित 2,10,972 जनसंख्या के लिये 203 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मानक के आधार पर कुल 4,28,27,316 लीटर प्रतिदिन पेय जल की आवश्यकता होगी। यदि इस आवश्यकता में कुल आवश्यकता के 10 प्रतिशत के बराबर "स्टैण्ड बाई" आवश्यकता और 20 प्रतिशत ग्रीष्म कालीन आवश्यकता को जोड़ा जाय तो पेय जल की सकल आवश्यकता 5,56,75,511 लीटर की होगी।

14·8 विद्युत सम्पूर्ति:

14·8·1 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में कोई विद्युत उत्पादन शक्ति-गृह नहीं है। इस नगरीय क्षेत्र को विद्युत शक्ति की आवश्यकता की पूर्ति आंशिक रूप से सोहावल स्थित वाष्प शक्तिगृह तथा रिहन्द स्थित जल विद्युत शक्ति गृह द्वारा उत्पादित विद्युत जो "स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड" के माध्यम से प्राप्त होती है- द्वारा होती है। फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में विद्युत वितरण का कार्य विद्युत शक्ति के 11 उपकेन्द्रों द्वारा होता है(कृपया मानचित्र संख्या 14/2 देखें) । फैजाबाद- अयोध्या नगरीय क्षेत्र में विभिन्न उपयोगों के अन्तर्गत वर्ष 1977-78 में प्रतिदिन औसतन कुल 84,051 यूनिट विद्युत का उपयोग हुआ जिसका विवरण निम्नलिखित रूप में है:-

सारणी संख्या: 14·3

फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में विभिन्न उपयोगों के अन्तर्गत विद्युत उपभोग का विवरण: 1977-78

क्रम सं0	उपभोग के मद	उपभोग की गई विद्युत की मात्रा (यूनिट में)
1·	घरेलू उपभोग	45,000
2·	औद्योगिक उपभोग	18,551
3·	व्यवसायिक उपभोग	12,500
4·	शैक्षणिक उपभोग	4,000
5·	राजकीय कार्यालयों में उपभोग	3,000
6·	पथ प्रकाश	1,000
	योग	84,051

स्रोत:- फैजाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग कार्यालय ।

14·8·2 यद्यपि फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र का कोई भाग ऐसा नहीं है जो विद्युत लाइन प्रसार के अन्तर्गत न आता हो परन्तु आवासीय मकानों की संख्या की तुलना में आवासीय विद्युत कनेक्शनों की संख्या आधी से भी कम है। 1971 की जनगणना के अनुसार कुल 24,870 मकानों में से 10,448 मकानों (42 प्रतिशत) में विद्युत कनेक्शन था और शेष 58 प्रतिशत मकान विद्युत कनेक्शन-हीन रहे। औद्योगिक कनेक्शन की कुल 305 संख्या भी औद्योगिक शक्ति के रूप में विद्युत प्रयोग की कमी को दर्शाती है ।

14·8·3 भविष्य में विद्युत शक्ति की आवश्यकता का अनुमान वर्तमान विद्युत उपभोग की प्रवृत्ति (टेंडेन्सी), प्रक्षेपित जनसंख्या, प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र, भावी औद्योगिक इकाइयों का विस्तार और औद्योगिक श्रमिकों के सेवा नियोजन आदि के आधार पर लगाया गया है। इस आधार पर 2001 के अन्त तक प्रतिदिन विद्युत शक्ति की आवश्यकता का निम्नलिखित मानक लिया गया है।

1·	घरेलू	0·20 कि०वा०आ० प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन
2·	औद्योगिक (हल्के एवं उपचर्या)	3·00 " " " "
3·	पथ-प्रकाश	0·03 " " " "
4·	अन्य	0·08 " " " "

इस आधार पर फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में 2001 के अन्त तक विभिन्न उपयोगों में विद्युत शक्ति की आवश्यकता का अनुमान निम्नलिखित है:-

सारणी संख्या 14·4

फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र के लिये विद्युत शक्ति की भावी आवश्यकता का विवरण: 2001

क्रम सं०	विद्युत उपयोग का मद	भावी अनुमानित आवश्यकता	
		जनसंख्या	आवश्यकता कि·वा·आ·/प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन
1·	घरेलू एवं व्यापारिक	2,10,972	42,194
2·	औद्योगिक (हल्के एवं उपचर्या उद्योग)	25,318	75,954
3·	पथ-प्रकाश	2,10,972	6,329
4·	अन्य	2,10,972	16,878
	योग		1,41,355

स्रोत:- फैजाबाद सम्भागीय नियोजन खण्ड,

14.9 मल जल निकास प्रणाली (सीवर सिस्टम):

14.9.1 फैजाबाद नगरीय क्षेत्र में मल जल निकास की सार्वजनिक प्रणाली की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह सुविधा अयोध्या नगरीय क्षेत्र के केवल एक भाग में उपलब्ध है जिससे की अयोध्या नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या का एक बहुत छोटा भाग ही लाभान्वित है। अयोध्या में उपलब्ध मल-जल निकास प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त मल-जल के उपयोग के लिये वर्तमान में अयोध्या में लगभग 12 हैक्टर क्षेत्र का एक सीवेज फार्म है।

14.9.2 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र के गन्दे पानी का निकास विभिन्न नालों द्वारा होता है, जो अपने लम्बान के अधिकांश भाग में कच्चे और खुले हैं। इन नालों का दूषित जल जमथरा, धारा रोड, रामलला घाट के छोर पर न केवल सरयू के जल से मिलता है वरन् वर्षा ऋतु में तेज और अधिक वर्षा होने पर इनका गन्दा पानी नगरीय क्षेत्र में आस-पास के निचले भागों में भर और फैल जाता है।

14.9.3 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र के मल जल के सीवर प्रणाली द्वारा निकास के लिये उ0प्र0 जल निगम द्वारा दो बड़ी प्रयोजनायें तैयार की गई है। इन प्रयोजनाओं द्वारा लगभग 29,000 की जनसंख्या के लाभान्वित होने का अनुमान है।

अध्याय- पन्द्रह

15· पर्यटन:

15·1 पर्यटन: वर्तमान अर्थ में:

15·1·1 धार्मिक एवं सांस्कृतिक विश्वासों के प्रति आस्था और श्रद्धा के कारण, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विश्वासों के साथ जुड़े तीर्थ स्थानों पर लोगों का जाना-आना चिरकाल से प्रचलित है। इस रूप में तीर्थ यात्रा को पर्यटन के आदि के रूप में लिया जा सकता है और इस दृष्टिकोण से तीर्थ यात्री आदि पर्यटक माने जा सकते हैं। परन्तु आधुनिक विचार के अन्तर्गत किसी स्थान के प्राकृतिक अथवा कलात्मक सौन्दर्य के आकर्षण से प्रेरित होकर उस स्थान के सौन्दर्य सुख का अनुभव करने तथा वहां के वातावरण में आमोद-प्रमोद मनाने के लिये लोगों का वहां आने-जाने का कार्य-कलाप पर्यटन कहलाता है और आने-जाने वाले पर्यटक कहलाते हैं। आज पर्यटक के कार्य को सांस्कृतिक सम्बन्धों को मजबूत करने की कड़ी के रूप में स्वीकार करने के साथ ही आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के एक स्रोत के रूप में ग्रहण किया जाता है और इसे भी उद्योग की एक श्रेणी माना गया है।

15·2 फैजाबाद-अयोध्या में आने वाले पर्यटक:

15·2·1 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र विशेषकर अयोध्या क्षेत्र अपने अति विशिष्ट धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के कारण प्रांत ही नहीं वरन् देश के कोने-कोने से प्रति वर्ष लाखों तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है। प्रति वर्ष यहां मनाये जाने वाले अनेक पर्वों एवं अवसरों (जिनमें प्रमुख चैत्र रामनवमी, कार्तिक-पूर्णिमा, कार्तिक एकादशी, कार्तिक नवमी, श्रावण तीज आदि के पर्व व अवसर हैं) पर यहां लाखों तीर्थ यात्री श्रद्धा और

आत्म-संतोष के लिये आते हैं। इन तीर्थ यात्रियों के लिये आकर्षण मुख्यतः यहाँ के कुछ विशेष स्थलों/मंदिरों में भगवान की मूर्तियों का दर्शन करना और पवित्र सरयू में स्नान करना होता है। तीर्थ यात्रियों का यह प्रयोजन सामान्यतः आधे से डेढ़ दिन के अन्दर समाप्त हो जाता है। इस प्रकार यहाँ अन्य सांस्कृतिक समारोहों, मनोरंजन केन्द्रों आदि के आकर्षण के अभाव में तीर्थ यात्री यहाँ अधिक ठहरने के प्रति उदासीन हो जाते हैं। अयोध्या के विभिन्न प्रमुख पर्वों के नाम, इनकी तिथि, इन पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की अनुमानित संख्या आदि का विवरण परिशिष्ट- 15.1 पर दिया गया है।

15.2.2 अयोध्या में स्थित दर्शनीय एवं आकर्षण स्थलों को वहाँ पर पहुँचने वाले तीर्थ यात्रियों की अनुमानित संख्या के आधार पर प्रमुख, मध्यम और गौण, इन तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है। प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत वे स्थल आते हैं जहाँ पहुँचने का प्रयास यहाँ आने वाला हर तीर्थ यात्री करता है और ये स्थल हैं: राम जन्म स्थान, हनुमानगढ़ी, कनक भवन और पावन सरयू। मध्यम श्रेणी के अन्तर्गत वे स्थल आते हैं जो प्रमुख स्थलों को जाने के मार्ग पर या उनके समीप पड़ते हैं अथवा किसी आश्रम-मठ-सन्त सम्प्रदाय की ख्याति से जुड़े हैं। तीर्थ यात्री अयोध्या के अधिक से अधिक दर्शनीय एवं उपासना स्थलों को देखने की लालसा से इन स्थलों का दर्शन और अवलोकन करते हैं। इन स्थलों में नागेश्वर नाथ मंदिर, लक्ष्मण किला मन्दिर, तुलसी चौरा, जैन मंदिर, श्री सीताराम मंदिर (बिड़ला मंदिर) सुग्रीव टीला, अंगद टीला, मणि पर्वत, विभीषण कुण्ड, ब्रम्ह कुण्ड, बड़ी छावनी, छोटी छावनी, अयोध्या नरेश का राज-सदन और मंदिर आदि स्थल आते हैं। अयोध्या के शेष सभी छोटे मोटे दर्शनीय स्थल तीसरी श्रेणी के अन्तर्गत लिये जा सकते हैं।

अयोध्या के दर्शनीय स्थलों की सूची रूप में परिशिष्ट 15.2 पर दिया गया है।

15.2.3 अयोध्या में आने वाले तीर्थ यात्रियों/पर्यटकों में सर्वाधिक संख्या क्षेत्रीय तथा स्वदेशीय पर्यटकों की होती है। क्षेत्रीय तीर्थ-यात्रियों/पर्यटकों में ग्रामीण तीर्थ यात्रियों की संख्या सर्वाधिक होती है। यहाँ पर आने वाले तीर्थ यात्रियों/पर्यटकों की संख्या सम्बन्धी विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है।

<u>सारणी संख्या 15.1</u>

अयोध्या में आने वाले तीर्थ यात्रियों/पर्यटकों का वार्षिक विवरण: 1972-1977

वर्ष	भारतीय तीर्थ यात्री/पर्यटक	विदेशी पर्यटक	योग
1972	9,60,326	437	9,60,763
1973	9,61,096	531	9,61,627
1974	11,35,178	682	11,35,860
1975	21,14,618	674	21,15,290
1976	22,10,510	688	22,11,198
1977	26,09,748	710	26,10,458
1978			
1979			
1980	22,28,000	474	22,28,474
1981	22,00,000	547	22,00,547
1982	22,05,000	550	22,05,550

<u>स्रोत</u>:-
1. विकास परियोजना रिपोर्ट (1978-83) क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय।
11. 1978, 1979 के आंकड़े, अप्राप्य होने के कारण लिखे नहीं गये हैं। प्रयास किया जा रहा है, प्राप्त होते ही लिख दिया जायेगा।

15.3 अयोध्या में पर्यटकों के लिये सुविधा :

15.3.1 यातायात की दृष्टि से अयोध्या सड़क एवं रेल मार्गों द्वारा क्षेत्र, प्रान्त एवं देश के हर भाग से जुड़ा है। उत्तर रेलवे की तीन लम्बी दूरी वाली गाड़ियाँ अयोध्या से होकर जाती हैं और अयोध्या में ठहरती हैं। इसी प्रकार उ०प्र०रा०स०प०नि० का रोडवेज बस स्टेशन अयोध्या में है। यहाँ से विभिन्न दिशाओं को जाने वाली कुछ बसें यहीं से प्रारम्भ करती हैं और यहाँ पर टर्मिनेट होती हैं। दूसरी अन्य अनेक लम्बी दूरी की बसें यहाँ से होकर और ठहर कर अपनी यात्रा करती हैं। लम्बी दूरी के लिये यातायात सुविधा की इस उपलब्धता के विपरीत अयोध्या के निकट के कुछ अन्य धार्मिक स्थलों यथा मनोरामा सूर्य कुण्ड, भरत कुण्ड, रौनाही आदि को अयोध्या से सीधे आने-जाने की कोई सार्वजनिक यातायात सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

15.3.2 अयोध्या में आने वाले तीर्थ यात्री/पर्यटक आवास की सुविधा के लिये मुख्यत: विभिन्न मन्दिरों तथा स्थानीय पण्डों के अधीन उपलब्ध सामूहिक आवासीय सुविधा के अतिरिक्त विभिन्न धर्मशालाओं में उपलब्ध आवासीय सुविधा पर निर्भर करते हैं। मंदिरों तथा पंडों के अधीन उपलब्ध आवासीय सुविधा के अन्तर्गत शौचालय, विद्युत प्रकाश कुछ स्थलों पर शुद्ध पेय जल की भी अनुपलब्धता रहती है और इस कारण इसे एक संतोषजनक आवासीय सुविधा नहीं कहा जा सकता। वैसे अयोध्या में धर्मशालाओं की संख्या अधिक है परंतु अधिकांश धर्मशालाओं में मात्र कमरे ही हैं और वहाँ शौचालय, पेय जल, प्रकाश आदि की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। सुविधा सम्पन्न धर्मशालाओं में कनक भवन, श्री सीताराम मंदिर (बिड़ला) तथा दिगम्बर जैन मंदिर के साथ जुड़ी धर्मशालाओं तथा तुलसी मानस ट्रस्ट व जानकी महल मंदिर ट्रस्ट आते हैं, जहाँ पर उपलब्ध आवासीय सुविधा संतोषजनक कही जा सकती है। इनके अतिरिक्त अयो-

ध्या में उत्तर-प्रदेश राज्य पर्यटक विकास विभाग के अधीन एक पर्यटक गृह भी है। इन सुविधा सम्पन्न धर्मशालाओं/ट्रस्टों आदि में कुल 242 कमरों की सुविधा है जिनमें लगभग 726 व्यक्ति ठहर सकते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि अयोध्या में तीर्थ-यात्रियों/पर्यटकों के लिये उपलब्ध आवासीय सुविधा संख्या एवं गुणवत्ता दोनों ही दृष्टिकोण से असंतोषजनक है ।

15.4 समस्यायें:

15.4.1 तीर्थ यात्रियों/पर्यटकों के रूप में क्षेत्र, प्रदेश, देश और यहाँ तक कि विदेश में भी आने वाले लोगों को अयोध्या में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने, रात्रि विश्राम करने तथा उपभोक्ता सामग्री के क्रय करने से सम्बन्धित जीवन की विविध आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। इन आवश्यकताओं को भली-भाँति पूरा करने के मार्ग में आने वाली प्रत्येक छोटी-बड़ी रुकावटें अपने में एक समस्या होती है। प्रत्येक वह रुकावट एक बड़ी समस्या बन जाती है जो हजारों-लाखों व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधक बनती है। तीर्थ-यात्रियों/पर्यटकों के बड़े जनसमूह द्वारा अनुभव की जाने वाली प्रमुख समस्याओं को निम्नलिखित रूप में रखा जा सकता है:

15.4.1.1 तीर्थ यात्रियों/पर्यटकों के आवास के लिये सस्ते, सुविधाजनक और सुरक्षित आवास की कमी सबसे बड़ी और प्रमुख समस्या है । बाहर से आने वाली लाखों की अस्थिर जनसंख्या के शौच आदि के लिये पर्याप्त व्यवस्था के अभाव में नागरिक जीवन के चारों ओर गन्दगी और अव्यवस्थित जीवन का फैलाव व्याप्त हो जाता है ।

15·4·1·2 तीर्थ यात्री/पर्यटक सरयू स्नान और प्रमुख मन्दिरों/स्थलों पर दर्शन और प्रार्थना करने के बाद अयोध्या में संगीत, नाटक, लीला, कीर्तन आदि भक्ति एवं मनोरंजन के दूसरे आकर्षणों के अभाव में यहाँ ठहरना उपयोगी नहीं हो पाता। इसके कारण जिस प्रकार तीर्थ यात्रियों का विभिन्न पर्वों पर भारी संख्या में एक साथ यहाँ आना होता है,उसी रूप में भारी संख्या में वापस होने का प्रयास विभिन्न यातायात की समस्या को जन्म देता है ।

15·4·1·3 सरयू नदी पर बने घाटों में यद्यपि अधिकांश घाट पक्के हैं, परन्तु कई एक पक्के घाटों पर वर्षा ऋतु को छोड़ अन्य मौसम में स्नान योग्य जल प्राय: नहीं रहता। शेष पक्के घाटों पर की भीड़ से बचने के लिये तीर्थ यात्रियों की एक बड़ी संख्या को कच्चे घाटों पर स्नान करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त रात्रि में स्नान करने के लिये घाटों पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था भी नहीं रहती है ।

15·4·1·4 विभिन्न पर्वों तथा मेलों के अवसर पर जब कि अयोध्या में 1-2 लाख से 8-10 लाख तक अतिरिक्त अस्थिर जनसंख्या निवास करती है और इस जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग यहाँ के सड़क एवं गली मार्गों पर एक मंदिर/कुण्ड/आश्रम से दूसरे मंदिर/कुण्ड/आश्रम पर जाने के लिये आवागमन करता है तो इस आवागमन को पूरे मार्ग पर नियंत्रित करने की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण यातायात की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। यह कठिनाई संकरे मार्गों/गलियों में और बढ़ जाती है ।

15·4·1·5 अयोध्या की बड़ी और छोटी दोनों परिक्रमाओं विशेषकर बड़ी परिक्रमा के मार्ग का वह भाग जो फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में नहीं पड़ता, उस पर पथ-प्रकाश, विश्राम स्थल, [illegible] आदि की समुचित [illegible] का अभाव रहता है। [illegible] क्रमा [illegible] स्थलों यथा- [illegible]

और कुछ स्थलों पर संकरा तथा गंदे नालों आदि के कारण असुविधाजनक पाया जाता है।

15.5 प्रस्ताव:

15.5.1 तीर्थ यात्रियों/पर्यटकों के सस्ते और सुविधाजनक आवास के लिये दो-तीन स्थलों (जो की अयोध्या के आकर्षण केन्द्रों के निकट पड़ते हैं) को आवास कैम्पिंग मैदान के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। कैम्पिंग मैदान में शौचालय, पेय जल, सम्पूर्ति, प्रकाश और सल्पाहार की दुकानों आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।

15.5.2 विभिन्न पर्वों/अवसरों पर अयोध्या में दृष्टि एवं श्रव्य प्रदर्शनी, लीला, नाटकों आदि का आयोजन कर अतिरिक्त आकर्षण केन्द्रों का प्राविधान किया जाना चाहिए। अयोध्या के निकट के अन्य धार्मिक स्थलों यथा मनोरमा, सूर्यकुण्ड (7 किमी० दक्षिण) भरतकुण्ड (23 किमी० दक्षिण-पश्चिम) रौनाही (27 किमी० पश्चिम) आदि के बारे में प्रचार-साहित्य द्वारा प्रचार, विशेष कर विभिन्न पर्वों/मेलों के अवसरों पर किया जाना चाहिए और इन स्थलों पर सार्वजनिक यातायात सुविधा द्वारा यात्रियों/पर्यटकों को लाने- ले जाने की सुविधा उपलब्ध की जानी चाहिए, ताकि लोग अयोध्या में अधिक समय तक रहने के लिये अतिरिक्त आकर्षण पा सके।

15.5.3 अयोध्या में उपलब्ध खुले क्षेत्रों को "ब्यूटी स्पाट" और मणि पर्वत क्षेत्र को पिकनिक स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। इन स्थलों तथा फैजाबाद स्थित गुलाबबाड़ी और बहू-बेगम के मकबरों को पर्यटकों के लिये अतिरिक्त आकर्षण केन्द्रों के रूप में प्रचारित किया जाना चाहिए।

15.5.4 सरयू के कच्चे घाटों को पक्का तथा रात्रि स्नान के लिये इन पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था किया जाना चाहिए। एक धार्मिक एवं सुरम्य स्थल होने के नाते नया-घाट व गुप्तार-घाट का सुन्दरीकरण होना चाहिए ।

15.5.5 विभिन्न पर्वों/अवसरों पर जनसमूह के आवागमन को नगर के वर्तमान अधिकांश मार्गों पर "वन-वे" ट्रैफिक व्यवस्था के अन्तर्गत नियंत्रित और मार्ग निर्देशित किया जाना चाहिए। प्रमुख आकर्षण स्थलों के बीच आने-जाने के लिये कुछ दूसरे वैकल्पिक मार्गों को भी विकसित किया जाना चाहिए ।

15.5.6 विभिन्न आकर्षण स्थलों के लिये मार्ग-दर्शन पट्ट लगाये जाने चाहिए। बड़ी परिक्रमा के मार्ग के उस भाग को फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र से बाहर पड़ता है, पर पथ-प्रकाश, पेय जल, विश्राम स्थलों आदि की समुचित व्यवस्था स्थानीय निकायों तथा लोकोपकारी संस्थाओं द्वारा किया जाना चाहिए। परिक्रमा मार्ग के कंकड़ीले तथा संकरे मार्गों को सुधार कर इस भाग को सुगम बनाया जाना चाहिए ।

****
*****
***
*

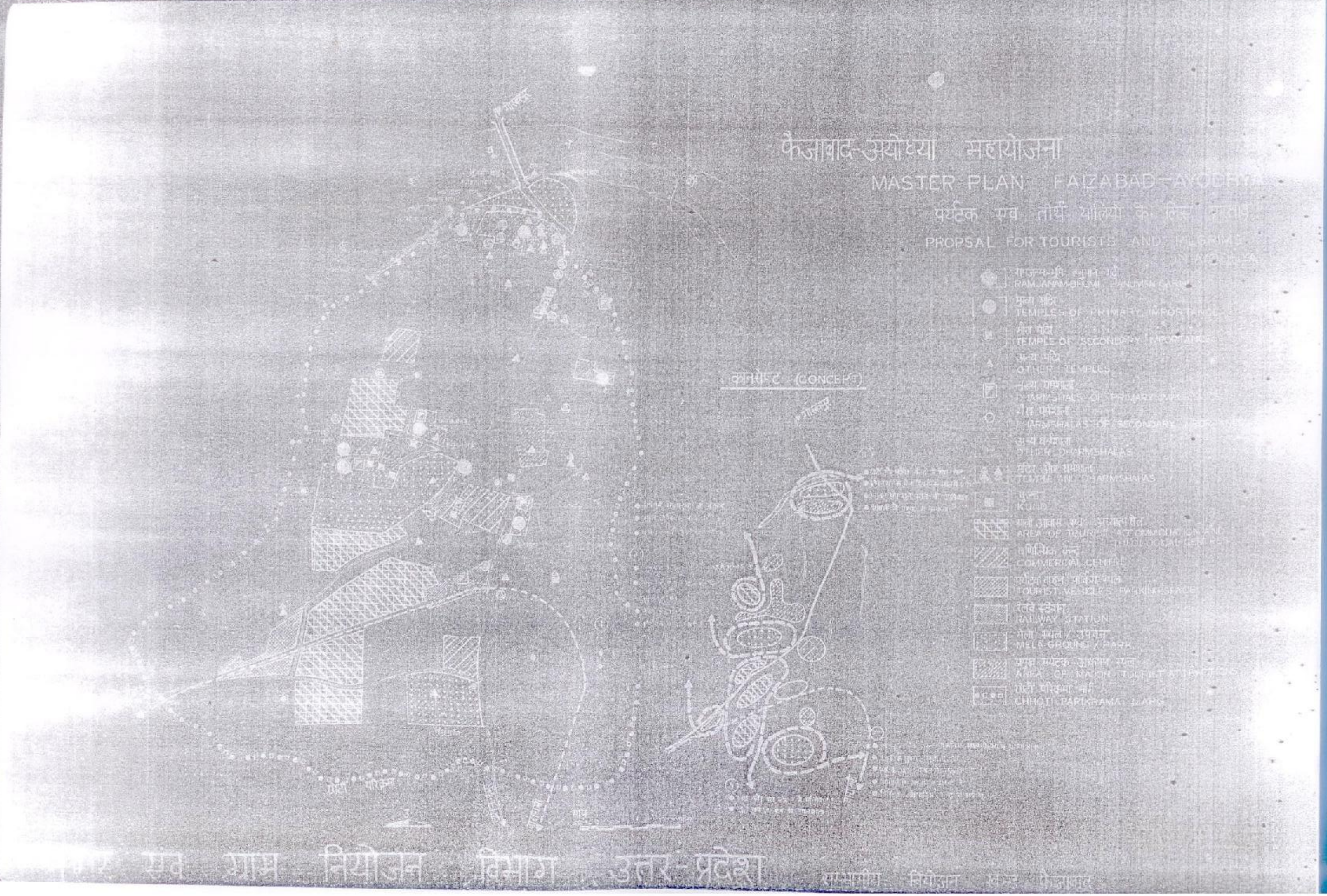
फैजाबाद-अयोध्या महायोजना
MASTER PLAN FAIZABAD-AYODHYA
PROPSAL FOR TOURISTS AND PILGRIMS
कान्सेप्ट (CONCEPT)
TEMPLES OF PRIMARY IMPORTANCE
TEMPLE OF SECONDARY IMPORTANCE
OTHER TEMPLES
OTHER DHARMSHALAS
KUND
COMMERCIAL CENTRE
TOURIST VEHICLES PARKING SPACE
RAILWAY STATION
MELA GROUND / PARK
CHHOTI PARIKRAMA MARG
एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर-प्रदेश

अध्याय-सोलह
==========

16· जोनिंग एवं उप-खण्डीय विनियमन:

16·1 फैजाबाद-अयोध्या महायोजना प्रस्तावित शहरीकरण क्षेत्र में भौतिक विकास की दिशा में बड़े पैमाने पर विकास प्रस्तावों को प्रदर्शित करती है। विभिन्न भू-प्रयोगों में ये प्रस्तावित विकास नियमानुसार तथा पूर्णतया नियोजित ढंग से हो, इसके लिये आवश्यक है कि, इन बातों का उल्लेख कर दिया जाये कि किसी भू-खण्ड में किसी खास भू-प्रयोग के प्रस्ताव के क्रियान्वयन में सम्यक सामाजिक एवं अन्य विचार से कुछ अन्य विकास अनुज्ञात (परमिटेड) और कुछ अनुज्ञेय (परमिसबुल) होते हैं, जब कि कुछ विकास निषिद्ध (प्राहिबिटेड) होते हैं।

16·2 नगर के सामाजिक वातावरण को स्वस्थ्यकर बनाने के लिये नगर में हो रहे भू-प्रयोग एवं भवन निर्माण कार्य पर आवश्यक नियंत्रण रखना आवश्यक है जिससे नगर का विकास वहाँ की आर्थिक एवं सामाजिक दशा के परिप्रेक्ष्य में हो सके। इसी उद्देश्य से महायोजना के अन्तर्गत नगर को कई भू-प्रयोग जोन्स में विभक्त किया गया है, जैसे- आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, राजकीय, मनोरंजनात्मक, सामुदायिक सुविधाएं-उपयोगिताएं सेवाएं इत्यादि। प्रत्येक भू-प्रयोग के लिये अलग-अलग विनियमन उसकी विशेषता एवं उपयोगिता के अनुसार निर्धारित किये जाते हैं। जोनिंग रेगुलेशन में भवन विनियमन एक भाग बन जाता है, क्योंकि प्रतिपादित भवन विनियमन एक ही प्रकार के भवन हेतु सामान्य रूप से लगाया जाता है। प्रस्तुत विनियमन भविष्य में जारी नियम, निर्देशों एवं उप-नियमों जैसे- नेशनल बिल्डिंग कोड, नियंत्रक प्राधिकारिणी के निर्णय आदि के द्वारा निर्धारित नियमों को भी समाविष्ट करने का प्राविधान रखते हुये तैयार किया जाता है।

16·3 महायोजना के भू-प्रयोग के सही ढंग से क्रियान्वयन के लिये यह आवश्यक है कि ऐसे प्रयोग, जो दूसरे अन्य तरह के भू-प्रयोगों को आमंत्रित करने की क्षमता रखते हों एवं नियंत्रक प्राधिकारिणी के अनुमोदन पर अनुज्ञेय एवं स्वीकृति की श्रेणी में आते हों या भू-विभाजन से सम्बन्धित हों, पर नियत प्राधिकारी को मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक अथवा उनके प्रतिनिधि की स्वीकृति लेना आवश्यक होगी इनमें प्रमुख रूप से होटल, सिनेमा, आडिटोरियम, थियेटर, पब्लिक असेम्बली हाल, भन्डार एवं संग्रहालय, बहु मंजिले भवन, पेट्रोल फिलिंग एवं सर्विस स्टेशन, कटरा, विशेष प्रकार की हाउसिंग स्कीम, बस स्टेशन, ट्रान्सपोर्ट नगर, शैक्षिक एवं वाणिज्यक काम्पलेक्स तथा उद्योग आदि स्तर के निर्माण होगें।

16·4 जोनिंग विनियमन प्रमुख तौर पर महायोजना के अन्तर्गत एक प्रस्तावित क्षेत्र में अन्य दूसरे उपयोगों जैसे- आवासीय भू-प्रयोग जोन को, वाणिज्यक एवं औद्योगिक प्रयोग आदि से सुरक्षित करने के लिये होता है। इसी प्रकार यह वाणिज्यक एवं औद्योगिक आदि क्षेत्रों के सुनियोजित एवं एकीकृत विकास के लिये सहायक सिद्ध होता है। इसके माध्यम से भवनों के चारों ओर खुले स्थान द्वारा आवश्यक प्रकाश, हवा प्रदान करना, किसी क्षेत्र में अनियंत्रित सघन विकास रोकने के साथ ही साथ समुदाय के लिये आवश्यक सुविधाएं जैसे-स्कूल, पार्क, जलोत्सारण एवं यातायात आदि सुविधाओं का उपलब्ध कराया जाना होता है।

16·5 जोनिंग विनियमन भूतलाक्षी होता है। जनता में व्याप्त इस गलत धारणा, कि यह एक निषेधात्मक उपाय है, का निराकरण करना आवश्यक प्रतीत होता है। यह सामान्य रूप से निषेधात्मक उपाय नहीं है। ऐसे भू-प्रयोगों को, जो इसके प्रभावी होने के पूर्व वैधानिक रूप से स्थापित हो चुके थे और अनुज्ञेय हों, परिवर्तित करने में अवरोधक नहीं होता है;

पूर्व निर्मित निर्माणों का स्पाट जोनिंग का प्राविधान नहीं किया जाता है परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि स्पाट जोनिंग के आधार पर जो भू-प्रयोग अनुमन्य किया गया है इसके स्थान पर भविष्य में यदि पुन: भू-प्रयोग परिवर्तित किया जाय तो वही भू-प्रयोग अनुमन्य किया जायेगा जो सम्बन्धित भू-खंडो के चारो ओर विद्यमान हो और तब एफ•ए•आर• भूतल आच्छादन भी उसी क्षेत्र के अनुरूप होगा।

केवल अन्य प्रयोगों जो विनियमन के अनुसार भू-प्रयोग जोन की प्रकृति के प्रतिकूल हो और उन्हें योजना में प्रतिकूल प्रमाण (नान कनफरमिंग यूज) की संज्ञा दी गयी हो, के लिये अवश्य ही निषेधात्मक है परन्तु उनके (नान कनफरमिंग यूज) लिये एक व्यापक कार्यक्रम के द्वारा सम्पत्ति स्वामियों के समक्ष असमीचीन कठिनाई (इनपि-लकिटेग अन रिजनेविल हार्डशिप) उत्पन्न किये बिना क्रमिक निरसन (एलीमिनेशन) करने का समुचित प्राविधान किया जाता है। सम्बन्धित सम्पूर्ण अध्ययन को निम्नांकित 4 शीर्षकों में विभक्त किया गया है:-

1- भू-प्रयोग जोन,
2- विभिन्न जोनों में प्रयुक्त होने वाले भू-प्रयोग,
3- उप-विभाजन तथा मानक निर्धारण विनियमन,
4- विभिन्न जोनों में निर्माण नियंत्रण विनियमन

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जोनिंग विनियमन महायोजना, जोनल योजना तथा विकास योजना के कार्यात्मक विभेद शीर्षक के अन्तर्गत विभक्त अथवा उप-विभक्त भू-प्रयोग प्रस्तावों को उचित रूप से लागू करने के उपाय हैं। ये विनियमन सम्पूर्ण फैजाबाद-अयोध्या (विनियमित क्षेत्र) शासनादेश संख्या 2816/37-3-45 नि०का०वि०/76, दिनांक 17-12-79 के पूर्ण क्षेत्र में लागू होंगे। कृपया, परिशिष्ट -1 देखें।

भू-प्रयोग जोन:

महायोजना में प्रदर्शित विभिन्न भू-प्रयोग जोन्स एवं परिभाषा निम्न प्रकार है। "भू - प्रयोग जोन" का अर्थ महायोजना या जोनल मानचित्र में दर्शाये गये निम्नलिखित जोन से है।

1·1 आवासीय भू-प्रयोग उपयोग जोन:

टिप्पणी

1·1	आर-1	आवासीय उच्च घनत्व 225 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर से ऊपर	राजकीय विभागों, जनसेवी अभिकरणों, मान्यता प्राप्त आवासीय समितियों तथा संस्थानों द्वारा प्रस्तुत आवासीय योजनायें, जैसे:- मलिन बस्ती सुधार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर, अल्प, मध्यम, आयवर्ग, औद्योगिक श्रमिकों, साइट एंड सर्विसेज, पंक्तिवद्ध एवं समूह आवासीय योजनाएं आदि के न्यूनतम आवासीय घनत्व 500 व्यक्ति/हे0 को फैजाबाद-अयोध्या महायोजना के भू-प्रयोग जोन में सम्मिलित करते हुये शासन द्वारा स्वीकृत प्रतिमानों, नियंत्रक प्राधिकारिणी तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया जायेगा।
1·2	आर-2	मध्यम घनत्व 125 से 225 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर तक।	
1·3	आर-3	न्यून घनत्व 125 व्यक्ति प्रति हे0 से कम।	
1·4	आर-वी	वर्तमान नगरीय निर्मित क्षेत्र। महायोजना फैजाबाद अयोध्या के अन्तर्गत वे ग्राम जो भावी नगरीय सीमा के अन्तर्गत पड़ते हैं, और वर्तमान भू-प्रयोग मानचित्र तथा राजस्व भू-अभिलेख में वर्ण ग्रामीण आबादी है। वे ग्रामीण आबादी जो भावी नगरीय सीमा के बाहर, परन्तु विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत हों।	

1·2 वाणिज्यक भू-प्रयोग जोन:

		उपयोग
2·1	सी-1	नगर व्यापारिक केन्द्र
2·2	सी-2	नगर उप-व्यापारिक केन्द्र
2·3	सी-3	डिस्ट्रिक्ट व्यापारिक केन्द्र
2·4	सी-4	थोक व्यापार केन्द्र, वेयर हाउसिंग/संग्रहागार, डिपो, खनिज संग्रह केन्द्र।

1·3 औद्योगिक:

		उपयोग
3·1	एम-1	उद्योग (वर्तमान)
3·2	एम-2	उद्योग प्रस्तावित

1.4	राजकीय:	उपयोग
4.1	जी-1	राजकीय कार्यालय
4.2	जी-2	अपरिभाषित प्रयोग

1.5 सामुदायिक सेवायें (उपयोगितायें एवं सेवायें):-

5.1	एफ-1	शैक्षणिक (वर्तमान/प्रस्तावित)
5.2	एफ-2	चिकित्सालय (वर्तमान/प्रस्तावित)
5.3	एफ-3	धार्मिक मेला स्थल तथा उपवन
5.4	एफ-4	स्टेडियम एवं क्रीड़ा स्थल
5.5	एफ-5	ऐतिहासिक स्थल/प्रस्तावित खुला स्थल, नदी अग्र भाग विकास।
5.6	एफ-6	यात्री आवास एवं आध्यात्म स्थल, पर्यटक वाहन पार्किंग स्थल।

1.6 परिवहन:

6.1	टी-1	परिवहन नगर
6.2	टी-2	बस अड्डा
6.3	टी-3	ओवर हेड ब्रिज (प्रस्तावित)
6.4	टी-4	रेलवे लाइन/रेलवे परिसर
6.5	टी-5	सड़क, चौराहा, निर्माण/पुनर्निर्माण/सुधार
6.6	टी-6	प्रस्तावित सड़क
6.7	टी-7	वर्तमान सड़क

1.7 कृषि:-

7.1	ए-1	कृषि-क्षेत्र

2. भू-प्रयोग वर्गीकरण:

विभिन्न भू-प्रयोगों को किसी जोन में प्रयुक्त होने के लिये तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है:-

(क) अनुज्ञात उपयोग- ऐसे उपयोग, जो नियमानुसार हों, नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

(ख) अनुज्ञेय उपयोग- ऐसे उपयोग, जो अनुज्ञात उपयोग के श्रेणी से बाहर हों, नियंत्रक प्राधिकारिणी के अनुमोदन के पश्चात् ही नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायगा।

(ग) निषिद्ध उपयोग- उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य प्रयोग जिन्हें स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

आवासीय:

आर-1(घनत्व 225 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर से ऊपर)

अनुज्ञात उपयोग: सीमित घनत्व के अनुसार आवासीय भवन, होस्टल एवं बोर्डिंग हाउस, अतिथि भवन एवं धर्मशाला, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर तक के विद्यालय, क्लब एवं अन्य पड़ौसीय(नेवर हुड) विशेषता वाले अन्य अर्द्ध-सार्वजनिक मनोरंजन। कृषिगत बाग, पौधशाला एवं ग्रीन हाउसेज, अन्य सहायक आवासीय उपयोग, गृह कुटीर, हल्के प्रकार के उद्योग तथा हस्त कला आदि।

अनुज्ञेय उपयोग(नियंत्रक प्राधिकारिणी के अनुमोदन से) धार्मिक स्थल, पेशागत कार्यालय, गृह पेशा घरेलू धन्धा, होटल तथा चिकित्सालय (छुआछूत तथा मानसिक रोगों वाले चिकित्सालयों को छोड़कर) जिसमें सेट-बैक एवं आच्छादन उपलब्ध हों एवं जिससे आवासीय क्षेत्र को जोखिम तथा कोलाहल न हो, स्थानीय क्रय-विक्रय केन्द्र में स्थित पड़ौसी विशेषता युक्त सेवा प्रयोग, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं फुटकर दुकानदारी, सेवा एवं संग्रह प्रांगण टैक्सी स्कूटर एवं रिक्शा खड़े होने का स्थान, पड़ौसी विशेषता वाले सार्वजनिक उपयोगिता से सम्बन्धित भवन, पेट्रोल पंप, सर्विस स्टेशन एवं डिपो(मार्गाधिकार को दृष्टिगत रखते हुये) सिनेमा गृह।

निषिद्ध उपयोग: उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य उपयोग जिन्हें स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

आवासीय:

आर-2(घनत्व 125 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर से 225 व्यक्ति प्रति हे0तक):

अनुज्ञात उपयोग: सीमित घनत्वानुसार आवासीय भवन, होटल एवं भोजनालय, अतिथि भवन, धर्मशाला, उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यालय, चिकित्सा केन्द्रों, क्लब एवं पड़ौसी विशेषता वाले अन्य सार्वजनिक

मनोरंजन, उपयोगिताओं एवं सेवायें, बाग, पौधालय एवं ग्रीन हाउसेज, सहायक आवासीय उपयोग, फुटकर दुकानें, गृह हस्त कला, गृह एवं कुटीर तथा हल्के स्तर का उद्योग।

अनुज्ञेय उपयोग: [नियंत्रक प्राधिकारिणी के अनुमोदन से]: धार्मिक स्थल, पेशागत दुकानदारी, कार्यालय, घरेलू धन्धा, स्थानीय क्रय-विक्रय केन्द्र में स्थित पड़ोसी विशेषता सेवा प्रयोग, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, महाविद्यालय, होटल एवं छात्रावास तथा मानसिक रोगों के अतिरिक्त चिकित्सालय, जिसमें उचित सेट-बैक एवं आच्छादन उपलब्ध हो और आवासीय क्षेत्र के लिये जोखिम न उत्पन्न करते हों, वाहनों के खड़े होने के लिये पर्याप्त स्थान की उपलब्धता के साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान, सेवा एवं संग्रह प्रांगण [सर्विस एवं स्टोरेज यार्ड], टैक्सी, बस, स्कूटर, टेम्पो एवं रिक्शा खड़े होने का स्थान, अव्यवसायिक प्रयोग वाले कुक्कुट एवं पशुशाला, पड़ोसी विशेषतायुक्त भवन, पेट्रोल पंप एवं सर्विस स्टेशन, डिपो [मार्गाधिकार को ध्यान में रखते हुये]।

निषिद्ध उपयोग: उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य उपयोग जिन्हें स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

आवासीय:

आर-3 [घनत्व 125 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर से कम]

अनुज्ञात उपयोग: सीमित घनत्व के अनुसार आवासीय भवन, हॉस्टल एवं होटल तथा अतिथि भवन, धर्मशाला, उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के विद्यालय, वाहनों के खड़े करने हेतु पर्याप्त सुविधा सहित चिकित्सा केन्द्र तथा सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्थाएं, सार्वजनिक सेवाएं एवं उससे सम्बन्धित भवन, क्लब एवं अन्य पड़ोसी [नेवरहुड] अर्ध-सार्वजनिक मनोरंजन, कृषिगत बाग, एवं ग्रीन हाउसेज, पेशागत कार्यालय, छोटे स्तर का उद्योग या घरेलू धन्धा [होम आकुपेशन] जिसे गृहस्वामी अपने आवास में लगाये, परन्तु वह खतरनाक/हानिकारक एवं अति कोलाहल उत्पन्न करने वाला न हो, अन्य सहायक आवासीय उपयोग जैसे-फुटकर

दुकानें आदि।

अनुमेय उपयोग: (नियंत्रक प्राधिकारिणी के अनुमोदन से): धार्मिक स्थल, पेशागत, पुरुष एवं महिलाओं द्वारा अधिकृत उसी भवन में स्थित या स्थानीय दुकानदारी क्षेत्र में स्थित गृह पेशा या पेशागत कार्यालय, स्थानीय क्रय-विक्रय केन्द्र में स्थित सेवा उपयोग, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, विशिष्ट प्रकार के संस्थान तथा नेबर हुड क्रय-विक्रय दुकान (अधिक कोलाहल उत्पन्न करने वालों को छोड़कर (बार, रेस्टोरेंट, चिकित्सालय (छुआछूत वाली बीमारी अथवा मानसिक रोग वाले अस्पतालों को छोड़कर) मिनिस्पल एवं राजकीय कार्यालय, सेवा एवं संग्रह प्रांगण (सीवेज एण्ड स्टोरेज यार्ड (टैक्सी एवं स्कूटर, रिक्शा खड़ा होने का स्थान, कुक्कुट एवं पशुशाला, सार्वजनिक उपयोगितायें जो क्षेत्र के लिये उपयुक्त हों, महाविद्यालय, सिनेमा, मोटेल, पेट्रोल पम्प, सर्विस स्टेशन एवं डिपो (मार्गाधिकार को ध्यान में रखते हुए)

निषिद्ध उपयोग: उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य उपयोग जिन्हें स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

आवासीय:-

(क). आर-4, आर-बी: इसके अन्तर्गत आर-1, आर-2 एवं आर-3 के प्राविधान होंगे।

पूर्णरूप से निर्मित क्षेत्र: ऐसे क्षेत्रों में खतरनाक प्रकृति (हेजार्डस नेचर) के भू-प्रयोगों को छोड़कर वे सभी उपयोग जो पहले से चले आ रहे हैं, उनमें से प्रत्येक के बारे में उनके गुण-दोष जाचने के उपरान्त नियोजन प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए, प्रत्येक भू-उपयोग जोन्स के परिप्रेक्ष्य में नियंत्रक प्राधिकारिणी के अनुमोदन से अनुज्ञेय होगा।

(ख-1) नगर के निम्नलिखित मार्गों, जैसे- गुदड़ी बाजार से दिल्ली दरवाजा चौराहा तक; नियावां चौराहे से तरंग टाकीज, गुदड़ी बाजार चौराहा होते हुए सीतापुर नेत्र चिकित्सालय तिराहा तक; सीतापुर नेत्र चिकित्सालय तिराहा से गुलाब बाड़ी चौराहा होते हुए कोतवाली तीन दरा तक; नियावां से रिकाबगंज चौराहा, महिला चिकित्सालय गेट होते हुए फतेहगंज तिराहा तक; फतेहगंज चौराहा से मकबरा होते हुए नाका मुजफरा तिराहे तक; अयोध्या में टेढ़ी बाजार चौराहा से नयाघाट पुलिस चौकी तक ;पर वाणिज्यिक भू-प्रयोग को स्वीकृति देते समय पार्किंग आदि की व्यवस्था करना आवश्यक होगा जिससे कि ट्रक या ठेला खड़ा होने, माल के चढ़ाने-उतारने से यातायात परिचलन में उक्त प्रस्ताव से कोई अवरोध उत्पन्न न हो।

(ख-2) ऐसे निर्मित क्षेत्र, जो आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत हैं, में जिनकी सम्पत्ति का निकास मुख्य मार्ग से सम्बद्ध हो, उनके भूतल को ही वाणिज्यक........

के रूप में अनुज्ञात (परमिटेड) किया जायगा और शेष भाग आवासीय ही रहेगा ।

(ख-3) ऐसे क्षेत्रों में नव निर्माण/पुर्ननिर्माण में महायोजना के प्रस्तावित मार्गाधिकार का निर्णय, समय, स्थान और प्राथिकता के परिप्रेक्ष्य में नियंत्रक प्राधिकारिणी के अनुमोदन से अनुज्ञेय होगा ।

(ख-4) फैजाबाद-अयोध्या महायोजना के अन्तर्गत वे ग्राम जो भावी नगरीय सीमा के अन्तर्गत पड़ते हैं, की आबादी क्षेत्र जो राजस्व भू-अभिलेख तथा वर्तमान भू-उपयोग मानचित्र में आबादी दर्ज है, जोनल प्लान बनाते समय, ग्रामीण आबादी के चारों तरफ भूमि की उपयुक्तता के अनुरूप भावी जनसंख्या विस्तार के लिये भूमि आरक्षित की जायेगी तथा जोनिंग प्राविधान आवासीय जोन आर-1 में वर्णित अनुज्ञात, अनुज्ञेय एवं निषिद्ध भू-उपयोग के अनुसार होगा । उक्त ग्राम के शेष भाग में प्रस्तावित महायोजना में प्रस्तावित भू-उपयोग के अनुरूप ही रहेगा ।

(ख-5) वे ग्रामीण आबादी जो राजस्व अभिलेख एवं वर्तमान भू-उपयोग में आबादी दर्ज हैं, और भावी नगरीय सीमा के बाहर, परन्तु विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत हैं उनमें आवासीय भवनों के निर्माण बिना औपचारिक स्वीकृति के होगें तथा प्राविधान आवासीय भवन निर्माण हेतु लागू नहीं किये जायेगें । इसमें जोनिंग प्राविधान आवासीय जोन आर-3 में वर्णित अनुज्ञात, अनुज्ञेय एवं निषिद्ध भू-उपयोग के अनुरूप होगा ।

<u>व्यापारिक:(वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक):</u>

सी-1 (नगर व्यापारिक केन्द्र)

<u>अनुज्ञात उपयोग:</u> फुटकर दुकानें, व्यावसायिक या पेशागत कार्यालय, सेवा उपयोग जैसे- बाल काटने की दुकानें, दर्जी की दुकानें, कपड़ा धुलने की दुकानें । जलपान गृह, क्लिनिक, मांस-मछली एवं फलों के बाजार, सार्वजनिक तथा अर्द्ध-सार्वजनिक मनोरंजन जैसे- क्लब, पुस्तकालय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाएं, अन्य इन्डोर से सम्बन्धित खेल-

कूद के भवन, सिनेमा, सार्वजनिक उपयोगितायें। ऊपरी तल पर भवन, उक्त उपयोग हेतु वाहन खड़ा करने के लिये आवश्यक क्षेत्र का प्राविधान करना आवश्यक होगा।

अनुज्ञेय उपयोग:(नियंत्रक प्राधिकारिणी के अनुमोदन से): व्यावसायिक एवं वित्तीय कार्यालय, सामाजिक एवं कल्याणकारी संस्थाएं, होटल तथा मनोरंजन का संस्थान, पेट्रोल एवं सर्विस स्टेशन, कोयला, लकड़ी तथा टिम्बर (प्रकाष्ठ) प्रांगण, गैरेज, छोटे उत्पादन वाले यूनिट, टैक्सी, स्कूटर, रिक्शा तथा बस आदि वाहन खड़ा करने के स्थान के साथ स्थल को देखते हुये यदि उचित हो तो ऊपरी तल पर आवासीय भवन की स्वीकृति भी दी जा सकती है।

निषिद्ध उपयोग: उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के उपयोग जिन्हें स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

सी-2, नगर-उप-व्यापारिक केन्द्र:

अनुमन्य उपयोग: फुटकर दुकानें, होटल एवं मनोरंजन केन्द्र, वाणिज्यिक तथा पेशागत कार्यालय, सेवा उपयोग, जैसे- बाल काटने की दुकानें, दर्जी की दुकानें, कपड़ा धोने की तथा जलपान गृह आदि, क्लिनिक, मांस-मछली तथा फलों की दुकानें, सामाजिक एवं कल्याणकारी संस्थायें, सार्वजनिक तथा अर्द्ध-सार्वजनिक मनोरंजन भवन जैसे- सिनेमा, थियेटर, पुस्तकालय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाएं इत्यादि, सार्वजनिक उपयोगिताओं हेतु भवन, सर्विस गैराज तथा पेट्रोल भरने का स्थान एवं प्रा-[illegible]गिक भवन, स्थानीय, राज्य एवं केन्द्र के कार्यालय, (प्रथम एवं उसके ऊपरी तल पर) भण्डारागार तथा संग्रह केन्द्र (जो हानिकारक न हों) लेकिन वाहन खड़ा करने की सुविधा के लिये क्षेत्र का प्राविधान करना आवश्यक होगा।

अनुज्ञेय उपयोग:(नियंत्रक प्राधिकारिणी के अनुमोदन से) कोयला, टिंबर तथा लकड़ी प्रकाष्ठ प्रांगण, छोटे स्तर पर निर्माण कार्य केन्द्र/उत्पादन इकाई, औद्योगिक/औद्योगिक कार्य-केन्द्र, हास्टल, भोजनालय, अतिथि भवन

एवं धर्मशाला, महाविद्यालय तथा अनुसंधान संस्थान, समाचार-पत्र, प्रिंटिंग प्रेस आदि । आवश्यकता के अनुसार वाहन खड़ा करने की सुविधा, माल उतारने चढ़ाने की सुविधा आवश्यक है।

निषिद्ध उपयोग: उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य उपयोग जिन्हें स्वीकृत नहीं किया जा सकता है ।

सी-3(डिस्ट्रिक्ट व्यापारिक केन्द्र):

अनुज्ञात उपयोग: फुटकर दुकानें, मनोरंजन स्थल, सामाजिक एवं कल्याणकारी संस्थाएं, सार्वजनिक तथा असार्वजनिक मनोरंजन भवन, पुस्तकालय सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाएं, उपयोगिताओं एवं सेवाओं से सम्बन्धित भवन, जलपान गृह, क्लिनिक तथा स्थानीय कार्यालय आदि ।

अनुज्ञेय उपयोग:(नियंत्रक प्राधिकारिणी के अनुमोदन से): हास्टल, भोजनालय, अतिथि भवन, धर्मशाला, महाविद्यालय तथा अनुसंधान संस्थान, छोटे स्तर के निर्माण कार्य केन्द्र/उत्पादन इकाई/औद्योगिक कार्य केन्द्र, प्रिन्टिंग प्रेस आदि। आवश्यकतानुसार वाहन खड़ा करने की सुविधा, माल उतारने चढ़ाने की सुविधा के स्थान का प्राविधान करना होगा।

निषिद्ध उपयोग: उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य उपयोग जिन्हें स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

सी-4(थोक व्यापार केन्द्र-वेयर हाउसिंग/संग्रहागार, डिपो, खनिज संग्रह केन्द्र आदि)।

अनुज्ञात उपयोग: थोक तथा फुटकर दुकानें, गल्ला मण्डी, सब्जी फल मंडी, मांस-मछली की मंडी, थोक विक्रेता के लिये संग्रहागार उपयोग जो विशेष रूप से निषिद्ध न हों, व्यापार से सम्बन्धित कार्यालय, जलपान गृह तथा आवासीय भवन इस शर्त के साथ कि वे प्रथम तथा ऊपरी तल पर हों, सार्वजनिक उपयोगिताओं हेतु मकान (वाहन खड़ा करने एवं माल के उतारने-चढ़ाने की सुविधा, टैक्सी, स्कूटर एवं रिक्सा खड़ा करने का प्राविधान करना आवश्यक होगा)। खराब न होने वाली वस्तुओं, अज्वलनशील सामग्रियों हेतु भण्डारण एवं इसके प्रासं-

िगक उपयोग ।

अनुज्ञेय उपयोग:(नियंत्रक प्राधिकारिणी के अनुमोदन से): ट्रक अड्डे तथा उनके खड़ा होने का स्थान, मार्गाधिकार को सुरक्षित करते हुये संग्रहागार, मनोरंजन उपयोग जैसे- क्लब, पुस्तकालय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाएं इत्यादि भण्डारण तथा अन्य अनुषांगिक उपयोग, रेलवे माल-शुल्क अवसान, ट्रक टर्मिनल, रद्द होने वाली तथा ज्वलनशील वस्तुओं का संग्रहागार, चौकीदार एवं रक्षक कर्मचारियों के आवास-गृह।

निषिद्ध उपयोग: उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य उपयोग जिन्हें स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

औद्योगिक:

एम-1(उद्योग वर्तमान)

अनुज्ञात उपयोग: वे सभी उद्योग जो, जोखिम/हानिकारक प्रकृति के न हों, ऐसे उद्योग जो शासन, उद्योग विभाग/अभिकरण द्वारा रजिस्टर्ड एवं अनुमोदन प्राप्त हों, रिटेल आउटलेट, व्यावसायिक कार्यालय, जलपान-गृह, छोटे स्तर का भोजनालय, क्लिनिक, डिस्पेन्सरी, सामुदायिक सुविधाओं से सम्बन्धित भवन, वित्तीय संस्थाएं, स्थानीय कार्यालय, चौकीदार/रक्षक गृह। टैक्सी, रिक्शा, स्कूटर स्टैण्ड, ट्रक टर्मिनल आदि के लिये लोडिंग-अनलोडिंग सुविधा का प्राविधान करना होगा ।

अनुज्ञेय उपयोग(नियंत्रक प्राधिकारिणी के अनुमोदन से): सिनेमा, बार, लिकर/मधुशाला, यंक यार्ड(कबाड़ी स्थल) पेट्रोल फिलिंग स्टेशन एवं सर्विस स्टेशन, औद्योगिक कर्मचारियों के लिये आवास/उपनिवेश एवं मनोरंजन केन्द्र आदि।

निषिद्ध उपयोग: उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य उपयोग जिन्हें स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

एम-2(उद्योग प्रस्तावित):

अनुज्ञात उपयोग: वर्तमान उद्योग के अनुज्ञात में निर्दिष्ट सभी उपयोग

मध्यम आकार के सभी उपयोग (रिटेल आउट-लेट के साथ) मात्र प्रासंगिक मुख्य उपयोग के लिये ।

अनुज्ञेय उपयोग (नियंत्रक प्राधिकारिणी के अनुमोदन से): वे सभी अहानिकारक उद्योग जो नियंत्रक प्राधिकारिणी द्वारा अनुज्ञात किये जायं तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला, सम्बन्धित कर्मचारियों के लिये आवासीय भवन। उद्योग के प्रासंगिक भवन जैसे- होटल, जलपान-गृह, छोटे स्तर की दुकानें आदि ।

निषिद्ध उपयोग: उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य उपयोग जिन्हें स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

राजकीय:

जी-1 (राजकीय कार्यालय):

अनुज्ञात उपयोग: स्थानीय, प्रादेशिक एवं केन्द्रीय सरकार के कार्यालय, एवं सरकारी अनुसंधान संस्थान तथा उसके प्रासंगिक प्रयोग जैसे- पी०ए०सी०, जेल, पुलिस लाइन आदि, बस अड्डा तथा रिक्सा, स्कूटर, साइकिल, टैक्सी खड़ा करने का स्थान, सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं प्रासंगिक भवन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्थाएं, सरकारी कार्यालय के प्रासंगिक उपयोग जैसे- विश्राम-गृह, सरकिट हाउस, रेस्ट हाउस, तथा दूसरे प्रकार के प्रासंगिक भवन ।

अनुज्ञेय उपयोग (नियंत्रक प्राधिकारिणी के अनुमोदन से): सरकारी कर्मचारियों हेतु आवासीय भवन तथा अन्य प्रासंगिक उपयोग होटल, जलपान गृह एवं स्थानीय दुकान तथा स्कूल आदि ।

निषिद्ध उपयोग: उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के उपयोग जिन्हें स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

जी-2 (अपरिभाषित प्रयोग):

अनुज्ञात उपयोग: आवश्यकतानुसार ।

सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक सुविधाएं तथा उपयोगिताएं एवं सेवाएं:

एफ-1 {शैक्षणिक-वर्तमान एवं प्रस्तावित}:

अनुज्ञात उपयोग: शिक्षण संस्थाएं, शिक्षण संस्थाओं के अनुषांगिक उपयोग जैसे- छात्रावास, स्टेशनरी शाप, वाचनालय, कैन्टीन, टी-स्टाल, चिकित्सालय, साईकिल/स्कूटर आदि वाहन खड़ा करने का स्थान, क्रीड़ा स्थल, मनोरंजन से सम्बन्धित उपयोग, उपयोगितायें एवं सेवायें आदि ।

अनुज्ञेय उपयोग: {नियंत्रक प्राधिकारिणी के अनुमोदन से}: आवासीय इकाइयाँ तथा इनके प्रासंगिक उपयोग, उपयोगितायें एवं सेवाएं तथा इनके प्रासंगिक उपयोग आदि ।

निषिद्ध उपयोग: उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य उपयोग जिन्हें स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

एफ-2 {चिकित्सालय वर्तमान एवं प्रस्तावित}:

अनुज्ञात उपयोग: चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य सुविधा के लिये सामान्य एवं विशेष चिकित्सालय जिसमें क्लिनिक आदि तथा इनके अनुषांगिक उपयोग सम्मिलित होंगें। स्थानीय कार्यालय, मनोरंजन, उपयोगिताएं एवं सेवाएं, अल्पाहार गृह, टी कार्नर, कनवीनियन्ट शाप्स, केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट की दुकानें, आवश्यकतानुसार वाहन खड़ा करने के स्थान का प्राविधान आवश्यक होगा ।

अनुज्ञेय उपयोग: धर्मशाला, मरीजों तथा उनके संरक्षकों के लिये सस्ते प्रकार के होटल/लॉज तथा हास्टल, आवासीय इकाइयाँ ।

निषिद्ध उपयोग: उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य उपयोग जिन्हें स्वीकृति नहीं किया जा सकता है।

एफ-3 {धार्मिक मेला-स्थल तथा उपवन, सांस्कृतिक एवं सामाजिक स्थल, नदी अग्र भाग विकास}:

अनुज्ञात उपयोग: सभी प्रकार के धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेला स्थल, नदी के अग्र भाग का विकास, मेला स्थल, राम की पैड़ी का विकास,

उधान, बागवानी, वाटिका, रामलीला एवं मिलन स्थल, प्रदर्शिनी भवन, वाचनालय, अक्वोरियम, क्लब, स्मारक, मनोरंजन सम्बन्धी सरकारी व अर्द्धसरकारी उपयोग, वनस्पति एवं जीव उधान, इनडोर गेम, बस, स्कूटर, तांगा, रिक्शा आदि स्टैण्ड ।

अनुज्ञेय उपयोग: ﴾नियंत्रक प्राधिकारिणी के अनुमोदन से﴿: ओपेन एयर थियेटर, रेस्टोरेंट, अल्पाहार स्थल, सामुदायिक एवं नागरिक सुविधायें तथा इनके अनुषांगिक उपयोग जो जोखिम एवं खतरनाक प्रकृति के न हो, ओपेन एयर सिनेमा, सरकस, व्यावसायिक इकाइयाँ, स्टाफ क्वार्टर, रक्षक एवं चौकीदार के लिये गृह। प्रादेशिक तथा केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धित कार्यालय ।

निषिद्ध उपयोग: उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य उपयोग जिन्हें स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। रीवर फ्रन्ट डेवलपमेंट में धोबी घाट तथा नालों के मल प्रवाह एवं कूड़ा-कचरा निस्तारण किसी भी दशा में अनुज्ञेय न होगा ।

एफ-4﴾स्टेडियम तथा क्रीड़ा-स्थल﴿:

अनुज्ञात उपयोग: स्टेडियम, क्रीड़ा-स्थल, हास्टल एवं इसके अनुषांगिक उपयोग ।

अनुज्ञेय उपयोग: ﴾नियंत्रक प्राधिकारिणी के अनुमोदन से﴿: होटल, कनवीनियन्ट शाप, मनोरंजन एवं इसके अनुषांगिक उपयोग, खिलाड़ियों के लिये आवासीय/रेस्ट रूम एवं चौकीदार के लिये आवासीय इकाई।

निषिद्ध उपयोग: उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य उपयोग जिन्हें स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

एफ-5﴾ऐतिहासिक स्थल/प्रस्तावित खुला स्थल:

अनुज्ञात उपयोग: स्मारक, ऐतिहासिक निर्माण, धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्थान, सामुदायिक सुविधाएं, सार्वजनिक तथा अर्द्धसार्वजनिक मनोरंजन, चौकीदार के लिये आवास, मुख्य उपयोग से सम्बन्धित आवासीय तथा अन्य प्रासंगिक उपयोग ।

अनुज्ञेय उपयोग: (नियंत्रक प्राधिकारिणी के अनुमोदन से) प्रादेशिक तथा केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धित कार्यालय, कर्मचारियों के लिये उपनिवेश, कृषिगत बाग-बगीचे एवं नर्सरी आदि ।

निषिद्ध उपयोग: उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य उपयोग जिन्हें स्वीकृत नहीं किया जा सकता है ।

एफ-6 ([illegible] आवास एवं आध्यात्म स्थल, पर्यटक, वाहन, पार्किंग स्थल) धार्मिक स्थल ।

अनुज्ञात उपयोग: यात्री आवास एवं आध्यात्म स्थल के अन्तर्गत धार्मिक मेला स्थल, ओपेन एयर थियेटर, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक मनोरंजन, यात्रियों के लिये आवास एवं पूजा-पाठ गृह आदि । पर्यटक, वाहन, पार्किंग स्थल के अन्तर्गत पार्क एवं खुले स्थल, वाहन खड़ा करने का स्थान, रेस्टोरेंट होटल, मोटेल, लॉज, कृषिगत पौधशाला, बाग-बगीचे, सार्वजनिक सुविधाओं, उपयोगिताएं एवं सेवाएं, यात्री आवास एवं आध्यात्म स्थल के अन्तर्गत पिकनिक स्पॉट, पार्क तथा खुले स्थल आदि ।

अनुज्ञेय उपयोग: (नियंत्रक प्राधिकारिणी के अनुमोदन से): उपरोक्त के अतिरिक्त विशेष मनोरंजन, प्रवचन एवं शैक्षिक केन्द्र, स्नान-घाट, तरणताल एवं इनके अनुषांगिक उपयोग भी यात्री आवास एवं आध्यात्म स्थल में सम्मिलित किये जायेंगे । पर्यटक, वाहन एवं पार्किंग स्थल के अन्तर्गत चौकीदार तथा रक्षक कर्मचारियों के आवास गृह तथा वाहन खड़ा करने सम्बन्धी मुख्य उपयोग के अनुषांगिक उपयोग ।

निषिद्ध उपयोग: उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य उपयोग जिन्हें स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

उपयोगिताएं एवं सेवाएं: पेय जल, सीवेज, मलोत्सारण एवं मलापहन, विद्युत, आकाशवाणी, पोस्ट, टेलीग्राफ तथा टेलीफोन आफिस, सुरक्षा संसाधन, जलकल एवं जलापूर्ति तथा इनके अनुषांगिक उपयोग, जलोत्सारण से सम्बन्धित कार्य जिसमें मल शोधन केन्द्र भी शामिल होगा ।

कब्रिस्तान एवं श्मसान स्थल, पूजा स्थल, फायर स्टेशन, वाहन खड़ा करने का स्थान, पौधालय, कृषि कार्य एवं इसके अनुषांगिक उपयोग टी०वी० टावर आदि ।

अनुज्ञेय उपयोग: (नियंत्रक प्राधिकारिणी के अनुमोदन से): आवश्यकता पड़ने पर समयानुसार निर्णय लिया जायेगा ।

निषिद्ध उपयोग: उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य उपयोग जिन्हें स्वीकृत नहीं किया जा सकता है ।

परिवहन:

टी-1 (परिवहन नगर)

अनुज्ञात उपयोग: बुकिंग तथा फारवर्डिंग एजेन्सीज, पार्किंग स्थल, गोडाउन के लिये स्थान/भवन, ट्रक आदि की बाडी बनाने, रिपेयर की वर्कशाप, वेल्डिंग शाप्स, टायर रीट्रीडिंग शाप, पेन्टर्स, बैट्री सेल, बैट्री चार्जिंग, स्पेयर पार्ट्स, शो-रूम, जनरल मर्चेन्ट की दुकान, स्टेशनरी, केमिस्ट, प्राइवेट डिस्पेन्सरी, स्थानीय एवं सरकारी कार्यालय, कोल्ड स्टोरेज एण्ड वेयर हाउसेज, पान, बीड़ी, सिगरेट की दुकान, ढाबा, ड्राइवरों के लिये विश्रामालय, फारवर्डिंग एजेन्सियों के लिये प्रथम/अन्य तलों पर आवासीय इकाइयाँ, वित्तीय संस्थाएं, जन सुविधाओं संबंधी भवन, पेट्रोल पंप एवं सर्विस स्टेशन, अग्नि शमन केन्द्र एवं इसके अनुषांगिक तथा स्टाफ क्वार्टर्स ।

अनुज्ञेय उपयोग: (नियंत्रक प्राधिकारिणी के अनुमोदन से): चौकीदार/रक्षक कर्मचारियों के लिये आवासीय इकाई, लिकर तथा वाहन शाप एवं बार, टेक्सी, स्कूटर, तांगा, पार्किंग स्थल आदि ।

निषिद्ध उपयोग: उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सभी उपयोग जिन्हें स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

टी-2 (बस-ट्रक अड्डा):

अनुज्ञात उपयोग: बस एवं ट्रक टर्मिनल, स्थानीय कार्यालय, कैन्टीन, मनोरंजन सुविधा, यात्रियों के सुविधा के लिये विश्रामालय, वर्कशाप एवं

रिपेयरिंग सुविधाएं, जन सुविधाओं से सम्बन्धित भवन, चौकीदार/रक्षक कर्मचारियों के लिये आवास, कार, टैक्सी, स्कूटर, साइकिल आदि खड़ा करने का स्थल, माल चढ़ाने-उतारने का स्थल आदि।

अनुज्ञेय उपयोग (नियंत्रक प्राधिकारिणी के अनुमोदन से): मुख्य उपयोग से सम्बन्धित प्रासंगिक फुटकर दुकानें एवं जलपान गृह, ट्रक अवसान से संबंधित सार्वजनिक उपयोगिता भवन, बस के ठहराव हेतु स्थान तथा उसकी सेवा हेतु उचित जगह। सभी उपयोग के साथ शर्त यह है कि वे हानिकारक, जोखिम एवं पर्यावरण प्रदूषण से वंचित हों।

निषिद्ध उपयोग: उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य उपयोग जिन्हें स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

कृषि:

ए-1 (कृषि-क्षेत्र)

अनुज्ञात उपयोग: कृषिगत उपयोग, खेती से सम्बन्धित अन्य उपयोग, वृक्षारोपण, चरागाह, पौधालय, मुर्गी पालन तथा दुग्ध उत्पादन, धोबी घाट, श्मशान घाट, कब्रिस्तान, फार्म हाउस, आवासीय, फुटकर दुकानें तथा ग्रामीण आबादी के अन्तर्गत आबादी का विस्तार जैसा महायोजना तथा अन्य प्रसंगगत नियमानुसार हो। ईंट के भट्ठे शर्त यह है कि ये भट्ठे प्रस्तावित 2001 की शहरीकरण सीमा से 1/2 किमी० दूर होगें तथा मात्र ढाई मीटर गहराई तक मिट्टी निकाली जा सकती है। कृषि-क्षेत्र के अन्तर्गत, कृषि से सम्बन्धित उद्योग भी अनुज्ञात होगा।

अनुज्ञेय उपयोग (नियंत्रक प्राधिकारिणी के अनुमोदन से): पिकनिक स्थल तथा बाढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि में पड़ने वाले क्षेत्र में बाढ़ विभाग की आवश्यकता के अनुसार नियंत्रक प्राधिकारिणी के अनुमोदन से अनुज्ञेय होगा। पूजा स्थल, स्कूल, पुस्तकालय तथा शैक्षिक एवं सांस्कृतिक भवन, सामाजिक तथा अर्द्ध-सार्वजनिक भवन, क्रय-विक्रय केन्द्र, सार्वजनिक उपयोगिताएं, वैधानिक तथा औद्योगिक शोधशाला, कोल्ड स्टोरेज, खाद्य भण्डार, हवाई पट्टी का विस्तार आदि।

निषिद्ध उपयोग: उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य उपयोग जिन्हें स्वीकृत नहीं किया जा सकता है ।

3. उप विभाजन तथा मानक निर्धारण विनियमन:

ऐसे विनियमन अविकसित क्षेत्र में विकास की दिशा प्रदान करती है। इन विनियमन के अभाव में नये विकसित क्षेत्र में निम्न स्तर के विकास की सम्भावनायें बनी रहती है तथा ऐसे क्षेत्रों का पुर्नविकास करना आर्थिक दृष्टि से समस्या बन जाती है। प्रस्तावित विनियमन मुख्य रूप से मार्ग, गली, पार्क, खुले क्षेत्र, सामुदायिक सुविधायें आदि युक्त कराने हेतु न्यूनतम स्तर निर्धारित जैसे- जलपूर्ति, मल एवं जलोत्सारण विद्युतीकरण आदि अलग से उप-नियम के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित करने एवं इसके लागू करने को प्रेरित करती है ।

विकास जोन:

विकास की दृष्टि से सम्पूर्ण फैजाबाद-अयोध्या क्षेत्र को 5 नियोजन प्रभागों क्रमशः अ, ब, स, द, ई में विभक्त किया गया है। इनके विभाजन में प्रमुख तौर पर भौतिक आकृति, सघनता एवं परिचल स्वरूप को आधार माना गया है। पुन: इन प्रयोगों को विकास युक्त बनाने के लिए भौतिक आकृतियों, भू-प्रयोग सघनता एवं न्यून स्तर के परिचल स्वरूप को आधार मानते हुए छोटे-छोटे प्रखण्डों में बांटा गया है।

जोनल विकास योजना:

महायोजना के अन्तर्गत निर्धारित प्राविधानों को दृष्टिगत करते हुए ही नगर का विकास जोनल विकास योजना के अनुरूप किया जायेगा। इस तरह के ज़ोनल विकास योजना में निम्नलिखित तथ्य विस्तृत रूप से समायोजित किये जाते हैं ।

(क) आवासीय क्षेत्र की चौहद्दी एवं आवासीय जनसंख्या का कुल (ग्रास) घनत्व ।

(ख) प्रमुख अन्त-मार्ग तथा दुरगम सेवा, बड़ी परिक्रमा व छोटी परिक्रमा

मार्ग ।

(ग) महायोजना के अनुसार सामुदायिक एवं पड़ोस दुकानों के केन्द्र जिसमें सिनेमा स्थल भी हो सकता है ।

(घ) उच्चतर माध्यमिक हाई स्कूल तथा प्राइमरी स्कूल के स्थान ।

(च) पड़ोस स्तर (नेवरहुड) के पार्क एवं खुले मैदान ।

(छ) आवश्यक उपयोगितायें तथा सेवायें इत्यादि ।

सामुदायिक संरचना:

क्षेत्र की जनसंख्या को सभी सुविधाएं प्रदान कराते हुए ही किसी भाग का आन्तरिक एवं बाह्य विकास प्रस्तावित किया जाता है।संपूर्ण क्षेत्र को सबसे सेक्टर के रूप में नियोजन खण्ड/प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट जिसमें 32000 से 48000 जनसंख्या का समावेश किया गया है, में वहां के अनुरूप बड़े स्तर पर सुविधाएं जैसे- पुस्तकालय,सिनेमा,उच्च स्तर के व्यावसायिक केन्द्र,मनोरंजन केन्द्र, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य संस्थाएँ आदि का प्राविधान किया गया है। महायोजना के अन्तर्गत सबसे बड़ी इकाई नियोजन खण्ड/प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट माने गये हैं जिसमें आवश्यकतानुसार उच्च स्तर की सुविधाओं आदि का प्राविधान किया गया है।

नियोजन खण्ड/प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट से छोटी इकाई के रूप में नियोजन प्रखण्ड माना गया है जिसमें 12000 से 16000 जनसंख्या का समावेश करते हुये नियोजन इकाई के रूप में विकसित करने का प्राविधान है। यहाँ पर सामुदायिक सुविधाओं का प्राविधान करते समय हाई-स्कूल, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाएं, दिन प्रति दिन की पूर्ति वाली स्थानीय दुकानें,मध्यम स्तर के पार्क एवं निजी व्यवसाय केन्द्र आदि का प्राविधान किया गया है ।

सबसे छोटी कड़ी के रूप में आवासीय इकाई(रेजीडेन्शियल यूनिट) माना गया है। इसमें 3200 से 4000 जनसंख्या का समावेश माना गया है। इसे नियोजन उप-प्रखण्ड की संज्ञा दी गई है। इसके विकास में प्राथमिक स्कूल, सुगम पहुंच की फुटकर दुकानें एवं छोटे स्तर के पार्क आदि

का प्राविधान किया जाता है। उपरोक्त सभी तरह की नियोजन इकाइयों में प्रयुक्त होने वाली सभी प्रकार की सामुदायिक सुविधाएं, उपयोगिताओं एवं सेवाओं का विवरण निम्नलिखित प्रकार होगा।

सारणी संख्या

विभिन्न स्तर के विकास क्षेत्रों में व्यवसाय तथा अन्य सुविधाओं के प्राविधान का विवरण:

आवश्यक सुविधाएं	प्राविधान के स्तर जनसंख्या	आवश्यकता	आवश्यक भूमि हेक्टेयर में	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1. **शिक्षा संबंधी**				
अ. नर्सरी स्कूल 3 से 5 वर्ष आयु वर्ग	4,000	1	0.10	
ब. प्राइमरी स्कूल 5 से 11 वर्ष आयु वर्ग	4,000	1	0.6	225 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर जनसंख्या घनत्व तक।
			0.5-0.4	225 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर जनसंख्या से ऊपर घनत्व पर
स. हाईस्कूल/उच्चतर 11 से 16 वर्ष आयु	15,000	1	2.00	225 व्यक्ति से कम प्रति हेक्टेयर जनसंख्या घनत्व तक।
			1.6-1.8	225 व्यक्ति से अधिक प्रति हे0 जनसंख्या घनत्व पर
द. स्नातक/स्नातकोत्तर विद्यालय	80,000से एक लाख तक	1	4 से 6	भूमि प्राविधान, स्तर, संस्था के प्रकृति, प्रकार एवं विशिष्टता के अनुसार परिवर्तन युक्त है।
य. तकनीकी संस्था	1,00,000	1		
र. विशेष प्रकार के उच्च शिक्षा केन्द्र	नगर स्तर पर	1		
2. **चिकित्सा संबंधी सुविधाएं:**				
अ. परिवार नियोजन एवं कल्याण केन्द्र	4,000	1	0.10	
ब. स्वास्थ्य केन्द्र	16,000	1	1.00	स्टाफ क्वार्टर के साथ
स. सामान्य चिकित्सालय	80,000से 1,00,000तक	1	4.00	दो सौ शैय्या के साथ सभी प्रासंगिक प्रयोग एवं आवश्यक स्टाफ क्वार्टर के साथ आवश्यकतानुसार
द. विशेष चिकित्सालय केन्द्र	नगर स्तर पर	आवश्यकतानुसार।	आवश्यकतानुसार।	आवश्यकतानुसार।

1	2	3	4	5
3· वाणिज्यिक सुविधायें:				
अ· पैदल पहुंच या कनविनियन्स दुकान	4,000	10दुकान	0·05से 0·1	
ब· स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र	16,000	20दुकान	0·4	
स· डिस्ट्रिक्ट व्यापारिक केंद्र	40,000से 50,000	–	15·00हे0	
द· नगर उप-व्यापारिक केंद्र	80,000से 1,00,000	80से100 दुकान	2·5से 4 हेक्टेयर	
य· नगर केन्द्र/नगर व्यापारिक केन्द्र (सी0बी0डी0)	1,00,000 से 2,50,000	125 से 200दुकान	4हे0 से 10 हे0या आवश्यकतानुसार	
4· सामुदायिक सुविधाएं एवं सेवायें:				
1· ब्रांच पोस्ट-आफिस	4,000	1	0·25 वर्गमी0	रेजिडेन्सियल यूनिट के साथ।
2· बस-पोस्ट आफिस	16,000से 20,000	1	40वर्ग मीटर	–
3· पोस्ट एंड टेलीग्राफ (स्टाफ क्वार्टर के साथ)	1,00,000	1	1·00हे0	वाणिज्य क्षेत्र में
4· टेलीफोन एक्सचेंज	80,000–1,00,000	1	1·00हे0	वाणिज्य क्षेत्र में
5· विद्युत उपकेन्द्र	–	1	12×12 मी0	सभी वाणिज्यिक एवं आवासीय क्षेत्र में।
6· पुलिस-स्टेशन(स्टाफ क्वार्टर के साथ)	48,000	1	0·80हे0	प्रखण्डीय सेक्टर में।
7· पुलिस चौकी	20,000	1	0·20	–
8· पुलिस पोस्ट(स्टाफ-क्वार्टर के साथ)	16,000	1	0·30से 0·40 हेक्टेयर	–
9· सिनेमा	32,000	1	0·30 से 0·35 हे0	प्रखंडीय सेक्टर में तथा वाणिज्यिक क्षेत्र में उपयुक्त पार्किंग के साथ।
10· अग्निशामक स्टेशन (स्टाफ क्वार्टर के साथ)	प्रत्येक 5 किमी0 के रेडियस में	1	0·80हे0	–
11· धार्मिक भवन	16,000	1	0·80हे0	आवासीय जोनल क्षेत्र में।

1	2	3	4	5
12. कम्युनिटी हाल एवं पुस्तकालय	16,000	1	0.30हे0	आवासीय क्षेत्र में।
13. पेट्रोल पंप सेवा स्टेशन तथा सेवा गैरेज	प्रत्येक 200 हे0क्षेत्र में	-	30x45मी0	-
14. एग्जीबीशन ग्राउंड	नगर स्तर पर	-	2.5 हे0	-
15. स्टेडियम	नगर स्तर पर	1	10.00	-
16. आडीटोरियम/नाट्य शाला	1,00,000	1	2 हेक्टे0	-
5. औद्योगिक क्षेत्र हेतु सुविधाएं:				
17. लेबर वेलफेयर सेंटर	प्रत्येक 100 एकड़ (40हे0) क्षेत्र पर	-	0.20हे0	
18. कनविनियन्ट दुकानें	-	5दुकानें	प्रति 10वर्ग-मी0 के दर पर	
19. बस स्टेशन	-	-	0.20 हेक्टे0	
20. स्वास्थ्य केन्द्र	प्रति 200 हे0	-	0.60 हेक्टे0	
21. पोस्ट आफिस	"	-	0.04 हेक्टे0	
22. टेलीफोन एक्सचेंज	"	-	0.04 हेक्टे0	
23. बैंक	-	-	200 वर्गमी0	
24. पेट्रोल पंप कम सर्विस स्टेशन	-	-	30x45मीटर	
25. पुलिस स्टेशन स्टाफ क्वार्टर के साथ	-	-	0.40 हेक्टे0	
26. अग्निशामक केन्द्र (स्टाफ क्वार्टर के साथ)	-	-	0.80 हेक्टे0	

पार्क एवं खुले स्थान:

ऐतिहासिक स्थल तथा खेल क्षेत्र महायोजना में दर्शाए गये क्षेत्रानुसार रहेंगे। इसके अतिरिक्त स्थानीय पार्क आदि जोनल प्लान बनाते समय नियमानुसार दर्शाये जायेंगे।

औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत पार्क आदि के रूप में खुले क्षेत्र का प्राविधान:

औद्योगिक क्षेत्र में प्लाटों के उप-विभाजन एवं उक्त क्षेत्र का पर्यावरण संतुलन खुले क्षेत्र का आरक्षण करना आवश्यक होता है, जिसे निम्नलिखित प्रमाण के अनुसार करने की आवश्यकता है।

सारणी संख्या

औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत पार्क आदि के रूप में खुले क्षेत्र का प्रमाप

क्रम सं.	ले-आउट के प्लॉट साइज	खुले क्षेत्र का प्रतिशत	टिप्पणी
1.	550 वर्गमीटर तक	5 प्रतिशत	बड़े भारी एवं विस्तृत उद्योग जहाँ खुले क्षेत्र के रूप में बड़े पैमाने पर बफर जोन को अनुरक्षित करना पड़ता है वहाँ सक्षम प्राधिकारी एवं मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 के परामर्श से अंतिम निर्णय लिया जाएगा ।
2.	550 से 0.2 हेक्टेयर	4 प्रतिशत	
3.	0.2 हेक्टेयर से 0.8 हेक्टेयर		
4.	0.8 हेक्टेयर से ऊपर	2 प्रतिशत	

यातायात स्वरूप:

स्ट्रीट	लम्बाई
9 मीटर चौड़ा	122 मीटर तक
7.5 मीटर चौड़ा	122 मीटर तक यदि एक तरफ पार्क या खुला क्षेत्र हो ।
12 मीटर चौड़ा	122 मीटर से ऊपर 201 मीटर तक या दूसरे क्षेत्र को जोड़ती है।

(क) 18 मीटर चौड़ा 201 से 610 मीटर तक

24 मीटर चौड़ा 610 मीटर से ऊपर

(ख) वर्तमान निर्मित क्षेत्र के लिये मार्ग की वर्तमान स्थित चौड़ाई या किसी प्राधिकरण द्वारा निर्धारित हो परन्तु 3·6 मीटर से कम की चौड़ाई नहीं होगी । उसमें से जो भी अधिक होगी लागू माना जाएगा। ऐसे क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में जलोत्सारण व्यवस्था अनुपलब्ध है वहाँ प्रत्येक प्लाट के पीछे कम से कम 3·6 मीटर की गली (सर्विस लेन) का प्राविधान कराने का प्रस्ताव है।

(ग) <u>बन्द गली (डेड एण्ड स्ट्रीट)</u>: बन्द गली की व्यवस्था मोड़ के लिए न्यूनतम 15 मीटर चौड़ाई और गहराई के घुमाव (टर्निंग) स्थान के व्यवस्था के साथ की जानी चाहिए। इस तरह के गली की लम्बाई 90 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ।

(घ) <u>चौराहों की गोलाई एवं वर्गीकरण (राउण्ड एवाउट एंड इंटर सेक्शन)</u>:

1· साधारणतया गली एक दूसरे से समकोण या समकोण के निकट मिलनी चाहिए, किसी भी दशा में 30 अंश के कोण से कम पर मिलने की स्वीकृति नहीं दी जा सकती ।

2· चौराहों पर बनने वाले इन्टर सेक्शन का राउन्डिंग कम से कम 4·5 मी0 अर्द्ध व्यास का होना चाहिए ।

<u>सारणी संख्या</u>

<u>आवासीय खण्ड (15000 जनसंख्या) में प्रस्तावित विभिन्न तरह के भवन समूह निर्माण की व्यवस्था का विवरण</u>:

जनसंख्या घनत्व प्रति हेक्टेयर	आवासीय इकाइयों के प्रतिशत			कुल
	डिटैच्ड एवं सेमी डिटैच्ड	हाउसिंग	समूह	
125 व्यक्ति से कम	73 प्रतिशत	20 प्रतिशत	7 प्रतिशत	100 प्रतिशत
125 से 225 व्यक्ति	50 प्रतिशत	35 प्रतिशत	15 प्रतिशत	100 प्रतिशत
225 व्यक्ति से ऊपर	30 प्रतिशत	45 प्रतिशत	25 प्रतिशत	100 प्रतिशत

(क) 18 मीटर चौड़ा 201 से 610 मीटर तक

24 मीटर चौड़ा 610 मीटर से ऊपर

(ख) वर्तमान निर्मित क्षेत्र के लिये मार्ग की वर्तमान स्थित चौड़ाई या किसी प्राधिकरण द्वारा निर्धारित हो परन्तु 3·6 मीटर से कम की चौड़ाई नहीं होगी । उसमें से जो भी अधिक होगी लागू माना जाएगा। ऐसे क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में जलोत्सारण व्यवस्था अनुपलब्ध है वहाँ प्रत्येक प्लाट के पीछे कम से कम 3·6 मीटर की गली (सर्विस लेन) का प्राविधान कराने का प्रस्ताव है।

(ग) <u>बन्द गली (डेड एण्ड स्ट्रीट):</u> बन्द गली की व्यवस्था मोड़ के लिए न्यूनतम 15 मीटर चौड़ाई और गहराई के घुमाव (टर्निंग) स्थान के व्यवस्था के साथ की जानी चाहिए। इस तरह के गली की लम्बाई 90 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ।

(घ) <u>चौराहों की गोलाई एवं वर्गीकरण (राउण्ड एवाउट एंड इंटर सेक्शन:</u>

1· साधारणतया गली एक दूसरे से समकोण या समकोण के निकट मिलनी चाहिए, किसी भी दशा में 30 अंश के कोण से कम पर मिलने की स्वीकृति नहीं दी जा सकती ।

2· चौराहों पर बनने वाले इन्टर सेक्शन का राउन्डिंग कम से कम 4·5 मी0 अर्द्ध व्यास का होना चाहिए ।

<u>सारणी संख्या</u>

<u>आवासीय खण्ड (15000 जनसंख्या) में प्रस्तावित विभिन्न तरह के भवन समूह निर्माण की व्यवस्था का विवरण:</u>

जनसंख्या घनत्व प्रति हेक्टेयर	आवासीय इकाइयों के प्रतिशत			कुल
	डिटेच्ड एवं सेमी डिटेच्ड	हाउसिंग	समूह	
125 व्यक्ति से कम	73 प्रतिशत	20 प्रतिशत	7 प्रतिशत	100 प्रतिशत
125 से 225 व्यक्ति	50 प्रतिशत	35 प्रतिशत	15 प्रतिशत	100 प्रतिशत
225 व्यक्ति से ऊपर	30 प्रतिशत	45 प्रतिशत	25 प्रतिशत	100 प्रतिशत

ले-आउट के प्लाट्स:

आवासीय क्षेत्र	विकसित क्षेत्र
250 वर्गमीटर से कम	पंक्ति-बद्ध गृह (रो-हाउसिंग)
250 से 500 वर्ग मीटर	अर्द्ध पृथक्कृत (सेमी डिटैच्ड)
500 वर्गमीटर से ऊपर	पृथक्कृत (डिटैच्ड)

जिन प्लाट्स की चौड़ाई 6-9 मीटर तक हो, उन्हें पंक्ति-बद्ध गृह के रूप में विकसित किया जाएगा।

4. विभिन्न जोनों में निर्माण नियंत्रण विनियमन:

भवन निर्माण, महायोजना में प्रतिपादित जोनिंग प्राविधानों आदि से पूर्णरूप प्रतिबन्धित करने हेतु संस्तुति किया जाता है कि निर्माणकार्य विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत "बिल्डिंग बाई लाज फार केवाल सिटीज विद बेलास वन म्यूनिसपलिटीज एण्ड रेगुलेटेड एरिया उत्तर-प्रदेश 1977 में होने वाले संशोधन या फैजाबाद-अयोध्या महायोजना को शासन द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात् के अनुसार प्राविधान लागू माने जायेंगे।

****
**
*

अध्याय-सत्तरह

17· निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ:

17·1 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में अनियोजित एवं अनियंत्रित विकास कार्य निकट अतीत के वर्षों में काफी हुये हैं जिनका क्रम सतत जारी है। ये विकास कार्य इस नगरीय क्षेत्र तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में मुख्यत: पट्टी विकास के रूप में हुये हैं और इनके परिणाम स्वरूप भविष्य में विभिन्न गम्भीर समस्याओं के असाध्य हो जाने की सम्भावना है। अनियोजित, अनियंत्रित एवं अव्यवस्थित विकास कार्यों को नियंत्रित करने, उचित दिशा देने तथा नियंत्रित एवं नियोजित विकास कार्यों के मार्ग दर्शन के लिये फैजाबाद-अयोध्या विनियमित क्षेत्र की घोषणा और फैजाबाद-अयोध्या महायोजना का सृजन करने की आवश्यकता हुई है।

17·2 प्रस्तावित फैजाबाद-अयोध्या विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत फैजाबाद और अयोध्या के नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त इन नगरीय क्षेत्रों के सन्निकट के 65 ग्रामीण क्षेत्रों को भी प्रस्तावित किया गया है जिनमें से की 9 ग्रामीण क्षेत्रों का फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र के भावी नगरीयकरण योग्य सीमा के अन्तर्गत समाहित हो जाना अनुमानित है। सम्पूर्ण प्रस्तावित फैजाबाद-अयोध्या विनियमित क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 13,367 हेक्टर आता है जिसमें से 3,150 हेक्टर क्षेत्रफल वर्तमान फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र, 1,032 हेक्टर क्षेत्रफल भावी नगरीयकरण योग्य सीमा के अन्तर्गत प्रस्तावित ग्रामीण क्षेत्रों और 9,185 हेक्टर क्षेत्र शेष 56 ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत आता है।

17·3 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र के कुल 3,150 हेक्टर क्षेत्र में शहरी "फंक्शन" एवं गैर शहरी "फंक्शन्स" सूचक भू-उपयोगों का नगर के अधिकांश भागों में साथ-साथ स्थित होना एक सामान्य बात है। कुल 3,150 हेक्टर नगरीय क्षेत्र में लगभग 985 हेक्टर क्षेत्र विकसित

क्षेत्र के अन्तर्गत और शेष लगभग 2,165 हेक्टर क्षेत्र अविकसित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र की 1981 की कुल 1,01,873 की जनसंख्या में 35,191 व्यक्ति (34·6 प्रतिशत) तथा भावी नगरीयकरण योग्य सीमा के अन्तर्गत आने वाले 9 ग्रामीण क्षेत्रों की कुल 5,065 की जनसंख्या में 1,813 व्यक्ति (35·8 प्रतिशत) श्रमिक के रूप में उल्लिखित हैं। फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में श्रमिकों की सर्वाधिक संख्या (27,771 श्रमिक) अन्य कार्मिक के अन्तर्गत उल्लिखित हैं।

17·4 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में शैक्षणिक सुविधा के अन्तर्गत 53 प्रारम्भिक पाठशालाएं, 10 लघु माध्यमिक विद्यालय, 4 हाई स्कूल, 11 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं 2 उपाधि महाविद्यालय, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा के अन्तर्गत 4 चिकित्सालय (जनरल हॉस्पिटल), 2 विशिष्ट चिकित्सालय, 1 अन्य चिकित्सालय, 1 डिस्पेन्सरी और 1 मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र, सार्वजनिक मनोरंजन सुविधा के अन्तर्गत 2 उपवन (पार्क), संचार सुविधा के अन्तर्गत 1 प्रधान डाकघर, 2 उप-डाकघर, 8 शाखा डाकघर और 2 टेलीफोन एक्सचेंज केन्द्र, कानून और व्यवस्था की सेवा सुविधा के अन्तर्गत 2 पुलिस स्टेशन और 8 पुलिस चौकियों की सुविधा प्राप्त हैं। उपयोगिताएं एवं सेवाओं के अन्तर्गत यद्यपि इस नगरीय क्षेत्र के व्यापक भाग में शुद्ध पेय जल तथा विद्युत संपूर्ति की सुविधा प्राप्त है परन्तु अयोध्या के एक सीमित भाग को छोड़कर शेष बहुलांश नगरीय क्षेत्र में मल-जल निकास की भूमिगत सुविधा (अन्डर ग्राउन्ड सीवरेज) सिस्टम उपलब्ध नहीं है।

17·5 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में व्यापार एवं वाणिज्य का स्वरूप मुख्यतः फुटकर व्यापार का है। व्यापार एवं वाणिज्य के संदर्भ में संचालित विभागीय सर्वेक्षण के आधार पर इस नगरीय क्षेत्र की कुल 3,237 दुकानों में 3,179 (लगभग 98 प्रतिशत)

फुटकर दुकानें और 58 (लगभग 2 प्रतिशत) थोक की दुकानें आती हैं। औद्योगिक विकास की दृष्टि से फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र उन्नत क्षेत्रों में नहीं आता है। यहाँ मुख्यत: लघु एवं कुटीर औद्योगिक इकाइयाँ अस्तित्व में हैं। वर्ष 1976-77 में जिला उद्योग कार्यालय में पंजीकृत 117 औद्योगिक इकाइयों में से 88 सर्वेक्षित औद्योगिक इकाइयों के अन्तर्गत कुल 429 श्रमिकों के कार्यरत होने के आंकड़े उपलब्ध हुये हैं जिनके आधार पर प्रति औद्योगिक इकाई श्रमिकों का औसत वितरण कुल मात्र पाँच श्रमिकों का आता है। फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र के बाहर विशेषकर फैजाबाद-इलाहाबाद मार्ग के किनारे कुछ बड़ी निजी औद्योगिक इकाइयों का विकास हाल के वर्षों में हुआ है और फैजाबाद-रायबरेली मार्ग के किनारे गद्दौपुर ग्राम क्षेत्र तथा फैजाबाद-लखनऊ मार्ग पर कबीरपुर एवं हरीपुर जलालाबाद ग्राम क्षेत्र में एक-एक औद्योगिक आस्थान का विकास हो रहा है।

17.6 आवासीय सुविधा के अन्तर्गत फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में 1981 की जनगणना अनुसार कुल 23,641 परिवारों के लिये 22,538 आवासीय मकान उपलब्ध अंकित हैं। इन 22,538 मकानों में "शॉप्स-कम रेजीडेन्स" और "वर्कशाप-कम रेजीडेन्स" भी आवासीय सुविधा के रूप में सम्मिलित हैं। आवासीय सुविधा सम्बन्धी अभाव के साथ ही जुड़ा एक दूसरा पक्ष इस नगरीय क्षेत्र में कुल 15 मलिन बस्तियों का है जिनके अन्तर्गत कुल 714 आवासीय मकान और कुल 4,336 जनसंख्या आती है।

17.7 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र में यातायात एवं परिवहन का क्रिया-कलाप इस क्षेत्र से गुजरने वाले विभिन्न राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय सड़क मार्गों तथा उत्तर-रेलवे के वाराणसी-मुगलसराय सेक्शन और फैजाबाद-इलाहाबाद शाखा रेलवे द्वारा होता है। यातायात की वर्तमान प्रकृति और आर्थिक क्रियाओं में विविधता और वृद्धि की तुलना में सड़क मार्गों की अपर्याप्त चौड़ाई, इन मार्गों पर

अनाधिकृत अतिक्रमणों के कारण और भी कम हो जाती है। सड़क मार्गों पर विभिन्न समस्यायुक्त चौराहों, रेलवे सम्पारों एवं उन भारी वाहनों, जिनको की अन्य विकल्प मार्ग के अभाव में इस नगरीय क्षेत्र के मध्य से स्थानीय यातायात के साथ आवासीय क्षेत्र के लम्बे भाग से गुजरना पड़ता है- आदि कारणों से यातायात के सुगम और निर्बाध आवागमन में अनावश्यक और कठिन बाधाएं उपस्थित होती है।

17·3 फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र तथा इसके भावी नगरीयकरण योग्य सीमा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र की वर्ष 2001 के लिये अनुमानित जनसंख्या और उसकी विभिन्न आवश्यकता पूर्ति के लिये आवश्यक भू-उपयोगों, सुविधाओं एवं सेवाओं आदि के संदर्भ में अलग-अलग प्रस्तावों का विस्तार में अध्ययन पूर्व के अध्यायों में किया गया है। यह अनुमान लगाया गया है कि, वर्ष 2001 तक फैजाबाद-अयोध्या नगरीय क्षेत्र तथा इसके भावी नगरीयकरण योग्य सीमा के अन्तर्गत आने वाले 9 ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या क्रमश: 2,04,475 एवं 6,497 (कुल 2,10,972) होगी। इस कुल जनसंख्या में श्रमिकों की संख्या 73,161 (34·7 प्रतिशत) होगी जिनमें सर्वाधिक श्रमिक (60 प्रतिशत) तृतीय सकल के अन्तर्गत होंगे। इसके उपरांत श्रमिक संख्या की उच्चोच्चता क्रम की दृष्टि से द्वितीयक एवं प्रथम सकल व्यवसाय का स्थान होगा जिनमें क्रमश: 37 व 3 प्रतिशत श्रमिक कार्यरत होंगे। वर्ष 2001 में होने वाली औद्योगिक एवं व्यापारिक क्रियाओं के लिये आवश्यक क्रमश: लगभग 161 एवं 95 हेक्टर क्षेत्र का प्रस्ताव महायोजना (प्रारूप) में किया गया है। 2001 की कुल 2,10,972 की जनसंख्या के लिये कुल 27,763 आवासीय गृहों की आवश्यकता का अनुमान किया गया है और आवासीय भू-क्षेत्र के रूप में लगभग 1,303 हेक्टर क्षेत्र का प्रस्ताव महायोजना (प्रारूप) में किया गया है।

17·9 भावी जनसंख्या के लिये सामुदायिक सुविधाओं के अन्तर्गत 106 प्राइमरी पाठशालाओं, 43 लघु माध्यमिक विद्यालयों, 11 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, 3 उपाधि महाविद्यालयों, 704 चिकित्सालय शैय्याओं, अतिरिक्त रूप में एक उपवन, एक स्टेडियम तथा एक पिकनिक पर्यटक शिविर स्थल, 2 उप-डाकघरों, 3 शाखा डाकघरों, 1 पुलिस-स्टेशन, 1 पुलिस चौकी का प्रस्ताव महायोजना§प्रारूप§ में किया गया है। भावी जनसंख्या के लिये योजना काल के अन्त में पेय जल की कुल 9,56,75,510 लीटर प्रतिदिन की आवश्यकता का अनुमान किया गया है और इसी जनसंख्या के लिये प्रतिदिन विभिन्न उपयोगों के लिये कुल 59,706 यूनिट विद्युत शक्ति की आवश्यकता का अनुमान निर्धारित किया गया है ।

17·10 नगरीय क्षेत्र में यातायात सम्बन्धी कठिनाइयों के निराकरण हेतु कृषि मण्डी समिति द्वारा विकसित मंडी स्थल के सम्मुख फैजाबाद-इलाहाबाद तथा फैजाबाद-रायबरेली मार्ग के मध्य पड़ने वाले लगभग 12 हेक्टर क्षेत्र पर बस एवं ट्रक टर्मिनल प्रस्तावित किया गया था जिसे आपत्ति सुझाव संशोधन समिति के निर्णयानुसार परिवर्तित कर दिया गया। प्रस्तावित ट्रक टर्मिनल में के स्थान पर मात्र लगभग 2 हेक्टर भूमि §बस-स्टेशन§ के लिए छोड़ दिया और शेष लगभग 10 हेक्टर भूमि आवासीय प्रयोग हेतु संस्तुति की गई है। बस-स्टेशन फैजाबाद-इलाहाबाद रेलवे लाइन पर बाई-पास क्रासिंग के पूर्वी-दक्षिणी कोने में लगभग 12 हेक्टर क्षेत्र की संस्तुति की गई है। साथ ही साथ चौक, गुदड़ी बाजार, रिकाबगंज और फतेहगंज, रीडगंज आदि के चौराहों में सम्भव भौतिक परिवर्तन कर इन चौराहों पर मार्ग ज्यामिति §रोड ज्यामेट्री§ को सुधारने का प्रस्ताव और राष्ट्रीय राजमार्ग-28 के लिये प्रस्तावित बाई-पास के प्राविधान को प्राथमिकता के आधार पर तैयार करने की संस्तुति भी की गई है।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि महायोजना फैजाबाद सफल क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा किसी इकाई/अभिकरण की नियुक्ति उचित होगी।

17·11 सिविल लाइन्स, फैजाबाद, नगरपालिका भवन के सामने फैजाबाद-लखनऊ मार्ग पर चौक से रिकाबगंज चौराहे तक प्रस्तावित व्यापारिक पट्टिका को हेड पोस्ट आफिस चौराहे तक बढ़ा दिया जाय और इस पट्टिका की चौड़ाई प्रश्नगत स्थल पर मार्गाधिकार को छोड़कर 200 फिट (61 मीटर) रखी जाय। इस स्थल पर प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र को आवासीय/व्यापारिक कर दिया जाय।

17·12 ग्राम जनौरा, फैजाबाद-इलाहाबाद व फैजाबाद-रायबरेली तथा प्रस्तावित बाई पास मार्ग के बीच के तिकोने भाग में:-

(क) प्रस्तावित ट्रक अड्डे/ट्रान्सपोर्ट नगर में से जाँच करने के बाद खुली शेष (2·24 हेक्टर) भूमि बस अड्डा के लिये सुरक्षित कर दी जाय और शेष भू-भाग को आवासीय/व्यापारिक उपयोग हेतु रखा जाय।

(ख) फैजाबाद-इलाहाबाद रेलवे लाइन व बाई-पास से संलग्न रेलवे लाइन के पूर्व-दक्षिण भाग का 12. हेक्टर भूमि परिवहन नगर के लिये आरक्षित किया जाय।

(ग) मण्डी समिति के दक्षिण तरफ बाई-पास और रायबरेली सड़क के साथ दक्षिणी-पश्चिमी भाग के 6 हेक्टर भूमि को सब्जी मंडी हेतु आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।

17·13 हवाई कोठी तथा रायबरेली रोड के निकट प्रस्तावित डिस्ट्रिक्ट व्यापारिक स्थल को आवासीय परिवर्तित करने सम्बन्धी आपत्ति पर निर्णय लिया गया। प्रस्तावित स्थल में से उन भू-भागों के प्रमाणित कागजातों की जाँच कर निर्धारित सीमा तक आवासीय/व्यापारिक तथा उसके पीछे का भाग व्यापारिक रखा जाय। जितना भाग परिवर्तित किया जाय उतना रेलवे-लाइन के पार खुली भूमि में सड़क के किनारे "व्यापारिक" भू- उपयोग हेतु आरक्षित कर लिया जाय।

17.14 लोरपुर हाउस नं0 688 कम्पाउण्ड सिविल लाइन्स, फैजाबाद अथवा नैयर कालोनी, फैजाबाद जो राजकीय कार्यालय हेतु प्रस्तावित है, को आवासीय उपयोग हेतु परिवर्तित कर दिया जाय, के संबंध में निर्णय लिया गया कि "जोनल प्लान बनाते समय उक्त क्षेत्र राजकीय भू-उपयोग के अन्तर्गत स्थल की स्थिति के अनुसार आवासीय भू-उपयोग हेतु छोड़ा जायेगा।

17.15 राजकीय पौधशाला के पीछे खाली जगह, कम्पनी गार्डेन अथवा साकेत डेरी के सामने खाली भूमि में से किसी स्थान पर अधिकारियों कर्मचारियों के आवास हेतु आरक्षित करने के प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि "वर्तमान कम्पनी गार्डेन की सम्पूर्ण भूमि में से 2 एकड़ भूमि उद्यान विभाग के उपयोग हेतु छोड़कर शेष भूमि प्रस्तावित भू-उपयोग के अनुरूप सरकारी कार्यालयों/सरकारी आवासों हेतु उपयोग में लाई जाय, तथा वर्तमान बाग के भू-दृश्य को अनुपम बनाने हेतु अनुरक्षित किया जाय और आचार्य नरेन्द्र देव रेलवे स्टेशन के समीप ग्राम रमना में 4 एकड़ नजूल भूमि को भी सरकारी आवास हेतु उपयोग में लाया जाय।

17.16 चौक स्थित हिन्दुस्तान होटल के पीछे खाली नगरपालिका भूमि व कोतवाली रीडगंज के पीछे नगरपालिका की खाली भूमि के विषय में निर्णय लिया गया कि हिन्दुस्तान होटल के पीछे खाली भूमि को नगरपालिका आवासीय/व्यापारिक व कोतवाली के पीछे खाली भूमि में नगरपालिका का व्यापारिक/आवासीय उपयोग में लायी जाय।

17.16.1 <u>अन्य निर्णय:-</u>

17.16.2 गुलाबबाड़ी के पूरब (वाल्दा कुन्जा) में खाली 20-25 एकड़ नजूल भूमि को डिग्री कालेज एवं इसके प्रासंगिक उपयोग हेतु अनुरक्षित किया जाय।

17.16.3 अध्यक्ष, सुनवाई समिति ने निर्णय लिया कि नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, फैजाबाद द्वारा महायोजना (प्रारूप) के प्रस्तावों में आवश्यक संशोधन कर महायोजना को अंतिम रूप देने हेतु उनके द्वारा स्वीकृत प्रान्छल बैध तथा अवैध निर्माणों के लेखा-जोखा (रिकार्ड) सहयुक्त नियोजक, फैजाबाद को उपलब्ध करावें। उपरोक्त के अनुमोदनोपरान्त नियंत्रक प्राधिकारिणी ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, फैजाबाद को फैजाबाद-अयोध्या महायोजना में वांछित संशोधन हेतु अधिकृत करते हुए यह निर्णय लिया "विनियमित क्षेत्र में होने वाले निर्माणों के भू-उपयोग सम्बन्धी निरापत्ति आख्या नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से लेने के पश्चात् ही नियत प्राधिकारी फैजाबाद द्वारा भवन निर्माणों की अनुमति प्रदान की जाय"।

परिशिष्ट संख्या 15·1

अयोध्या के मेले/पर्वों पर आने वाले तीर्थ यात्री

क्रम सं0	नाम मेला	मेला लगने का स्थान (यदि कोई निश्चित स्थान हो)	तिथि	अवधि	मेले में आने वाले लोगों की अनुमानित संख्या
1·	चैत राम-नवमी	नया घाट और कनक भवन मंदिर आदि	चैत्र शुक्ल, नवमी	तीन दिन	8,00,000
2·	महा शिव-रात्रि	नागेश्वरनाथ मंदिर और नया घाट आदि	[illegible]	एक दिन	2,00,000
3·	बड़ी परिक्रमा (चौदह कोसी)	कोई निश्चित स्थान नहीं (अयोध्या नगरी में कहीं से भी परि-क्रमा शुरू हो सकती है)	कार्तिक शुक्ल, नवमी	एक दिन	4,00,000
4·	छोटी परि-क्रमा (पांच कोसी)	तदैव	कार्तिक शुक्ल, एकादशी	एक दिन	2,50,000
5·	कार्तिक पूर्णि-मा स्नान	नयाघाट/लक्ष्मण-घाट	कार्तिक पूर्णि-मा	दो दिन	3,50,000
6·	सावनी तीज	मणि-पर्वत	श्रावण शुक्ल, तृतीया	एक दिन	1,50,000
7·	रामलीला	—	अश्विन शुक्ल दशमी	एक दिन	80,000
8·	राम विवाह	—	मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी	एक दिन	50,000
9·	श्रावण झूला	कनक भवन, गोला-घाट आदि	श्रावण शुक्ल, एकादशी से श्रावण शुक्ल, पूर्णमासी।	पाँच दिन	1,50,000

स्रोत:- सम्भागीय नियोजन खण्ड, फैजाबाद।

परिशिष्ट संख्या 15·2

अयोध्या में स्थित धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल

1· हनुमान गढ़ी
2· कनक भवन
3· रत्न सिंहासन [राजगद्दी]
4· अमावा मंदिर
5· रंग महल
6· आनन्द भवन
7· राम-जन्म भूमि
8· [illegible] किला
9· नागेश्वर नाथ मंदिर
10· रूप कला [illegible]-कला मंदिर
11· तुलसी चौरा
12· श्रीराम सीता मंदिर [बिड़ला मंदिर]
13· सुमि[illegible]ड श्री [illegible]
14· छोटी देवकाली
15· सीता र[illegible]
16· बाल्मीकि मंदिर
17· मानस भवन
18· मणि पर्वत
19· छीरेश्वर नाथ महादेव
20· कालेराम का मंदिर
21· सरयु मंदिर
22· हनुमत सदन
23· हनुमत निवास [स्वर्गद्वार]
24· शीश. महल
25· मुराव मंदिर
26· धर्म हरी मंदिर
27· उमादत्त मंदिर
28· मिथिला मंदिर
29· गौण्डक मंदिर
30· बैकुण्ठ मण्डप
31· राम-जानकी मंदिर
32· गंगा महल मंदिर
33· राघव जी का मंदिर [रामघाट]
34· बावन जी का स्थान
35· खास चौक तेरह भाई का स्थान
36· व्यहोली भवन
37· बाल्मीकी भवन
38· गोरखपुर वाला मंदिर
39· सुरसरि मंदिर
40· राम कचहरी
41· गुलाटी मंदिर
42· नेपाली मंदिर
43· रामेश्वर मल मंदिर गोलाघाट
44· स्वामी रामनाथाचार्य मंदिर
45· बड़ा महन्त का निवास
46· मुराव मंदिर [पंचायती]
47· श्री भगवान साकेत बिहारी
48· सार्वालया मंदिर
49· चित्रगुप्त मंदिर

50. माधुरी कुंज
51. अशर्फी भवन
52. कोठला मंदिर
53. बड़ा भक्त माली का स्थान
54. राज सदन मंदिर
55. चन्द्र हरी स्वर्ग द्वार
56. कौशल्या भवन
57. महराजा का संगमरमर का मंदिर
58. नृसिंह मंदिर
59. माधुरी कुन्ज
60. दशरथ यज्ञ भवन
61. निषाद मंदिर
62. राम मंदिर
63. फकीरे रामजी का मंदिर
64. मत गजेन्द्र कुंज
65. गुजराती स्वामी छपिया नरायन मंदिर
66. जैन दिगम्बर मंदिर, रायगंज
67. जैन श्वेताम्बर मंदिर कटरा
68. शाह इब्राहीम शाह दरगाह
69. नगर कोट क्षत्रम
70. गुरुद्वारा कटरा
71. आदित नाथ (भृषभदेव)
72. अजितनाथ इटौरा तालाब
73. अभिनन्दा नाथ पुरानी नवाबी सराय
74. सुमति नाथ रामकोट
75. अनन्त नाथ गोला घाट
76. रामघाट (पुराना)
77. नयाघाट
78. लक्ष्मण घाट
79. नागेश्वरनाथ घाट
80. वासुदेव घाट
81. निरमोचन घाट
82. गोला घाट
83. कौशिल्या घाट
84. चक्रतीर्थ घाट
85. जानकी घाट
86. स्वर्गद्वार घाट
87. सुमित्रा घाट
88. झुनकी घाट
89. कैकई भवन
90. तुलसी घाट
91. गुरुद्वारा, ब्रम्ह कुण्ड
92. दतौन कुण्ड (क्वार की पूर्णिमा को मेला)
93. ब्रम्ह कुण्ड
94. विद्या कुण्ड
95. विभीषण कुण्ड
96. बड़ा स्थान
97. सीता कुण्ड (जानकी कुण्ड)
98. वशिष्ट कुण्ड
99. गनेश कुण्ड
100. बाबा रघुनाथ जी की छावनी, (बड़ी छावनी)
101. बाबा मनीराम दास जी की छावनी
102. तपसी की छावनी
103. तुलसीदास जी की छावनी
104. बाबा रामप्रसाद का अखाड़ा
105. हनुमान बाग
106. कन्हदास जी का अखाड़ा

उत्तर-प्रदेश सरकार, आवास अनुभाग-3,
संख्या 2816/37-3-45 नि0का0वि0/78
लखनऊ: दिनांक 17 दिसम्बर, 1979

:- अधिसूचना -:

चूँकि राज्य सरकार की राय है कि फैजाबाद जिले में निम्नलिखित क्षेत्र को, भूमि के अव्यवस्थित वितरण, भवनों के अनियोजित निर्माण और निम्न स्तर के आवासीय निवेशों की वृद्धि को रोकने के लिये और उपयुक्त योजना के अनुसार उक्त क्षेत्र के विकास और विस्तार की दृष्टि से उत्तर-प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1958) के अधीन विनियमित करना अपेक्षित है।

अतएव, अब, उपर्युक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिकार का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र घोषित करते हैं जो निम्नलिखित रूप में जाना जायेगा:-

विनियमित क्षेत्र, फैजाबाद- अयोध्या

1. फैजाबाद मिनिसिपल्टी एवं अयोध्या मिनिसिपल्टी की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र
2. निम्नलिखित ग्रामों की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र।

	नाम	ब्लाक
1.	[illegible]हीमपुर द्विवली उपरहार	सोहवल
2.	जगनपुर	सोहवल
3.	फिरोजपुर उपरहार	मसौदा
4.	मिर्जा मोहम्मदपुर	सोहवल
5.	सलारपुर	मसौदा
6.	फतेहपुर सरैया उपरहार	मसौदा
7.	हरीपुर जलालाबाद	मसौदा
8.	कोट सराया	मसौदा
9.	रायपुर	मसौदा

नाम	ब्लाक
10. [illegible]पुर	मसोदा
11. [illegible]	मसोदा
12. भिखनपुर	मसोदा
13. [illegible]	मसोदा
14. [illegible]पुर	मसोदा
15. [illegible]	मसोदा
16. जगदीशपुर	मसोदा
17. जीजनपुर	मसोदा
18. पहाड़गंज	मसोदा
19. गदबोपुर	मसोदा
20. उमरा	मसोदा
21. हासीपुर	मसोदा
22. मनिया शाहबादी	मसोदा
23. मउ[illegible]पुर	मसोदा
24. माधोपुर	मसोदा
25. खानपुर मसोदा	मसोदा
26. डा[illegible]सेमर	मसोदा
27. [illegible]नियां	मसोदा
28. [illegible]पुर [illegible]	मसोदा
29. पुरा [illegible]	मसोदा
30. जनौरा	मसोदा
31. गंजा	मसोदा
32. मलिकपुर	मसोदा
33. काजीपुर जमीन मलिकपुर	मसोदा
34. गोपालपुर	मसोदा
35. शिवदासपुर	मसोदा
36. बरौली	मसोदा
37. फिरोजपुर	मसोदा
38. [illegible]पुर सहादत	पुरा बाजार
39. [illegible]माहा	पुरा बाजार
40. [illegible]पुर	मसोदा
41. मिर्जापुर [illegible]	मसोदा
42. नन्दीपुर	मसोदा
43. भोजापुर	मसोदा
44. कोरखाना	मसोदा

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	मसोदा
[illegible]	[illegible]	मसोदा
[illegible]	[illegible]	मसोदा
[illegible]	[illegible]	मसोदा
[illegible]	[illegible]	पुरा बाजार
[illegible]	[illegible]	पुरा बाजार
[illegible]	[illegible]	मसोदा
[illegible]	[illegible]	मसोदा
[illegible]	[illegible]	मसोदा
55.	[illegible] बिजली	मसोदा
56.	काजीपुर चिलवां	मसोदा
57.	आसफ बाग उपरहार ॥पाठकपुर [illegible]॥	मसोदा
58.	तकपुरा	मसोदा
59.	कुदा केशवपुर उपरहार	पुरा बाजार
60.	मोहतरिम नगर उपरहार	पुरा बाजार
61.	शाहनेवाजपुर मांझा	पुरा बाजार
62.	शाहनेवाजपुर उपरहार	पुरा बाजार
63.	आसफ बाग मांझा	पुरा बाजार
64.	वसुपुर उर्फ जयसिंहपुर	पुरा बाजार
65.	बरहठा मांझा	पुरा बाजार

आज्ञा से,

डी0 जे0 खोवायजी,
सचिव।